लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20—मंगलवार, 15 मार्च, 1966/24 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 20—Tuesday, March 15, 1966/Phalguna 24, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
534	पर्यटक यातायात	Tourist Traffic	4763–65
535	दिल्ली में राशन संगठन पर व्यय	Expenditure on Rationing Organisation in Delhi	4765–67
536	राजस्थान की सीमा की रक्षा के लिये सड़कें	Roads for the Defence of Rajasthan Border	4768–70
537	स्विर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के पाकिस्तानी कर्मचारी	Pakistani Crew of River Steam Navigation Co.	4770–72
538	कृषि उत्पादन	Agricultural Production	4772–74
539	राष्ट्रीय खाद्य प्राधिकार	National Food Authority	4774–77
541	दिल्ली में राशन कार्ड	Ration Cards in Delhi	4777–79
542	सहकारिता सम्बन्धी वैकुंठलाल मेहता समिति	Vaikunthalal Mehta Committee on p eration	4779–81
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
	केरल से राज्य सभा के लिये निर्वाचन कराना	Holding Election to Rajya Sabha from Kerala	4782–84

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
540	कृषि उत्पादन	Agricultural Production	4785
543	राज्यों में राशन व्यवस्था का लागू किया जाना	Introduction of Rationing in States	4785
544	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	4785–86
545	सामान्य सिविल संहिता	Common Civil Code	4786
546	खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains	4786–87
547	राशन व्यवस्था लागू करने के लिए राज्यों को सहायता	Assistance to States for introducing Rationing	4787
548	पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में फसलों का बीमा	Crop Insurance in border areas of Punjab	4787

*किसी नाम पर अंकित यह (+) चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the quest was actually ked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
549	भारत और रूस के बीच हवाई डाक का लाना ले जाना	Carriage of Air Mail between India and U.S.S.R. . .	4788
550	सहकारी खेती सम्बन्धी गाडगिल समिति की सिफारिशें	Recommendations of Gadgil Committee on Co-operative Farming	4788
551	गोंडा संसदीय निर्वाचन के मामले में अपील	Appeal in Gonda Parliamentary Election, Case . . .	4789
552	राजस्थान के जालौर जिले में भूमि का विकास	Development of Land in Jalore Distt. Rajasthan . .	4789
553	एयर इण्डिया की जकार्ता के लिये विमान सेवा	Air India Service to Jakarta .	4789-90
554	भारतीय मालवाहक जहाज जनूषा'	Indian Freighter 'Janusha' . .	4790
555	कलकत्ता पत्तन के तट पर काम करने वाले मजदूरों की हड़ताल	Strike by Shore Workers of Calcutta Port	4790
556	मैसूर को उर्वरकों का संभरण	Supply of Fertilizers to Mysore .	4791
557	खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार	Buffer Stocks of Foodgrains . .	4791
558	राज्यों में पंचायती राज प्रणाली	Panchayati Raj System in States	4792
559	चारे और पेय जल की कमी	Shortage of Fodder and Drinking Water	4792
560	बंगाल आसाम स्टीमर सेवा	Bengal Assam Steamer Service	4792
561	विदेशों से सहायता	Assistance from Foreign Countries	4793
562	भारतीय खाद्य निगम का कार्य-संचालन	Functioning of Food Corporation of India . . .	4793

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2111	केरल के परिवहन विभाग को हुई हानि	Loss sustained by Transport Deptt., Kerala	4794
2112	केरल के लिये मत्स्यपालन निगम	Fisheries Corporation for Kerala	4794
2113	केरल में धान के मूल्य का निर्धारण	Fixation of Price of Paddy in Kerala	4794-95
2114	सहकारी विपणन संस्थाएं	Cooperative Marketing Societies	4795
2115	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा भारत का रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकार के बीच क्षेत्राधिकार का विवाद	Conflict of Jurisdiction between Registrar, Co-operative Societies and the Authority created under the Reserve Bank of India Act	4795
2116	केरल में समाहार तथा उदग्रहण (लैवी) व्यवस्था	Procurement and Levy System in Kerala	4796
2117	विभिन्न राज्यों में राशन के कोटे की मात्रा	Rates of Ration Quota in different States	4796

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2118	महाराष्ट्र में बागवानी का विकास	Development of Horticulture in Maharashtra	4797
2119	महाराष्ट्र में छोटी सिंचाई योजनाएं	Minor Irrigation in Maharashtra	4797
2120	महाराष्ट्र में पानी के तालाब	Water Tanks in Maharashtra	4797-98
2121	ब्रह्मपुर नदी में बाढ़ पर नियंत्रण	Control of Floods in Brahmaputra	4798
2122	बड़े नगरों में गृह निर्माण संस्थाओं के लिए भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Housing Societies in big Cities	4799
2123	खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains	4799
2124	अनाज से बना भोजन परोसने पर प्रतिबन्ध	Ban on Serving Cereals	4799–4800
2126	दिल्ली अतिथि नियंत्रण	Delhi Guests Control Order	4800
2127	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में फलों का उत्पादन	Productions of Fruits in Hilly Areas of U.P.	4800
2128	हल्दिया के लिये आयोजन बोर्ड	Planning Board for Haldia	4800–01
2129	त्रिवेन्द्रम में प्रकाश स्तम्भ का निर्माण	Construction of Light-House at Trivandrum	4801
2130	दुमंजिली बसें	Double Deck Buses	4881–02
2131	केरल में पत्तन	Ports in Kerala	4802–03
2132	व्यवहारिक आहारपोषण कायक्रम	Applied Nutrition Programme	4803
2133	दिल्ली में राशन व्यवस्था से प्रभावित अनाज व्यापारी	Foodgrain dealers affected by Rationing in Delhi	4803–04
2134	सरकारी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centres for Officials and Non-Officials	4804
2135	परिवहन मंत्रालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि	Increase in use of Hindi in the Transport Ministry and attached offices	4804
2136	विशाखापत्तनम बन्दरगाह में दूसरा जलयान मार्ग (शिपिंग चैनेल)	Second Shipping Channel at Visakhapatnam Port	4805
2137	विश्व मुर्गी पालन विज्ञान संस्था	World Poultry Science Association	4805
2138	दिल्ली में रिंग रोड पर बिजली की व्यवस्था	Electrification of Ring Road, Delhi	4805–06
2139	पटना में गंगा पर पुल	Bridge over the Ganges at Patna	4806
2140	एयर इण्डिया के कर्मचारियों के लिये अनुग्रहात राशि	Ex-Gratia Amount for Air India Employees	4806–07
2141	उत्तर प्रदेश को चीनी की सप्लाई	Supply of Sugar to U.P.	4807
2142	पश्चिम बंगाल को चावल का संभरण	Supply of rice to West Bengal	4807
2143	आंध्र प्रदेश में कृषि औद्योगिक निगम	Agro-Industrial Corporation in Andhra Pradesh	4808

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2144	भारतीय खाद्य निगम के प्रधान का वक्तव्य	Statement of Ex-Chairman, Food Corporation of India . .	4808–09
2145	दिल्ली में अनाज का बरामद किया जाना	Seizure of Foodgrains in Delhi	4809
2146	दिल्ली में रबी की फसल को क्षति	Damage to Rabi Crop in Delhi	4809
2147	दिल्ली में कृषकों के लिये पानी	Water for Agriculturists in Delhi	4810
2148	उड़ीसा को चीनी का सम्भरण	Supply of Sugar to Orissa . .	4810
2149	उड़ीसा में प्रायोगिक नलकूप	Exploratory Tube-wells in Orissa	4811
2150	उड़ीसा में गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने की योजनाएं	Deep sea fishing schemes in Orissa	4811
2151	आंध्र प्रदेश को उर्वरकों का सम्भरण	Supply of Fertilisers in Andhra Pradesh	4812
2152	जम्मू तथा काश्मीर राष्ट्रीय राजपथ पर होटल	Hotels on J. & K. National Highway	4812–13
2153	परिसीमन आयोग में भारतीय भाषाओं का प्रयोग	Use of Indian Languages in Delimitation Commission . .	4813
2154	अनाजों का समाहार, आयात तथा उत्पादन	Procurement, Import and Production of Foodgrains .	4813–14
2155	बिहार में सहकारी संस्थाएं	Cooperative Institutions in Bihar	4814
2156	त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान	National Parks in Tripura . .	4814
2157	त्रिपुरा में वन्य प्राणी	Wild Life in Tripura . . .	4814–15
2158	त्रिपुरा में मनुघाट सब्रूम टाउन सड़क	Manughat-Subroom Town Road in Tripura . . .	4815
2159	केरल में सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes in Kerala .	4815
2160	विमान दुर्घटनाएं	Air-Accidents	4816
2161	विमान निगमों की आय	Receipts of Air Corporations .	4816
2162	होटल ओबराय इण्टरकान्टीनेंटल नई दिल्ली, को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Hotel Oberoi Intercontinental, New Delhi	4816–17
2163	पत्तन तथा गोदी कर्मचारी	Port and Dock Workers . .	4817
2164	नारियल का उत्पादन	Production of Coconut . .	4818
2165	दिल्ली में भूमि का अर्जन	Acquisition of Land in Delh .	4818–19
2166	बेकार भूमि	Waste Land	4819
2167	दिल्ली परिवहन की बेकार गाड़ियों की निलामी	Auction of D.T.U. condemned Vehicles	4819
2168	पंजाब को गेहूं तथा चीनी का संभरण	Supply of Wheat and Sugar to Punjab	4819–20
2169	पंजाब में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन	Grow More Food Campaign in Punjab	4820

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	पृष्ठ Pages
2170	विमानों द्वारा अनाज की ढुलाई	4820
2171	केरल में धान के खेतों का वर्गीकरण	4820–21
2172	दूध के डिपो के मैनेजर	4821
2173	"जय जवाहर" जलयान के चालक	4421
2174	दिल्ली में स्कूटरों का किराया	4822
2175	कलकत्ता-अगरतला भारवाही सेवा	4822
2176	त्रिपुरा में धान की वसूली लागू करना	4822–23
2177	सूरतगढ़ फार्म	4823
2178	एयर इंडिया का विस्तार कार्यक्रम	4823
2179	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के फौकर फ्रैंडशिप विमान का लापता होना	4824
2180	मैसूर को खाद्यान्नों का संभरण	4824
2181	पटियाला फ्लाइंग क्लब के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	4824–25
2182	एयर इंडिया के कर्मचारी	4825
2183	उप-चुनाव	4825

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में उपद्रव 4826–27

ध्यान दिलाने वाली की सूचनाओं के बारे में (प्रश्न) 4827

सभा-पटल पर रखे गये पत्र 4828

सामान्य आयव्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा—

श्री कमल नयन बजाज 4829–30
श्री अ० च० गुह 4830–31
श्री वारियर 4831–32
श्री ब्रजबिहारी महरोत्रा 4832–34
श्री श्याम लाल सर्राफ 4834–36
श्री ओंकार लाल बेरवा 4836–38
श्री जं० बं० सिं० बिष्ठ 4838–41
श्री जी० भ० कृपलानी 4841–42
श्री थेनगोंडर 4842–43

U. Q. Nos.	Subject	Pages
2170	Air Lifting of Foodgrains	4820
2171	Classification of Paddy Lands in Kerala	4820–21
2172	Managers of Milk Depots	4821
2173	Jai Jawahar Crew	4421
2174	Scooter Fares in Delhi	4822
2175	Calcutta-Agartala Freighter Service	4822
2176	Imposition of Levy on Paddy in Tripura	4822–23
2177	Suratgarh Farm	4823
2178	Expansion Programme of Air India	4823
2179	Missing I.A.C. Fokker Friendship	4824
2180	Supply of Foodgrains to Mysore	4824
2181	Crash of Patiala Flying Club Plane	4824–25
2182	Air India Employees	4825
2183	Bye-Elections	4825

Motion for Adjournment—

Disturbances in Delhi 4826–27

Re: Calling Attention Notices—(Query) 4827

Papers Laid on the Table 4828

General Budget, 1966-67—General Discussion—

Shri Kamalnayan Bajaj 4829–30
Shri A.C. Guha 4830–31
Shri Warior 4831–32
Shri Braj Bihari Mehrotra 4832–34
Shri Sham Lal Saraf 4834–36
Shri Onkar Lal Berwa 4836–38
Shri J. B. S. Bist 4838–41
Shri J. B. Kripalani 4841–42
Shri M. G. Thengondar 4842–43

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत—	Motion for Adjournment—Negatived—	
दिल्ली में उपद्रव—	Disturbances in Delhi	
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh .	4843–44
श्री बागड़ी	Shri Bagri . . .	4844–45
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	4845
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . . .	4845–46
श्री रामेश्वरानन्द	Shri Rameshwaranand .	4846
श्री अ० प० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	4846–47
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy .	4847
श्री ग० सिं० मुसाफिर	Shri G. S. Musafir . .	4847–48
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	4848
श्री कर्णी सिंहजी	Shri Karni Singhji .	4848
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	4849
श्री नन्दा	Shri Nanda . . .	4849
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	4850
राज्यों की अनाज वसूली की योजनाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour discussion re : Procurement Schemes of States—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	4850

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 15 मार्च, 1966/24 फाल्गुन, 1887 (शक)
Tuesday, March 15, 1966/Phalguna 24, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पर्यटन यातायात

***534. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में पर्यटक यातायात में भारी कमी हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, तथा उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांनारा जयपाल सिंह) : (क) जी हां। 1964 की संख्याओं से तुलना करने पर 1965 के कलेंडर वर्ष में पर्यटकों के आने के प्राक्कलन में 5.6 प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक संख्याये अभी प्राप्त की जा रही है।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5776/66]**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार सभा के नेता द्वारा विदेश यात्रा के पश्चात दिये गये सुझावों को मानते हुये भारत में पर्यटन को और अधिक आकर्षक तथा मनोरंजक बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशेष पग उठाये जा रहे हैं ?

श्रीमती जहांनारा जयपाल सिंह : जी हां, मामले पर विचार किया जा रहा है।

डा० लक्ष्मीमल सिंघवी : क्या कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा रहा है ? हम यही जानना चाहते हैं ।

श्रीमती जहाँनारा जयपाल सिंह : तीन निगम, एक होटलों सम्बन्धी उद्योग के लिये, दूसरा पर्यटक टैक्सी सेवा के लिये, और तीसरा पर्यटन के लिये, खोले जा चुके हैं। यह तीनों ही इन मामलोंपर विचार कर रहे हैं कि हम अधिक पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अधिक प्रसन्न रख सकते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार है परन्तु मैं चाहता हूं कि मेरी बजाय श्री जैपाल सिंह उस प्रश्न को पूछें।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस मंत्रालय को किसी महिला मंत्री के अधीन रख दिया जाये तो क्या अधिक पर्यटक आकर्षित नहीं होंगे ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कम से कम उन्हें इस सभा में प्रश्न पुछने दीजिये।

Shri Vishwa Nath Pandey : What steps Government propose to take to develop different places of tourist interest in the country so that tourists may come and live there ? What places of tourist interest have already been developed and what constructions do Government propose to undertake ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : पर्यटकों की रुचि के स्थानों को विकसित करने के लिये वहां पर्यटक बंगलों, टैक्सी सेवा इत्यादि की सुविधा तथा अन्य ऐसी सुविधाओं की जो कि पर्यटकों के इन महत्वपूर्ण स्थानों में आने जाने में सहायक होंगी, व्यवस्था की जा रही है। यह सब कार्य एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को शायद पहले ही पता होगा कि हम ने इस सम्बन्ध में बड़ा उपयोगी और ठोस कार्य किया है।

Shri Onkar Lal Berwa : How much foreign exchange do we earn from the visits of tourists ? Have any new places been developed for tourists during the currrent year?

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे अनुमान के अनुसार क़रीब 23 से 26 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।

Mr. Speaker : Have any new places been developed this year?

श्री चे० मु० पुनाचा : पर्यटक रुचि के जिन स्थानों का विकास किया जा रहा है उनकी सूची बना ली गई है और विकास के लिये क्रमवार कायक्रम बनाया गया है।

श्री बसुमतारी : यह देखते हुये कि आसम में ऐसे स्थान हैं जो पूरी तरह से आकर्षक हैं, क्या आसाम सरकार ने उनको विकसित करने के लिये कोई प्रस्ताव किया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : आसाम राज्य द्वारा कुछ प्रस्ताव भेजे गये हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं। वास्तव में कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर आसाम सरकार स्वयं कार्यवाही कर रही है तथा अन्य व्यवस्थायें भी बड़ी सजीवता से की जा रही हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने सच्चाई तथा मर्दानगी से इस बात पर विचार किया है कि हमारी मद्य-निषेध की सनक के कारण हमारा देश संसार के सभ्य लोगों के लिये अनाकर्षक बन सकता है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मद्य-निषेध के मामले पर विचार करना मर्दानगी है अथवा नहीं, मैं इसका उत्तर ठीक से नहीं दे सकता।

श्री हे म बरुआ : क्या उनका उत्तर देना मर्दानगी का द्योतक नहीं है ?

श्री कपूर सिंह : जब वह प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दे सकते तो उनका खड़े होकर सभा का समय नष्ट करने से क्या लाभ है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं केवल माननीय सदस्य द्वारा मद्यनिषेध के सम्बन्ध में कहे गये उनके शब्द "मर्दानगी" (manliness) के बारे में कह रहा था। मैं केवल यही कहना चाहता था।

जहां तक मदिरा प्राप्त करने के लिये सुविधाओं का प्रश्न है, पर्यटक स्वतंत्रता से परमिट ले सकते हैं। विदेशी पर्यटकों को इस मामले में कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने मेरे प्रश्न को छोड़ दिया है। विदेशी पर्यटकों को सुविधायें देना और बात है और मद्य-निषेध लागू करना दूसरी बात है।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि मद्य-निषेध चाहे हो परन्तु उन्हें मदिरा मिल सकती है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या अभी हाल के 'पाटा' (PATA) सम्मेलन ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की है ? कितनी सिफारिशें की गई थी और उनमें से कितनी को स्वीकार कर दिया गया है ? क्या माननीय मंत्री को पता है कि पर्यटक यहां केवल मदिरापान के ही लिये नहीं आते अपितु वे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और परम्पराओं को देखने के लिये आते हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : वह ठीक है। पर्यटकों के लिये आकर्षण हैं। प्रत्येक देश के अपने अपने आकर्षण होते हैं। इस सम्बन्ध में हमारे यहां विदेशी पर्यटकों के लिये विशेष आकर्षण हैं।

Shri Achal Singh : Is the honourable Minister aware of the fact that due to the foreign tourists being heavily charged here, lesser number of tourists visit our country ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है।

श्री वारियर : क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल में टेकाडो के मृगवन के एक भाग में किसी और ध्येय से खेती की जा रही है और इस प्रकार मृगवन खराब हो रहा है जिसके कारण पर्यटकों का आकर्षण कम हो गया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी नहीं है।

दिल्ली में राशन संगठन पर व्यय

+

*535. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन संगठन पर होने वाला सारा व्यय उपभोक्ता को उठाना पड़ रहा है ;

(ख) क्या दिल्ली के नागरिकों ने इसका विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : Is it not a fact that the Central Government had promised to bear the lotal expenditure on account of running rationing in big cities ?

श्री गोविन्द मेनन : राशनिंग की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा न कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा की जा रही है।

Shri Madhu Limaye : Perhaps Shri Subramaniam is aware that the Central Government had once declared that if big cities in India take to rationing, then the Central Government will bear expenses on account of administration or distribution. The honourable Minister had said like this. I, therefore, want the honourable Minister to answer my question.

श्री गोविन्द मेनन : इस पर बात मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय किया गया था। उन्होंने यह निर्णय किया था कि शहरों में राशनिंग व्यवस्था की जाये। केन्द्रीय सरकार ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये उस निर्णय की केवल घोषणा की थी।

Shri Madhu Limaye : Does it mean that Government had made no promies to bear expences ? If that is so, I have another question to ask.

What is the difference between the expenditure that is incurred on rationing in other big cities of India and the expenditure on rationing in Delhi ? Is the distribution scheme of Delhi more expensive ?

श्री गोविन्द मेनन : अन्य शहरों में भी यही नियम लागू है।

अध्यक्ष महोदय : क्या दिल्ली में व्यवस्था पर अधिक व्यय हो रहा है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैंने तुलना नहीं की है।

Shri Madhu Limaye : Can it not be told ? Is Delhi not under the Central Government ? Is the arrangement here not more expensive ?

Mr. Speaker : Since he does not have figures regarding other cities, he cannot make any comparisons.

Shri Bagri : Mr. Speaker, does he ever have anything or not ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : दिल्ली में वह अधिक खर्चीली नहीं है। अन्य शहरों में जहां संविहिक राशनिंग लागू हो गया है, खर्चा 1 रूपये 50 पसे से 2 रुपये प्रति व्यक्ति तक आता है। ऐसा अनुमान है कि दिल्ली में क़रीब 2 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा आयेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह तथ्य है कि राशनिंग व्यवस्था लागू होने के पश्चात राशन द्वारा मिलने वाली वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई है जब कि इन्हीं वस्तुओं का "उचित मूल्य वाली दूकानों" से कहीं सस्ते मूल्य पर खरीदी जा सकता था ?

श्री गोविन्द मेनन : राशनिंग के व्यय का भार उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है।

श्री भागवत झा आजाद : किस राज्य में राशनिंग के अन्तर्गत मिलने वाली वस्तुओं का वितरण मूल्य 1 और 2 रुपये के बीच सब से कम है और कहां पर सब से अधिक है ?

श्री गोविन्द मेनन : यह जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या उपभोक्ताओं से खर्चा वसूल करने का आधार दिल्ली, कलकत्ता तथा अन्य सब स्थानों में एक जैसा है ?

श्री गोविन्द मेनन : राशनिंग पर होने वाला व्यय उपभोक्ताओं पर पड़ता है और जहां यह व्यय अधिक होता है वहां उपभोक्ताओं को भी अधिक देना होता है।

श्री त्यागी : क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि केवल दिल्ली में राशनिंग व्यवस्था पर कुल कितने व्यय के होने का अनुमान है ? कितने वार्षिक खर्चे का अनुमान है ?

श्री गोविन्द मेनन : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है। मेरा विचार है कि क़रीब 42 लाख रुपये प्रति वर्ष का अनुमान है।

Shri Ram Sewak Yadav : What is the expenditure on distribution of one kilogram of foodgrain under the Delhi Rationing Organisation ? How is the bearing of this expenditure by the consumers going to affect the rise in prices ?

श्री गोविन्द मेनन : कुल वार्षिक व्यय 42 लाख रुपये आता है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रति किलोग्राम पर आने वाले व्यय के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : हम क़रीब क़रीब 8 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति मास देते हैं जो मोटे हिसाब से क़रीब 100 किलोग्राम प्रति वर्ष आता है और 2 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्चा आता है।

Shri Ram Sewak Yadav : The next part of my question is that how much rise in prices results from that expenditure ?

Mr. Speaker : That does take place. As the expenditure increases, the prices also increase proportionately.

श्री बूटा सिंह : जब से दिल्ली में राशनिंग व्यवस्था लागू की गई है और दिल्ली के नागरिकों को राशनिंग का खर्चा भी सहन करना पड़ रहा है, क्या दिल्ली से चोरी-छिपे अनाज का बाहर ले जाया जाना बढ़ गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि राशनिंग लागू होने के बाद दिल्ली से अनाज का चोरी छिपे बाहर ले जाया जाना बढ़ गया है।

Shri Bagri : Is the quota of rationed cereals for those Hotels which remain closed on Mondays also reduced proportionately ? If no such reduction is made, does the quota for that day sell in black market ? If so, what steps are taken to stop that ?

श्री गोविन्द मेनन : चूंकि सप्ताह में आधे दिन बिना अनाज के भोजन की व्यवस्था होती है, होटलों को दिये जाने वाले अनाज की मात्रा में उसी अनुपात से कटौती की जाती है।

Roads for the Defence of Rajasthan Border

*536 **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattanayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Rajasthan has been requesting the Centre for some years past to expedite the construction of roads for the defence of 650 miles long border of Rajasthan ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Transport and Aviation (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). Yes, Sir. Some proposals have been made by the Chief Minister, Rajasthan from time to time for the development of certain roads in the border areas of the Rajasthan State. These were considered and several road projects have been approved for being undertaken in the area.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, since my question is in Hindi, it should be read in Hindi and the answer should also be given in Hindi.

Mr. Speaker : This is not possible. Arrangement for translation has been made for this very purpose. You can listen to its translation.

Shri Rameshwaranand : This is the work of Government themselves to construct a network of roads in the border areas for security reasons. Government has not been making any efforts in this regard in spite of demand by Chief Ministers of States from time to time. What is the reason for this neglect ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसा बिलकुल नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अवहेलना की जा रही है। सरकार इस समस्या के बारे में भली प्रकार अवगत है और राजस्थान राज्य में सड़कों के निर्माण के लिये एक क्रमवार विकास का कार्यक्रम बनाया गया है और उसके अन्तर्गत कार्य भी आरंभ हो चुका है।

Shri Rameshwaranand : The first part of my question has not been answered. I have asked .....

Mr. Speaker : The honourable Member says that there has not been any neglect. You said that the centre should have done that without his asking for it. You asked for the reasons due to which the construction of roads is being delayed in spite of so much of waiting. He says that the centre is going to start work on it. There is no reglect. You may now put another question.

Shri Rameshwaranand : Does your expenditure cover only border areas in the Rajasthan State or does it cover the construction of roads is other border areas also or in such border areas where the conditions are similar to those prevailing in Rajasthan ? By when if at all, do you propose to complete this work ?

श्री चे० मु० पुनाचा : राजस्थान राज्य में सड़कों के विकास का कार्य दो कारणों से किया जा रहा है। एक तो आन्तरिक सड़क व्यवस्था के विकास के लिये और दूसरे, देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से।

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुना जाना चाहिये। तब ही उसका ठीक ठीक उत्तर दिया जा सकता है।

The question was whether the Centre is constructing border roads in Rajasthan alone or the programme covers border roads in other states also ? If there is any programme like this, how much time it will take to complete the work ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दे पाया हूं। मेरा विचार था कि माननीय सदस्य का प्रश्न केवल राजस्थान सीमा के बारे में था। मेरे विचार में वह सारी सीमा के सुरक्षा तथा विकास सम्बन्धी उपायों क बारे में नहीं था। मेरा निवेदन था कि राजस्थान में सड़कों के विकास के लिये दो कार्यक्रम हैं। एक तो राज्य के अन्दर परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये है और दूसरा कार्यक्रम सुरक्षा के उपायों तथा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में है, जो इस क्षेत्र में किये जायेंगे। तीसरे सारे सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिये हमारा योजना-बद्ध कार्यक्रम है जिसके पूरा होने में तीन वर्ष लगगे। उसे क्रमबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye : In his written reply, he has said that the Chief Minister of Rajasthan has given several suggestions regarding construction of roads and that this programme has also been approved. What is the total amount that is proposed to be spent this year by the Central Government and the Rajasthan Government over development of roads in the border areas of Rajasthan and also the amount that is proposed to be spent during the remaining four years of the Fourth Five-Year Plan ?

श्री चे० मु० पुनाचा : राजस्थान में सड़क निर्माण कार्यक्रमों के बारे में .....

Shri Madhu Limaye : I want information regarding border areas of Rajasthan.

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रश्न राजस्थान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : इस वर्ष सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों के विकास पर कुल कितना व्यय किया जायेगा ? यदि उत्तर तैयार है, तो दे दिया जाये।

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा कि मैं ने निवेदन किया है, हमारी एक तीन वर्षीय योजना है जिससे अन्तर्गत क्रमवार कार्यवाही की जा रही है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इस प्रकार की कोई शिकायत है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषत: राजस्थान तथा मिज़ो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि आक्राम्य स्थान हैं, सड़कों के निर्माण कार्य में अनुमानित प्रगति से कम प्रगति हो रही है ? यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कार्यक्रमों पर बड़ी दृढ़ता से अमल किया जा रहा है और आशा है कि अगले तीन वर्षों में सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो जायेगा।

श्री बड़े : माननीय मंत्री ने कहा है कि उनका तीन वर्षों के लम्बे काल का कार्यक्रम है परन्तु युद्ध-विराम तथा ताशकंद घोषणा के बाद से अब तक केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को कितनी राशि दी है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

Shri Gulshan : Has Government ever given thought to connecting by a road those border areas of Rajasthan and Punjab which lie in close proximity ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हां। राजस्थान की सीमा से गुजरने वाली सड़कों का जो अन्य राज्यों से राजस्थान को मिलाती है, विकास किया जा रहा है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : पाकिस्तान से संघर्ष के बाद अन्य राज्यों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सडकों का निर्माण करने के महत्व को देखते हुये, क्या सरकार का, पूरे सीमावर्ती क्षत्र का जिसमें पूर्वीक्षेत्र भी शामिल है और जो 1,250 मील लम्बा है, ध्यान है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जी, हां। सरकार ने सीमावर्ती सड़क विकास के सम्बन्ध में व्यापक कार्यक्रम बनाया हुआ है और उसको क्रमवार कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री मं० रं० कृष्ण : सीमावर्ती सड़क विकास के इस कार्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या सरकार पुराने अभिकरण पर जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है निर्भर रहेगी अथवा किसी नये अभिकरण को बनाये जाने का भी विचार है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : सड़कों के निर्माण का कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है परन्तु चूंकि उस विभाग के पास पहले ही अधिक कार्य है, सरकार इस कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन एक पृथक प्रमंडल बनाने के बारे में विचार कर रही है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह मंत्रालय प्रतिरक्षा मंत्रालय के इन निष्कर्षों से अनभिज्ञ है कि अभी हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय सड़कों तथा संचार की कमी सब से बड़ा और अकेला अड़चन का कारण था। यदि ऐसा है, तो इस पर भी, क्या यह तथ्य नहीं है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य के लिये अनुदानों में काफ़ी कटौती कर दी गई है जिससे कि वहां की सुरक्षा तथा जागरुकता को क्षति पहुंचने तथा संकट-ग्रस्त होने का भय उत्पन्न हो गया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : श्रीमन्, यह तथ्य नहीं है।

रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के पाकिस्तानी कर्मचारी

*537. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के जहाजों के पाकिस्तानी कर्मचारियों के बारे में 7 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 709 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से इस बीच सूचना प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता पोर्ट कमिशनर के 334 पाकिस्तानी कर्मचारी बन्दी बना लिये गये थे और 161 का अभी तक कोई पता नहीं है।

Shri Bagri : What is the result of action taken in regard to those that have been traced out as also those that are still untraced ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जो लोग मिल गये हैं उन्हे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है।

Shri Bagri : What action will be taken against those who will be found guilty after enquiry has been made against them and further information has been obtained in this behalf.

श्री चे० मु० पुनाचा : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि अग्रेतर जांच के पश्चात् वही अपराध दुबारा किया जाता है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker ; You always tell us about maintaining the prestige of the House. Can the manner in which the honourable Minister is answering questions, he said to be adding to the prestige of the House ? We have been watching this for quite a time now.

Mr. Speaker : Shri Ram Sewak Yadav !

Shri Ram Sewak Yadav : The honourable Minister has just told the House that some people were caught while there are some who are still untraced. All the untraced people still in the Indian territory or have they gone back to Pakistan ? If they are here, is there any information about the places where they are hiding ?

Mr. Speaker : When the honourable Minister says that they are still untraced, how can there be any information about their whereabouts ?

Shri Ram Sewak Yadav : Are they still in India or have they gone back to Pakistan? The honourable Minister might be having some report at least :

श्री चे० मु० पुनाचा : पश्चिमी बंगाल सरकार लापता लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वे लोग सामान्य जनता में घल-मिल गये हैं, इससे बड़ी कठिनाई हो रही है। उनको पहिचानना बडा कठिन हो गया है परंतु उनको ढुण्डके निकालाकर पाकिस्तान वापस भेजन के लिये प्रयत्न बराबर जारी हैं।

Shri Yashpal Singh : Can Government give the percentage of Pakistani employees who have run away from those companies and the manner in which Government has been dealing with them ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कुल 5000 व्यक्तियों को स्थानबद्ध किया गया है। इन में से अधिकांश को स्वदेश वापस भेज दिया गया है। कुछ लोग अभी पश्चिमी बंगाल तथा आसाम में हैं जिनका अभी पता नहीं लगाया जा सका है। उनको ढूंढने तथा स्वदेश वापस भेजने के लिये पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं। 80 प्रतिशत लोगों का प्रत्यावर्तन किया जा चुका है।

Shri Vishwanath Pandey : The honourable Minister says that the untraced people have gotmixed up with the local population and it is very difficult to identify them. Has Government got any estimated figures about the untraced people and about the states in which they are hiding ?

Mr. Speaker : He has already told this.

श्री चे० मु०पुनाचा : मैंने अभी कहा है कि उनमें से 161 पश्चिमी बंगाल में हैं तथा 300 के लगभग आसाम हैं।

+ **कृषि उत्पादन**

***538. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हेम बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिये हाल में अमरीका द्वारा पी०एल० 480 के अन्तर्गत डेढ़ करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की पेशकश से राज्यों में 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' के बारे में आत्मतुष्टि की भावना पैदा न हो तथा राज्यों। संघ संध क्षेत्रों में कृषि के लिये निर्धारित राशि को अन्य कामों पर खर्च होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे मालूम हो कि किसी राज्य को अमरीका द्वारा पी० एल० 480 के अन्तर्गत 4.5 मिलियन टन खाद्यान्न देने की पेशकश से कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में आत्मसंतुष्टि हो गई है, बल्कि राज्य सरकारें खाद्य उत्पादन की वृद्धि के लिए विशेष अभियान संगठित कर रही हैं। इसलिए कृषि के लिए निर्धारित राशि को अन्य कामों पर खर्च किए जाने का कोई भय नही है। यदि कोई राज्य ऐसा परिवर्तन करता है तो मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता कम कर दी जाती है।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार अभी हाल के इस ग़ैर सरकारी अनुमान से कहां तक सहमत है कि इस वर्ष खाद्य उत्पादन कुछ समय पूर्व किये गये 760 लाख मीट्रिक टन के अनुमान की बजाय 800 लाख मीट्रिक टन होगा ? इस को देखते हुये, क्या सरकार खाद्यान्न की आयात की नीति पर पुनर्विलोकन करेगी और खाद्यान्न के आयात में कुछ कमी करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : सरकारी अनुमान तो अभी तक 760 से 770 लाख मीट्रिक टन के आस-पास है। यदि यह मान लिया जाय कि 800 लाख मिट्रिक टन उत्पादन होगा, तो यह नाम-मात्र की वृद्धि है और इस पर भी खाद्यान्न की भारी मात्रा में कमी पूरी करने के लिये रह जाती है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह तथ्य है कि जब हम खाद्यान्नों का आयात करते चले रहे हैं पिछले वर्ष के 880 लाख मीट्रिक टन के असामान्य उत्पादन में से क़रीब 80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न जमाखोरें के क़ब्जे में है ? किन कारणों से यह अनाज अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है कि अगले वर्ष भी अनाज की जमाखोरी न होने पाये ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इसी लिये हम ने वसूली की व्यवस्था की हुई है ताकि जितना अधिक अनाज सरकारी नियंत्रण में आ सके, ले लिया जाये। इसी के आधा पर हम दूसरे क्षेत्रों में भी परिनियत राशनिंग आरंभ कर रहे हैं ताकि लोगों को अनाज जमा करने का प्रलोभन न हो और वे ऐसे लोगों से जो अधिक मूल्य दे सकते हैं अधिक दाम न प्राप्त कर सकें।

श्री भागवत झा आजाद : हमें यह जान कर बड़ी प्रसन्नता है कि राज्य सरकारें इस मामले से अवगत हैं। अत: उनके इस प्रकार सचेत होने तथा कृषि पर अधिक व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप चालू वर्ष तथा अगले योजना वर्ष में खाद्य उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जब यह संकट आया था तो हम ने और अधिक भूमि पर कृषि किये जाने का आन्दोलन आरम्भ किया था। हम ने 30.50 लाख एकड़ भूमि पर विभिन्न प्रकार की अधिक फसलें

उपजाने की योजना बनाई थी और राज्यों के लिये कोटा बांट दिया था। वर्तमान अनुमान के अनुसार 30.50 लाख एकड़ की बजाय 40 लाख एकड़ भूमि पर अधिक फसलें उपजायी जायेंगी। हमने 1965-66 की अपेक्षा, वर्ष 1966-67 में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों पर 35 से 40 प्रतिशत अधिक व्यय करने का निश्चय किया है और हम 1966-67 के लिये 950 से 970 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य नियत कर रहे हैं।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने कहा है कि वर्ष 1966–67 के लिये नये आवंटन किये गये हैं। माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि इस सम्बन्ध में बिल्कुल सूस्थता नहीं है। क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो राशि राज्यों में लघु तथा छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये आवंटित की गई थी उसका पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जी हां। वास्तव में पहले दिये गये रुपये को व्यय कर लेने के बाद, और अधिक रुपये की मांग की गई है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को गहन खेती के वैज्ञानिक तरीक़े के बारे में सलाह दे रही है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जी, हां। यह एक विशेष कार्यक्रम है जो हम ने नई फ़सलों को उवर्रकों द्वारा तथा पौदों के सुरक्षण द्वारा उपजाने के लिये बनाया है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह तथ्य नहीं है कि अमरीका द्वारा पी०एल० 480 के अन्तर्गत सहायता देने (स्पून फ़ीडिंग) के कारण सरकार के प्रयत्यों में कुछ शिथिलता की मनोवत्ति आ गई है। यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में विश्वास है कि .....

श्री सेझियान : इसे 'स्पून फ़ीडिग' न कह कर 'शिप फीडिंग' कहा जाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : मैं ने 'स्पून फीडिंग' कहा है। क्या सरकार को विश्वास है कि भारत खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में तब तक आत्म निर्भर नहीं हो सका जब तक उसे विदेशी सहायता मिलती रहेगी ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : विदेशी सहायता तो एक अल्पकालिक उपाय है। मैं ने यहां स्पष्ट कहा है और अमरीका की सरकार द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सहायता निरंतर नहीं मिलती रहेगी। इस संकट ने विशेष रूप से हमें इस बात से सचेत करा दिया है कि हम को आगे बढ़ कर शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जाना चाहिये। अतः अब सारी कार्यवाही इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये की जा रही है।

Shri Ram Sewak Yadav : The honorable Minister has just told the House that State Government are taking steps to augment food production. Do these actions include encouragement of irrigation schemes ? If so, is the honorable Minister aware of the fact that the dealers and sole distributors of cement in Uttar Pradesh, have not been selling cement until higher price is paid for it? If is so, what steps is he taking in that connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Planning (Shri Shaym Dhar Misra) : Arrangement for both irrigation and fertilisers is being made in order to augment production. In addition to the plan for 1965-66, extra allotment of money is being made for 15 crore big projects and 8-10 crores rupees have been further allocated. Uttar Pradesh has had its share in the extra fund for minor irrigations, as also in the 'Beyond Plan culing'and the Gandak Plan. As to cement, my information is that cement

is properly available now after its decontrol. This is an official information but unofficially also I can say that cement is freely available now in district Varanasi and also at other places.

श्री श्यामलाल सर्राफ : पिछले अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि माननीय खाद्य व कृषि मंत्री के द्वारा राज्यों की ओर से अधिक अन्न उत्पन्न करने का दावा करने तथा योजना के लिये अधिक रुपया देने पर भी किसी राज्य ने अपेक्षित खाद्य उत्पादन नहीं कर के दिखाया है । अत: अब माननीय मंत्री ने यह कैसे विश्वास कर लिया है कि भविष्य में सब राज्यों की योजनाबद्ध प्रगति इस प्रकार होगी कि उनका खाद्य उत्पादन इस बार तथा भविष्य में भी अपेक्षित मात्रा में होगा ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं यह नहीं कह सकता कि किसी भी राज्य ने अपेक्षित उत्पादन नहीं किया है । पंजाब ने जो कुछ किया है वह आशा से कहीं अधिक है । इसी प्रकार, मद्रास तथा आंध्र प्रदेश ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है । कुछ भी हो, अनुभव से काफ़ी जानकारी बढ़ती है । हम अपने लक्ष्यों के पाने में असफल होने के कारणों का पता लगाते हैं और फिर विकल्पों का उपयोग कर के देखते हैं । इसी आधार पर हम आशा करते हैं कि चौथी योजना में हमारा उत्पादन और भी अधिक होगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या यह तथ्य है कि अमरीकन प्राधिकारियों से पी० एल० 480 सम्बन्धी वार्ता के दौरान अमरीकन सरकार ने हमारे देश में अधिक खाद्यान्न उपजाने के लिये अपने कुछ सुझाव कार्यान्वित करने को कहा था ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जब हमने पी० एल० 480 के अन्तर्गत और अधिक खाद्यान्न की सप्लाई के लिये वचन मांगा तो हमें बताया गया था कि हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये खाद्यान्न पर लगातार निर्भर नहीं कर सकते । हमें उत्पादन बढ़ाने के लिये ऐसे उपायों पर अंमल करना चाहिये जिन से अच्छे परिणाम निकले ताकि शीघ्र ही हम आत्म निर्भर हो जायें । इस सम्बन्ध हमने उनके साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पाने के लिये बनाये गये एक कार्यक्रम पर भी चर्चा की थी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री ने बताया है कि पी०एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात एक अल्पकालिक उपाय है । क्या सरकार ने कोई ऐसी समय सीमा नियत की है जिसके पश्चात् पी०एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : आयात में कमी करने के लिये हम ने एक क्रमवार कार्यक्रम बनाया है और हम आशा करते हैं कि चौथी योजना के बाद हमें खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

\+ **राष्ट्रीय खाद्य प्राधिकार**

* 539. **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्रीमती सावित्री निगम :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री दि० चं० शर्मा**

श्री सुबोध हंसदा : **श्री काजरोलकर :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री पाराशर :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य के समाहार तथा उसके वितरण की देखभाल करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय खाद्य प्राधिकार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस बात की सराहना करते हुए कि राष्ट्रीय खाद्य प्राधिकार स्थापित नहीं किया जायेगा यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि प्रत्येक राज्य में कुछ जिले फालतू अनाज वाले है और केन्द्रीय सरकार की अनाज वसूली की नीति का राज्य सरकार पालन नहीं कर रही हैं ? यदि यह ठीक है तो सरकार राज्य सरकारों द्वारा नीति के अनुसार कार्य करने के सम्बन्ध में क्या सोच रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : लगभग सभी फालतू अनाज वाले राज्य कमी वाले राज्यों की मांगों के लिये समाहार कर रहे हैं ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है । कुछ राज्य सरकारें फालतू अनाज वाले जिलों से अनाज का समाहार नहीं कर रही हैं । परन्तु आजकल की कम उत्पादन की स्थिति तथा मांग और सम्भरण में अन्तर होने के कारण हमें राज्य सरकारों को कार्य करने के लिये कुछ स्वतन्त्रता देनी है । परन्तु बाद में जब हम समझेंगे कि सामान्य उत्पादन होने लगा है तो सभी राज्यों के लिये समान कार्यक्रम बनाया जायेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : खाद्यान्नों का वितरण सब से आवश्यक काम है और इसी में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । क्या सरकार को मालूम है कि कुछ राज्य एसे ह जहां इस बारे में प्रशासनिक व्यवस्था कुछ भी नहीं है । अतः उनकी जितनी भी सहायता की जाये कठिनाई दूर नहीं हो सकती । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन राज्यों के बारे में क्या करने का विचार कर रही है क्योंकि अनाज की अधिक मात्रा देने से वहां स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं यह नहीं कह सकता कि कुछ राज्यों में प्रशासन है ही नहीं । हां, निस्संदेह कुछ राज्यों में त्रटियां है । हमारे देश में प्रशासन के कई स्तर है । हमें अपनी कठिनाईयों के होते हुए भी काम करना है । सभी राज्यों के लिये समान कार्यक्रम बनाना असंभव है । हां, इस बात को ध्यान में रखा जायेगा । इसी लिय अनाजों की वसूली काम के लिये सभी राज्यों में हम खाद्य निगम को काम पर लगा रहे हैं ताकि किसी भी राज्य की प्रशासनिक कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि कुछ संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री से प्रार्थना की है कि एक राष्ट्रीय खाद्य परिषद की स्थापना पर विचार किया जाये जो केन्द्र में हो और राज्यों में भी ऐसा ही किया जाये । इन परिषदों के प्रतिपक्ष वाले भी सदस्य हों ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मुझे इसकी जानकारी नहीं हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई समाहार की नीति से संतुष्ट है; यदि नहीं, तो क्या सभी राज्यों में एक समान नीति होना वांछनीय नही है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : श्रीमान, इस बारे में नीति मैंने बता दी है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या हमारी खाद्यान्नों की कमी केवल 80 लाख टन या एक करोड़ टन की है? और क्या साथ ही साथ जमाखोरों ने लगभग इतना अनाज जमा किया हुआ है ? क्या भारत के खाद्य निगम को इस जमा हुए अनाज को खरीदने को कहा गया है ताकि कमी दूर की जा सके ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : प्रश्न यह है कि जमाखोरों से अनाज कैसे प्राप्त किया जाये ? यह या तो उत्पादकों से अनिवार्य वसूली द्वारा या व्यापारियों पर नियन्त्रण लागू करके किया जा सकता है । जब अनाज एक बार व्यापारियों के पास चला जाता है तो उसे ढूंढ़ना तक मुश्किल हो जाता है । इसी लिये हमे एक ऐसा तरीका निकाल रहे है कि जिसके द्वारा उत्पादन को ही अच्छे मूल्य देकर अनाज प्राप्त किया जा सके ।

श्री प्रभात कार : माननीय मंत्री ने कहा है कि खाद्य निगम वसूली के काम से सहायता देगा । इस निगम की स्थापना संसद के अधिनियम के अन्तर्गत हुई है । क्या राज्य सरकारें इस निगम को वसूली के लिये लाइसस नहीं देती है ; यदि हां, तो क्या सरकार किसी ऐसे निकाय की स्थापना करने का विचार कर रही है कि जिसके द्वारा वसूली के काम पर उचित नियन्त्रण रखा जा सके ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि लाइसेंसों के बारे में वर्तमान विधान पर्याप्त नहीं है । इसी लिये हम उस में संशोधन कर रहे हैं ताकि खाद्य निगम से अन्य व्यापारियों की भान्ति व्यवहार न हो ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में ज्वार की वसूली का मूल्य 40 से 45 रूपय प्रति क्विंटल हैं और उसका वितरण 50 रुपय प्रति क्विंटल से होता है ? और क्या राज्य सरकारों की आलोचना हो रही है ? क्या सरकार ऐसी राज्य सरकारों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करने वाली है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह आरोप कई बार लगाये गये है और हमने इन पर विचार किया है । मैं मानता हूं कि कुछ राज्य सरकारों ने उचित मूल्यों से कुछ अधिक लिया है । इस बारे में विचार हो रहा है कि मुनाफाखोरी न हो ।

Shri Rameshwaranand : I want to know whether taxes on farmers would be waived, so that production may increase?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : सरकार की नीति यह है कि किसानों को सभी प्रकार की सहायता दी जाय ताकि उत्पादन अधिक हो ।

श्री रंगा : जब खाद्य निगम विधेयक यहां पर लाया गया था तो आश्वासन दिया गया था कि वसूली के बारे में इसे एकाधिकार नहीं मिलेगा । आज माननीय मित्र ने कह दिया है कि इस को विशेष अधिकार मिलेंगे । क्या इसका यह अर्थ नहीं कि इस निगम को निजी व्यापारियों की अपेक्षा में एकाधिकार दिया जा रहा है ताकि यह किसानों के लिये मूल्य कम रखे ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निगमों को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे ..... यही हमारी नीति है कि इन निगमों को निजी व्यापारियों की अपेक्षा प्रोत्साहन दिया जाय ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खाद्यान्नों के वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था ही देश में उपद्रवों का कारण है, सरकार ने खाद्यान्नों के उचित वितरण के लिये क्या कदम उठाये है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मैं नहीं मानता कि वितरण ठीक नहीं है । हमने नियोजित आधार पर फालतू अनाज वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को अनाज दिया है । हमें केवल व्यापारियों व्दारा अनाज भेजने पर ही विचार नहीं करना चाहिये । सरकार ठीक ढंग से वितरण करती है ।

Ration Cards in Delhi

+

*541. **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bibhuti Mishra :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yashpal Singh :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Food** & **Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state:

(a) the total number of ration cards distributed at the time of introduction of rationing in Delhi;

(b) the decrease or increase in the number of ration cards since the introduction of raitioning till the 31st Januarv, 1966;

(c) whether anv surplus or bogus ration cards have been detected, if so, their number and the action taken against the persons concerned; &

(d) the reasons for the non-publication of rationing rules and regulatins so far; and

(e) the arrangements made for providing food to the floating population?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) 6,19,087.

(b) there had been in increase of 1,00,516 cards during the period from 8th December, 1965 to 31st Januarv, 1966.

(c) yes, Sir. The number of bogus ration cards detected is 333. It was also found that 1,442 ration cards had units in excess of the entitlement. The quesion of launching prosecutions against the persons concerned is under consideration of Delbi Administration.

(d) the Delhi Rationing Order and Regulations were published in Delhi Gazette before the introduction of rationing.

(e) there is a large number of catering establishments and public eating houses in Delhi which provide food to the floating population. In addition, temporary ration cards are also issued promptlv to temporarv visitors whose stay in Delhi is expected to be not less than 3 davs.

श्री भागवत झा आजाद : क्या राशन कार्ड दिये जाने के बाद कोई सर्वेक्षण किया गया है ताकि पता चलाया जा सके कि जाली कार्ड कितने है और 333 कार्डों को पकड़ने का क्या आधार है ?

श्री गोविन्द मेनन : दिल्ली प्रशासन ने नमूने की पडताल की थी। यह आंकड़े उसी के आधार पर हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या प्रशासन ने दिल्ली की अस्थिर जन संख्या की आवश्यकताओं का भी कोई अनुमान लगाया है और क्या इस जनसंख्या की संख्या में वृद्धि होने के समय के लिये कोई रक्षित भण्डार है ?

श्री गोविन्द मेनन : जो लोग 3 दिन से अधिक अवधि के लिये ठहरें उनको राशनिंग आदेश में अस्थायी परमिट देने का उपबन्ध है और इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा है कि जो दिल्ली में 3 दिन से अधिक रुकें उन्हें अस्थायी परमिट दिय जाते है। मैं जानना चाहता हूं कि जो 2 दिन के लिये रुकें उनका क्या होगा ?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसे व्यक्तियों को कार्ड देना प्रशासनिक रूप से कठिन है। उन्हें अपने मित्रों के पास या सार्वजनिक होटलों में भोजन खाना होगा।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने कहा है कि 333 जाली कार्ड हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी कार्ड उपभोक्ताओं के पास होते है या व्यापारियों के पास ?

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य के सुझाव पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : राशनिंग विभाग की रजिस्ट्रेशन के आंकडों के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या क्या है और 1961 की जनगणना और इस में क्या अन्तर है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रश्न नहीं समझ सका। मैंने बताया है कि 6,19,087 कार्ड जारी किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : जनगणना के आंकड़ों से जनसंख्या का पता चल सकता है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या दिल्ली के देहाती क्षेत्रों के लोगों ने राशन व्यवस्था की मांग की है और क्या दिल्ली में राशन की दुकानों द्वारा मोटा अनाज भी बांटा जायेगा।

श्री गोविन्द मेनन : अभी तो बड़े नगरों में राशन लागू करने की नीति है। देहातों में नहीं।

Shri Yashpal Singh : What action Government propose to take against those who have obtanied bogus cards and what will be done for those who have not received these cards?

श्री गोविन्द मेनन : जिन्हें कार्ड नहीं मिले है उन्हें दर्खास्त पर मिल जायेंगे।

श्री बसुमतारी : जब से दिल्ली राशन आरम्भ हुआ है तब से मिट्टी का तेल, चावल तथा आटा आदि वस्तुओं के न मिलने के क्या कारण है ?

श्री गोविन्द मेनन : गेहूं और चावल का राशन है और ये राशन की दुकानों पर उपलब्ध हैं ।

श्री काशीराम गुप्त : क्या सरकार को मालूम है कि क्लेर्कों में भी कुछ ऐसे लोग है जिनका राशन पूरा नहीं होता ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये इन लोगों को मजदूर वर्ग में शामिल कर लेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : राशन एक मात्रा के अनुसार दिया जाता है । हो सकता है कुछ लोगों के लिये यह अपर्याप्त हो । परन्तु यह निर्धारित है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हाल में संसद सदस्यों को पूर्व सुचना वाले अतिथियों और बिना सूचना वाले अतिथियों के लिये अतिरिक्त राशन कार्ड दिये गये है । क्या ऐसे कार्ड उन लोगों को भी दिये गये है जो कि संसद सदस्य नहीं है, जैसे दिल्ली के नागरिक ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम आशा करते है कि माननीय सदस्य इन का प्रयोग केवल अतिथियों के आने पर ही करेंगे । अन्य लोगों से हमें ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं है ।

सहकारिता सम्बन्धी वैकुंठलाल मेहता समिति

*542. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैकुंठलाल मेहता समिति ने देश के किसानों की वित्त सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने के लिये सहकारिता सम्बन्धी पूर्ण वित्त योजना की सिफ़ारिश की थी ;

(ख) सम्पूर्ण वित्त योजना कहा तक क्रियान्वित की गई है, जिससे कि किसान खेती सम्बन्धी सब आवश्यक साधन खरीद सकें ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री श्री श्यामधर मिश्र : (क) वैकुंठलाल मेहता समिति ने शिफारिश की थी कि उगाई जानेवाली फसलों के स्वरूप, प्रयोग में लाई जानेवाली खेती की आवश्यक वस्तुओं आदि को और उधार लेने वालों की लौटाने की क्षमता को भी देखते हुए किसानों की उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सहकारी समितियों से पर्याप्त ऋण मिलना चाहिए ;

(ख) व (ग) : कृषि उत्पादन ऋणों से सम्बन्धित नीति सामान्यत: उदार बना दी गयी है । फसल ऋण प्रणाली अपनाकर ऋणों को अधिकाधिक रूप से उत्पादनमुख बनाया जा रहा है । तथापि, अपर्याप्त साधनों के कारण सहकारी समितियों द्वारा सीमित मात्रा में ऋण दिए गए ।

श्री लिंग रेड्डी : क्या वित्त ऋण पत्र के आधार पर किसानों की ऋण आवश्यकताओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस का मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है । इस सम्बन्ध में दांतवाला समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । इस का अनुमान अधिकारियों ने भी लगाया है । किसानों की ऋण आवश्यकतायें लगभग

1,000 रुपये हैं । सहकारी समितियां केवल 400 करोड़ रुपये की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं और शायद चौथी योजना के अन्त तक वे 700 से 800 करोड़ रुपये की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगी ।

श्री लिंग रेड्डी : क्या वर्तमान वित्त उधार देने वाले अभिकरण किसानों की समस्त ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं हैं और यदि हां, तो सरकार उन की समस्त ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करेंगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : बिल्कुल यही बात सरकार के विचाराधीन है । मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में भी कहा है कि अपर्याप्त साधनों के कारण सहकारी समितियां किसानों की समस्त ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने भूमि बन्धक बैंकों के लिये ऋण पत्र जारी करने के लिये 36 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित कर दी है, और यह राशि किसानों की आश्वयकताओं से कम है और यदि हां, तो क्या सरकार रिजर्व बैंक से इस सीमा को अधिक उदार करने अथवा इसे हटाने के लिये कहेगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह सच है कि रिजर्व बैंक तथा जीवन बीमा निगम ने इस निधि पर सीमा निर्धारित कर रखी है, जब कि किसानों की आवश्यकतायें बहुत अधिक लगभग 50 करोड़ रुपये की हैं । हम इन निकायों से बातचीत कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या देश में सहकारी समितियों के कार्य-संचालन को देखते हुये सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ये समितियां अन्ततः किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है अथवा वे अनुभव करती है कि इसके लिये किसी अन्य अभिकरण की आवश्यकता है ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह सच है कि सहकारी समितियों की रुपरेखा अब पहले से बहुत अच्छी हैं, परन्तु इस में बहुत सी कमियां हैं । सरकार इसका लगातार, पुनरीक्षण करती रहती है । जिस सीमा तक ऋण की पूर्ति करने की आवश्यकता होगी उसे अन्य संगठनों द्वारा पूरा किया जायेगा । सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

श्री दे० जी० नायक : ऋण इस आधार पर दिया जाता है कि अमुक किसान के पास कितनी जमीन है । इस लिये छोटे किसानों को सहकारी अभिकरणों से ऋण प्राप्त नहीं होता । मैं जानना चाहता कि छोटे किसानों को पर्याप्त मात्रा में धन दिया जाय, इससे सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, ताकि कृषि उपज में वृद्धि हो सके ?

श्री श्यामधर मिश्र : केन्द्रीय सरकार तथा बहुत सी राज्य सरकारों ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । उन सिफारिशों के अनुसार चाहे किसी किसान के पास अपनी जमीन है अथवा नहीं अर्थात चाहे वह अपनी जमीन का मालिक है या केवल भुजारा है, उस की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी ।

श्री रंगा : क्या ऐसा किया जा रहा है ?

श्री श्यामधर मिश्र : ये आवश्यकतायें पूरी की जा रही हैं, तथा भूमि को गिरवी रखे बगैर ऋण दिया जा रहा है ।

श्रीमती विमला देवी : इस योजना के अनुसार किसानों को अधिकतम कितनी राशि उपलब्ध की जा सकेगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : प्रत्येक राज्य ने भिन्न सीमा निर्धारित की है । जहां तक मुझे ठीक याद है महाराष्ट्र आदि राज्यों में यह सीमा प्रति किसान लगभग 2,000 रुपये है लेकिन प्रत्येक राज्य ने अपनी प्रति किसान सीमा स्वयं निर्धारित की है ।

श्रीमती अकम्मा देवी : भूमि बंधक बैंकों द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम किस सीमा तक छोटे किसानों की सहायता करेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : कृषि पुनर्वित्त निगम किसानों की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा । यह उनकी मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा । अभी तक इस के कार्य का प्रभाव बहुत सीमित है, हमें आशा है चौथी योजना के दौरान यह अच्छी सहायता करेगा ।

श्री गौरी शंकर कक्कड : सहकारी समितियों द्वारा दीये जाने वाले अल्पकालीन ऋण से किसानों की कोई सहायता नहीं होती और इस से उन्हें कोई लाभ नहीं होता । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अल्पकालीन ऋण व्यवस्था को समाप्त करने और केवल दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन ऋण व्यवस्था को प्रारम्भ करने की स्थिति में नहीं है ?

श्री श्यामधर मिश्र : कृषि के उपज के लिये अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घ-कालीन तीनों ही प्रकार की ऋण व्यवस्था आवश्यक है । पूरी तरह विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अल्पकालीन ऋण भी आवश्यक है और इस का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ।

श्री कन्डप्पन : किसानों को उपलब्ध किये जाने वाले ऋण की धनराशि में वृद्धि करते समय, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण की राशि पर ली जाने वाली व्याज की दर में कोई वृद्धि न की जाये ?

श्री श्यामधर मिश्र : व्याज की वर्तमान दर $7\frac{1}{2}$ से 9 प्रतिशत के बीच है । इसे बहुत अधिक समझा जाता था, परन्तु पूंजी बाजार की कठिन स्थिति को देखते हुये इसे बहुत अधिक नहीं समझा जाता ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि कुछ सहकारी समितियां 8, 9 अथवा 10 प्रतिशत की दर के हिसाब से बहुत ऊंचा व्याज ले रही हैं ? यदि उत्तर हां में हो तो किसानों को वास्तविक राहत देने के लिये व्याज की दर में कमी करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : किसान के सामने पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की समस्या है, व्याज की दर की इतनी अधिक समस्या नहीं है । जैसा कि पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है व्याज की दर $7\frac{1}{2}$ से $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बीच में है, जिसे पूंजी बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुये बहुत ऊंची नहीं समझा जाता ।

केरल से राज्य सभा के लिए निर्वाचन कराना

अ० सु० प्र० सं० 9. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सभा के लिए केरल से निर्वाचन कराने के प्रश्न पर कोई विनिश्चय कर लिया है जो कि उस राज्य से सदस्यों की द्विवार्षिक निवृत्ति से उत्पन्न होता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या विनिश्चय किया गया है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सभा में केरल को बंटित स्थान, उस राज्य की नई विधान सभा के निर्वाचनों तक बिना भरे रह सकते हैं और संविधान में कोई संशोधन न किया जा सकेगा क्यों कि आगामी द्विवार्षिक निर्वाचन के सम्बन्ध में उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात को देखते हुये कि ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, सरकार यह निर्णय क्यों नही लेती कि उन रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरा जाये कि जिस राज्य में ऐसी स्थिति उपस्थित हो उसे मताधिकार से वंचित न रखा जाये ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : अध्यादेश द्वारा वहां विधान सभा का विघटन किया हुआ है । अनुच्छेद 80 (1) के अनुसार राज्य सभा—(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के उपबन्धों के अनुसार नामनिर्देशित किये जाने वाले बारह सदस्यों से तथा (ख) राज्यों के और संघराज्य क्षेत्रों के दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों से, मिल कर बनेगी । इसी अनुच्छेद का खंड (2) महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं । इस में कहा गया है कि "राज्य सभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का बटवारा चतुर्थ अनुसूची में अन्तर्विष्ट तदविषयक उपबन्धों के अनुसार होगा । जैसा कि मैं कह चुका हूं विधान सभा का विघटन किया गया है । इस संबंध में संवैधानिक संशोधन करने के लिये राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन अपेक्षित है । इस अनुसमर्थन में शेष वर्ष लग जायेगा और आगामी चुनाव मार्च में होने वाले हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : संविधान के अनुसार सदस्य निर्वाचित घोषित होने पर मतदाता बन जाते हैं । केरल के मामले में सदस्य विधिवत निर्वाचित किये गये थे, केवल विधान सभा की बैठक नही हुई थी । विधान सभा का विधिवत गठन नही किया गया था तथा इस का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था । परन्तु सदस्यों का मताधिकार सुरक्षित है । इस चुनाव में विधान सभा राज्य सभा के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन नही करती है, बल्कि यह निर्वाचन विधान सभा के लिये चुने गये सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रुप से किया जाता है । क्या इस बात की जांच की गई है और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इसी कारण से मैंने अनुच्छेद 80(2) पर जोर दिया था । राज्यसभा के लिये निर्वाचन विधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो कि इस प्रयोजन के लिये निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस स्थिति की जांच की गई है और यदि हां, तो सरकार की क्या स्थिति है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इस की जांच की गई है । सिद्धान्त स्पष्ट है । जहां तक लोक सभा का सम्बन्ध है प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधा लोगों द्वारा किया जाता है । जहां तक राज्य सभा का सम्बन्ध है अनुच्छेद 80(3) के अन्तर्गत नाम-निर्देशित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सब सदस्य "राज्यों के प्रतिनिधियों" की पदावलि में आते है । इस की जांच की गई है । वहां सभा का विघटन किया गया है । और उस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है । उसे इस चुनाव के लिये पुनर्गठित नहीं किया जा सकता ।

श्री वासुदेवन नायर : राज्य सभा में केरल के लिये 9 स्थान हैं, जिन में से एक पहले ही रिक्त है तथा आगामी मास में तीन स्थान और रिक्त हो जायेंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि केरल के 9 में से केवल 5 सदस्य होंगे । क्या सरकार ने संविधान में अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की संभावना की जाच की है, ताकि वर्तमान सदस्यों को वर्ष 1967 में होने वाले चुनाव तक राज्य सभा के सदस्य बने रहने की अनुमति दी जावें ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह संभव नहीं है । इस का मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं । इसके लिये संविधान में संशोधन करना आवश्यक है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि सरकार इस बात का उपबन्ध करने के लिये संविधान में कोई संशोधन नही करना चाहती तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या केरल से राज्य सभा के लिये निर्वाचन वर्ष 1967 में आम चुनाव के तुरन्त बाद किये जायेंगे अथवा वर्ष 1968 में होने वाले आगामी राज्य सभा के चुनावों तक प्रतीक्षा की जायेगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वर्ष 1967 में नई विधान सभा का गठन होने के बाद चुनाव कराना संभव होगा । इस में कोई कठिनाई नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह स्पष्ट है कि संविधान के निर्माताओं में ऐसी स्थिति का पूर्वानुमान नही लगाया था । इस बात को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार संविधान में कोई ऐसा संशोधन करने का है जिस के अन्तर्गत न केवल यह मामला आ जाये बल्कि अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरुप होने वाले मामले उसके अन्तर्गत आ जायें ? सरकार इन सामान्य प्रश्नों संबन्धित संशोधन पेश क्यों नहीं करती है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : माननीय सदस्य प्रख्यात विधिवक्ता हैं । उन की इस बात पर विचार किया जायेगा ।

श्री त्यागी : जहां तक मैं समझता हूं राज्य सभा के चुनाव राज्यों द्वारा नहीं बल्कि विधान मंडलों द्वारा किये जाते हैं । राज्यों का उल्लेख केवल उन की जनसंख्या के प्रयोजन के लिये किया जाता है जैसे एक विशेष राज्य से कितने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जायगा । वस्तुतः चुनाव विधान सभा के द्वारा नहीं किये जाते, अपितु संकल्प के आधार पर किये जाते । विधान सभा एक मतदान केन्द्र का कार्य करती है, जहां किसी एक विशेष उम्मीदवार को मत दिया जा सकता है, इस लिये विधान सभा के बिधन हो जाने के बाद भी सदस्यों से मतदान करने को कहा जा सकता है । मैं नही जानता इस में क्या कानूनी रुकावट है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मैं समझता हूं कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, परन्तु मैं अपना कथन दोहराता हूं । हालांकि हमारा मामला बिल्कुल अमरीका जैसा नहीं है जहां प्रत्येक राज्य सैनेट में दो प्रतिनिधि भेजता है, फिर भी संविधान में यह स्पष्ट है कि विज्ञान अथवा अन्य सेवाओं के उपलक्ष में राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों को छोड़ कर अन्य सभी सदस्य "राज्यों के प्रतिनिधियों" की पदावलि में सम्मिलित हैं ।

श्री हेम बरुआ : चूंकी केरल जैसी स्थिति अन्य राज्यों में और विशेषतया पश्चिम बंगाल में भी उत्पन्न हो सकती है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी संभावित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया है तथा क्या वे ऐसी कठिनाई से बचने के लिये संविधान में कोई उचित संशोधन करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री बदरुद्दुजा : हाल में स्थानीय निकाय क्षेत्र से हुये चुनाव में बंगाल में उन लोगों को मताधिकार दिये गये थे, जो जेल में बन्द थे, मैं जानना चाहता हूं कि जब जेल में बन्द सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया जाता है, तो लोगों द्वारा निर्वाचित विधान सभा के सदस्यों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल अलग मामला है ।

Shri Bagri : Legal obstacles come in the way of elections of Members to Rajya Sabha and certain State are not represented there. May I know whether this House will consider the desirability of abolishing Rajya Sabha, because that House is like a white elephant and no useful purpose is surved by that House?

श्री मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट है कि केरल में वर्ष 1967 में चुनाव होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह अन्तिम एवं पक्का निर्णय कर लिया है कि 1967 में केरल में आम चुनाव कराये जायें अथवा वे जब तक प्रतीक्षा करेंगे तब तक सत्ताधारी दल को यह पूर्ण विश्वास न हो जाता कि वह बहुमत से जीत सकेंगे ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Madhu Limaye : There is no justification for keeping any vacancy in Rajya Sabha and under article 80 every State should be represented in that House. This provision is mandetery under Fourth Schedule. In my opinion to deprive a particular State from its representation in Rajya Sabha is in contravention to article 80. May I know whether article 80(4) has been examined from this point of view?

Mr. Speaker : The question is whether article 80(4) has been examined.

श्री पट्टाभिरामन् : जी, हां ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : उन निर्वाचित सदस्यों को कम से कम राज्य सभा के लिये अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अवसर दिये बिना राष्ट्रपति का शासन लागू करके राज्यपाल केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रपति द्वारा प्रदर्शित अत्याधिक कर्तव्य विमुखता को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार भविष्य में कम से कम यह बात ध्यान में रखेगी कि राज्य सभा के लिये चुनाव होने से पहले विधान मंडलों को भंग नहीं किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Agricultural Production

*540. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether the Minister of Irrigation and Power has circulated a note on "Measures for rapid filling of our food basket";

(b) whether he has suggested the constitution of a joint committee consisting of agriculture and irrigation experts to implement this scheme; and

(c) if so, his reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation Shri Shaymdhar Mishra : (a) & (b). Yes, Sir.

(c) The matter is under consideration.

राज्यों में राशन व्यवस्था का लागू किया जाना

*543. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामसहाय पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशन व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में निर्धारित नीति को राज्य किस सीमा तक क्रियान्वित कर पाये हैं ; और

(ख) इस नीति को क्रियान्वित करने के यदि कोई कारण हैं, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : सांविधिक राशन व्यवस्था कलकत्ता, सिलीगुड़ी कामप्लेक्स, असनसोल-दुर्गापुर कामप्लेक्स, मद्रास, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद-सिकन्दराबाद, विशाखापत्तनम और कानपुर में लागू की जा चुकी है । पहली अप्रैल, 1966 तक बृहत्तर बम्बई, पुना, नागपुर और शोलापुर में भी सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का विचार है । एक सोपान कार्यक्रम के अनुसार अन्य शहरों में भी सांविधिक राशन व्यवस्था लागू की जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम

*544. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को अनाज के व्यापार करने की सभी राज्यों में अनुमति नही दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो जब इस प्रकार के अन्य कार्य भाण्डागार निगम के माध्यम से किये जा सकते हैं, तो फिर ऐसा निगम बनाने का अभिप्राय क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) इस समय खाद्य निगम के कार्यालय 8 राज्यों में कार्य कर रहे हैं और ज्यों ही इसका अनुभव बढ़ जाएगा त्योंहीं इसकी गतिविधियां अन्य राज्यों में बढ़ायी जाएंगी ।

(ख) उत्तर के भाग (क) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता । इसके अलावा, भाण्डागार निगम का खाद्यान्नों का व्यापार करना काम ही नहीं है ।

सामान्य सिविल संहिता

***545. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज में बदलते तथा विकसित होते हुए ढांचों और सामाजिक धारणा में हुए विकास के अनुरूप हिन्दू संहिता के उपबन्धों को अन्य समुदायों पर लागू करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या सरकार इस बात को समझती है कि विभिन्न समुदायों तथा जातियों के लिए विभिन्न कानून संहिताएं निरपेक्षता तथा राष्ट्रिय एकता की भावना के विरुद्ध हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत में व्यवहृत सिविल संहिता, स्वीय विधियों के सिवाय पहले ही एकरूप है । किन्तु सरकार ऐसा नहीं समझती कि स्वीय विधियों में एकरूपता का जो अभाव है उससे, धर्म निर्पेक्षता को अक्षुण्ण रखने और राष्ट्रीय एकीकरण की अभिवृद्धि करने के प्रयोजन के लिए समुचित उपाय करने के सरकार के प्राधिकार में किसी प्रकार कमी आई है ।

खाद्यान्नों के मूल्य

***546. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री मा० ल० जाधव :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1965 को जो मूल्य थे उनकी तुलना में 31 जनवरी, 1966 को गेहूं (आयातित तथा देशी), चावल, दालों, घी और वनस्पति घी सहित खाद्य तेलों के मूल्य क्या थे ,

(ख) एक वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर, अर्थात 31 जनवरी, 1966 को इन में से प्रत्येक वस्तु के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) एक विवरण जिसमें जनवरी, 1966 में गेहूं, चावल, दालें, घी और वनस्पति सहित खाने के तेलों के थोक भावों की जनवरी 1965 के भावों के साथ तुलना की गयी सभा के पटल पर रखा जाता है । (अनुबन्ध एक) **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये, संख्या एल० टी० 5777/66 ।]**

(ख) एक दूसरा विवरण जिस में जनवरी 1965 की अपेक्षा जनवरी 1966 में इन वस्तुओं के भावों में वृद्धि और गिरावट की प्रतिशत दी गयी है सभा के पटल पर रखा जाता है । (अनुबन्ध 2) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5777/]

(ग) एक विवरण जिस में खाद्यान्नों के भावों को कम करने के लिये उठाए गए उपाय दिए गए हैं सभां के पटल पर रखा जाता है । (अनुबन्ध 3) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5777/66]

राशन व्यवस्था लागू करने के लिए राज्यों को सहायता

*547. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि राशन व्यवस्था लागू करने के लिए उन्हें कोई वित्तीय सहायता देना केन्द्र के लिए संभव नहीं होगा ;

(ख) क्या यह राज्यों को पहले दिये गये वचन का उल्लंघन नहीं है ; और

(ग) पूर्व निर्णय में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) नई दिल्ली में 6-8-1965 को हुये मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि भारत सरकार शहरों और कस्बों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने और चलाने की पूरी लागत वहन करने की सम्भावना पर विचार करे । नई दिल्ली में 8-11-1965 को मुख्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें फिर इस मामले पर चर्चा की गयी और यह अन्तिम रूप से निर्णय किया गया कि राज्य सरकारें खाद्यान्नों की निर्गम कीमतों में उपयुक्त ढंग से वृद्धि कर के सांविधिक राशन व्यवस्था की लागत को पूरा करें ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में फसलों का बीमा

*548. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री दे० द० पुरी :

श्री विभूति मिश्र :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनरोध किया गया है कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में फसलों का बीमा होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां; तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

केन्द्रीय सरकार कानून लागू करने के सम्बन्ध कदम उठा रही है जिसके राज्य अपने चुने क्षेत्रों में फसल बीमा योजना चालू कर सकेंगे ।

Carriage of Air Mail between India and U.S.S.R.

*549. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had approached the Soviet Government regarding the non-utilisation of Air-India services for carrying mail from Russia to India.

(b) whether it is also a fact that the mail from Russia to India was carried even by the Pakistani planes in addition to Russian planes; and

(c) if so, the latest position in this regard?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism Shri Sanjiva Reddy : (a) Yes, Sir. The Posts and Telegraphs Department of the Government of India had approached the Postal Administration of U.S.S.R. about non-utilisation of Air-India service for carrying mail from Russia to India.

(b) It is fact that, on a number of occasions, airmails from Moscow for India were received at Delhi and Bombay through Karachi on Pakistan International Airlines flights. But we have no knowledge as to how on these occasions mails were conveyed from Moscow to Karachi.

(c) Pakistan International Airlines flights were suspended from 2nd September, 1965 and as such no mails from Moscow were received through their services. Considerable mails are received through the Aeroflot (U.S.S.R. airline) at Delhi. Air-India flights from Moscow to Bombay and Delhi are also being utilised now by U.S.S.R. authorities for sending their mails to Bombay and Delhi.

Recommendations of Gadgil Committee on Co-operative Farming

*550. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Food, Agriculture Community Development** and **Co-operation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 400 on the 23rd November, 1965 and state :

(a) whether the reactions of the State Governments to the recommendations of the Gadgil Committee on Co-operative Farming have been received

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to implement the recommendations of the Gadgil Committee?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation Shri Shyam Dhar Mishra : (a) The reactions of the State Governments of Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore and Punjab have been received so far.

(b) A summary of the comments received is placed on the table of the House. **(Placed in the Library See No. L. T. 5778/66.)**

(c) The matter is under consideration in consultation with the Planning Commission.

गोंडा संसदीय निर्वाचन के मामले में अपील

*551. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या विधि मंत्री 7 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तथ्यों तथा परिस्थितियों का पता न लगाने के क्या कारण हैं जिनके कारण उच्च न्यायालय द्वारा गोंडा संसदीय निर्वाचन सम्बन्धी मुकदमे में अपील को निबटाने में विलम्ब हुआ है ; और

(ख) मकदमे की इस समय क्या स्थिति है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) और (ख) : अपील में पक्षकार न होने के कारण, सरकार के पास इस विषय में उच्च न्यायालय में जाने की कोई अधिकारिता नहीं है ।

राजस्थान के जालौर जिले में भूमि का विकास

*552. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जालौर ज़िले में लगभग 200 वर्ग मील भूमि के ऐसे बड़े भाग का पता लगा है जिसमें बड़ी मात्रा में भूमिगत जल है ;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि के (एक) कितने भाग में खेती की जाती है, (दो) कितने पर गैर-सरकारी स्वामित्व है, और (तीन) कितने भाग सरकार के अधिकार में है ;

(ग) क्या वहां बड़े फार्म खोले जा सकते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार विशेषरूप से वर्तमान खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस भूमि का प्रभावी तथा शीघ्र विकास करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) समन्वेषी नलकूप संस्था अकालग्रस्त क्षेत्रों से अकाल दूर करने तथा सिंचाई कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिये नलकूपों के निर्माण में राजस्थान सरकार की मदद कर रही है । संस्था ने जालौर ज़िले में 37 स्थानों पर बोरिंग की हैं जिनमें से 31 सफल सिद्ध हुए हैं ।

(ख) से (घ) : राज्य सरकार से सूचना मांगी जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

एयर इण्डिया की जकार्ता के लिये विमान सेवा

*553. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डोनेशिया की सरकार ने यह इच्छा प्रकट की है कि एयर इण्डिया की विमान सेवायें जकार्ता के लियें और 'गरुड़' की विमान सेवायें बम्बई के लिये पुनः आरम्भ की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

भारतीय मालवाहक जहाज 'जनुषा'

*554. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 फरवरी, 1966 में बम्बई, गोदी में एक भारतीय मालवाहक जहाज 'जनूषा' में आग लग गई और जहाज का ढांचा मात्र रह गया और 1 करोड़ रुपये से भी अधिक की हानि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : घटना के तथ्यों को देने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 5779/66]**

कलकत्ता पत्तन के तट पर काम करने वाले मजदूरों की हड़ताल

*555. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के तट पर काम करने वाले "बी" श्रेणी के लगभग 3,000 मजदूरों ने 24 दिसम्बर, 1965 को हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो मजदूरों की क्या शिकायतें थी तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या हड़ताल अभी चल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक हड़ताल का समझौता न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : कलकत्ता पत्तन के 'बी' वर्ग के कर्मचारी जिनकी संख्या 2400 है, 24 दिसम्बर, 1965 से काम पर नहीं आ रहे हैं । उनकी मांग यह है कि या तो उन्हें 'ए' वर्ग के स्थायी कर्मचारियों में परिवर्तित कर दिया जाय या स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ उन्हें भी दिये जाये ।

कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों के अनुसार 'ए' वर्ग के 2000 से अधिक कर्मचारी फालतू हैं । अत: 'बी' वर्ग से कर्मचारियों को 'ए' वर्ग में परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है । फिर भी सरकार ने बड़े पत्तनों में 'बी' वर्ग के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों के सुधार के प्रश्न की जांच करने और उचित सिफारिश करने के लिए एक सदस्य समिति स्थापित करने का निर्णय किया है । इस निर्णय की घोषणा भी कर दी गयी है ।

मैसूर को उर्वरकों का संभरण

*556. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**

श्री टे० सुब्रह्मण्यम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रीष्मकालीन फसलों के लिये मैसूर के सिंचित क्षेत्रों के लिये अब तक बिल्कुल भी उर्वरक नही दिये गये हैं ;

(ख) क्या इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि ग्रीष्मकाल में केवल नमी वाले क्षेत्रों के लिये ही उर्वरक दिये जाने चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो मैसूर में तुंगभद्रा परियोजना के सिंचित क्षेत्र की पूरी मांग को अविलम्ब पूरी करने के लिये उर्वरकों के संभरण के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) मैसूर सरकार से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) मैसूर सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु राज्य सरकार ने रायचुर ज़िले की तुंगभद्रा परियोजना के सिंचित क्षेत्रों के लिये उर्वरकों के नियतन के बारे में एक प्रार्थना भेजी है।

(ग) राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपने 1965–66 के नियतन में से ही तुंगभद्रा परियोजना के सिंचित क्षेत्रों के लिये उर्वरकों के संभरण की व्यवस्था करे। अप्रैल-जून 1966 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार को 5,000 मीटरी टन सल्फेट आफ अमोनिया तथा इतना ही यूरिया का अग्रिम रूप से नियतन किया गया है। मार्च तथा अप्रैल, 1966 में केन्द्रीय भण्डार से इन मात्राओं के संभरण की व्यवस्था की जा रही है।

खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार

*557. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री बसुमतारी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये अनाजों से पर्याप्त रक्षित भंडार बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस योजना नीति सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : भारत सरकार का 60 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों जिन में 40 लाख मीटरी टन गेहूं और 20 लाख मीटरी टन चावल है, का एक आरक्षित भंडार तैयार करने का विचार है। प्रस्तावित आरक्षित भण्डार मुख्यतः पी० एल० 480 के अधीन आयातों से तैयार किया जाएगा। चावल का बफर स्टाक मुख्यतः आन्तरिक अधिप्राप्ति साथ ही विदेशी आयातों से तैयार किया जायेगा।

राज्य में पंचायती राज प्रणाली

*558. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली लागू कर दी है ;

(ख) अन्य राज्यों द्वारा पंचायती राज प्रणाली लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) शेष राज्य इस प्रणाली को कब लागू करेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5780/66**]

चारे और पेय जल की कमी

*559. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चारे और पेय जल की अत्यन्त कमी को दूर करने के लिये केन्द्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात का कोई हिसाब लगाया है कि चारे और खाद्य पदार्थों की कमी के कारण कितने पशु बूचड़खानों में भेजे गये हैं अथवा अपने आप मर गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) चारे की कमी के कारण पशुओं के मरने या उन्हें बूचड़खाने में भेजे जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 5781/66 ।**]

बंगाल-आसाम स्टीमर सेवा

*560. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 16 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 241 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवर स्टीम नेवीगेशन के कर्मचारियों समेत पश्चिम बंगाल तथा आसाम के बीच चलने वाले स्टीमरों के कर्मचारियों का भारतीयकरण करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : आसाम की नदियों में रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी द्वारा चलाये गये बेडे के कर्मचारियों का भारतीयकरण करने के लिये कदम उठाये जा रहे है । परन्तु आजकल नदी सेवाएं पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच बन्द हैं ।

विदेशों से सहायता

*561. श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री धर्मलिंगम :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक कमी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विदेशों की सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों से अनाज, खेती के औजारों, दुग्ध चूर्ण, मिट्टी खोदने वाले उपकरणों, कीटनाशक औषधियों आदि के रूप में आपातकालीन सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में विभिन्न देशों तथा संस्थाओं आदि ने क्या उत्तर दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्याम सुन्दर मिश्र) : (क) तथा (ख) : जी हां। इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों तथा एजेन्सियों के उत्तर का विवरण अतारांकित सूचना प्रश्न नं० 4 के उत्तर में 9 मार्च, 1966 को लोक सभा के पटल पर पहले ही रख दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम का कार्य-संचालन

*562. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1966 के समाचार पत्र "स्टेट्स मैन" में प्रकाशित, भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध निदेशक के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राज्य भारतीय खाद्य निगम को समाहार कार्य सौंपने के अनिच्छुक हैं और निगम उतने प्रभावी तथा सक्रिय ढंग से काम करने में असमर्थ रहा है, जितनी कि आरम्भ में आशा थी ; और

(ख) यदि हां, तो निगम के कार्य को सफल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि खाद्य निगम प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहा है। आशय यह था कि खाद्य निगम की गतिविधियों को धीरे धीरे विभिन्न राज्यों में बढ़ाया जाय। ऐसा किया भी जा रहा है। खाद्य निगम इस समय आठ राज्यों में कार्य कर रहा है और आशा है कि कुछ और राज्यों में भी इसकी गतिविधियां बढ़ायी जायेंगी। क्योंकि अनिवार्य लेवी द्वारा अधिप्राप्ति की जाती है, इसीलिये यह सोचा गया है कि यह कार्य खाद्य निगम की अपेक्षा राज्य सरकारों द्वारा अच्छी तरह किया जा सकता है क्योंकि खाद्य निगम किसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तथापि, खाद्य निगम खाद्यान्नों के संचयन तथा संचलन से सम्बन्धित सभी कार्य कर रहा है।

केरल के परिवहन विभाग को हुई हानि

2111. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में परिवहन विभाग को फालतू पुर्जों के एक टेंडर को बदलने के कारण 26,300 रुपय की हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता है।

केरल के लिये मत्स्य पालन निगम

2112. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के लिये मत्स्य पालन निगम कब तक बन जायेगा ; और

(ख) इसका स्वरूप क्या होगा और इसके सदस्य कौन-कौन होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) केरल सरकार का केरल मात्स्यकी निगम लि० के नाम से एक मात्स्यकी निगम स्थापित करने का विचार है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार इस निगम को इस महीने के अन्त से पहले पंजीकृत करवाने की सम्भावना है।

(ख) प्रस्तावित निगम राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होगी जिसकी हिस्सा पूंजी 5 करोड़ रुपये होगी जोकि सारी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। निदेशक बोर्ड में राज्य सरकार के अधिकारी और मछली हरण उद्योग के प्रतिनिधि होंगे।

केरल में धान के मूल्य का निर्धारण

2113. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कुट्टनाड के जमीदारों ने धमकी दी है कि यदि धान का मूल्य 75 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित नहीं किया गया तो वे भूमि को बेकार रखेंगे ;

(ख) क्या सरकार का विचार उसे अपनी उपज देने वाले लोगों को बाजार से कुछ अधिक मूल्य देने का है ; और

(ग) उन्हें भूमि को बेकार रखने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। इस विषय पर प्राप्त ज्ञापनों में बताया गया है कि यदि धान का मूल्य 75 रुपये प्रति क्विंटल न दिया गया तो काश्तकार धान की भूमि बेकार रखने के लिये विवश हो जाएंगे।

(ख) और (ग) : सरकार केरल में पहले ही उत्पादकों को अधिकतम मूल्य नियन्त्रण आदेश के अधीन निर्धारित अधिकतम मूल्य दे रही है। इन मूल्यों के अलावा, सरकार अधिसूचित तारीख से पहले स्वैच्छा से दी जाने वाली धान पर सुपुर्दगी बोनस दे रही है। सांविधिक लेवी से ज्यादा धान देने पर एक प्रोत्साहन बोनस भी दिया जा रहा है।

सहकारी विपणन संस्थाएं

2114. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी विपणन संस्थाएं चलाने के लिए अधिकारियों की पृथक पदाली बनाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पदाली की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत चौथी योजना अवधि में राज्य शीर्ष विपणन समितियों को इस योग्य बनाया जाएगा कि वे अपनी सम्बद्ध विपणन/विधायन समितियों में प्रबन्धकों तथा लखपालों के पदों पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त कार्यकर्ताओं का एक पूल बनाएं। इस पूल के गठन की लागत के लिए शीर्ष विपणन समितियों को उपदान दिया जाएगा। आशा है कि, यथासमय, यह पूल विपणन समितियों के कार्यकर्ताओं के लिए एक सामान्य संवर्ग का केन्द्रक बन जाएगा।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा भारत का रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकार के बीच क्षेत्राधिकार का विवाद

2115. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचालन के लिये भारत के रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये गए प्राधिकारी के बीच क्षेत्राधिकार का कोई विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद किस प्रकार का है ; और

(ग) वे ठीक प्रकार से काम करें उसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) : बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट (1949) (जो कि सहकारी समितियों को लागू है) के अधीन सहकारी बैंकों के बारे में कुछ विनियम सम्बन्धी अधिकार रिजर्व बैंक को सौंपे गए हैं, ताकि उनके कार्य देश के सामान्य मुद्रा अनुशासन के अनुरूप हों। ये अधिकार हिस्सों में धन लगाने, पेशगियाँ मंजूर करने, शाखाएं खोलने, नियतकालिक विवरण मांगने, जन-हित में निदेश जारी करने का अधिकार, आदि के बारे में हैं। इन अधिकारों का प्रयोग करने में रिजर्व बैंक राज्य सरकारों तथा सहकारी समितियों के निदेशकों के निकट तालमेल में कार्य करेगा और विवाद की कोई सम्भावना नहीं है।

केरल में समाहार तथा उद्ग्रहण (लैवी) व्यवस्था

2116. **श्री प० कुन्हन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के किसानों से समाहार तथा उद्ग्रहण (लेवी) व्यवस्था के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां। कुछ लोगों से धान की अधिप्राप्ति के मूल्य में वृद्धि करने, थोड़ी भूमि वालों को छूट देने और भूमि का पुन: वर्गीकरण करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) काश्तकारों को पहले ही अधिकतम मूल्य नियन्त्रण आदेश के अधीन धान के लिये निर्धारित अधिकतम मूल्य दिया जा रहा है। इन मूल्यों के अतिरिक्त अधिसूचित तारीख से पहले स्वैच्छा से लेवी देने वाले सभी काश्तकारों को सुपुर्दगी बोनस दिया जाता है। लवी से ज्यादा मात्राएं देने पर एक प्रोत्साहन बोनस भी दिया जाता है। किसानों को राहत देने की दृष्टि से लेवी के लिये भूमि के वर्गीकरण मे भी उपयुक्त संशोधन किया गया है। कलक्टरों को यह अनुदेश दिये गये हैं कि वे 2 एकड़ तक की थोड़ी भूमि वाले काश्तकारों से देय लेवी एकत्रित करने के लिये किसी प्रकार का बल प्रयोग न करें। कलक्टरों को यह भी अनुदेश दिये गये हैं कि यदि भूमि के वर्गीकरण के लिये अपनाये गये पैदावार के आंकड़ों से स्पष्टत: कम पैदावार होती है तो वे ऐसे मामलों में लेवी में समुचित कमी करें।

अत: यह सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक सम्भव कदम उठाया गया है कि अधिप्राप्ति योजना से उत्पादकों को किसी प्रकार की अनुचित कठिनाई न हो। केवल चालू फसल सीज़न के बाद ही योजना में किसी प्रकार का संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है।

विभिन्न राज्यों में राशन के कोटे की मात्रा

2117. **श्री प० कुन्हन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में दिये जाने वाले राशन की मात्रा में जो अन्तर किया गया है, उसका आधार क्या है; और

(ख) क्या विभिन्न राज्यों की खानपान की आदतों को ध्यान में रखते हुए सारे देश में राशन की समान मात्रा निश्चित करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) : सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों में अनाज के राशन का अखिल भारतीय मानक 2 किलोग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है। अब तक सांविधिक राशन व्यवस्था के अन्तर्गत आये विभिन्न शहरों में राशन में वास्तव में दी जाने वाली मात्रा न्यूनाधिक इस मानक के हिसाब से दी जाती है, इसमें घट-बढ़ मामूली होती है जोकि राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निश्चित की जाती है।

Development of Horticulture in Maharashtra

2118. Shri D. S. Patil :

Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether full use has been made of the grant given to the Maharashtra Government for the year 1965-66 for the development of "Horticulture"; and

(b) the amount of grant proposed to be given for this purpose to that State during the year 1966-67?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shaym Dhar Mishra): (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Minor Irrigation in Maharashtra

2119. Shri D. S. Patil :

Shri Tulsidas Jadhav :

Shri D. D. Mantri :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government have received anv request from the Government of Maharashtra for the allocation of additional funds during 1966-67 for utilisation under minor irrigation schemes in the State; and

(b) is so, the decision taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra): (a) No. Sir. For 1966-67, the Maharashtra Government had proposed an outlay of Rs. 7·35 crores for minor irrigation programme against which an outltay of Rs. 8·50 crores has been approved.

(b) The question does not arise.

Water Tanks in Maharashtra

2120. Shri D. S. Patil :

Shri Tulshidas Jadhav :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** bc pleased to State :

(a) the number of water tanks at present in Maharashtra put to use under the minor irrigation scheme ;

(b) the amount of grant sanctioned under the Third Five Year Plan for repairs and re-construction of old tanks as also for construction of new tanks under the minor irrigation scheme in Maharashtra ;

(c) the number of tanks repaired, re-constructed and newly constructed out of the grant already given to that State ; and

(d) the amount so far spent on the minor irrigation works, that is, on wells, tanks, etc.

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) to (d). The required information is being collected from the Maharashtra Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received from them.

ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ पर नियंत्रण

2121. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ द्वारा सोची गई बाटम पेनलिंग की विधि गोहाटी से 20 मील दूर हाथीमूरा में ब्रह्मपुत्र नदी में प्रयोग में लाई गई है और इसके अद्भुत परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या यह विधि जो 12 मास पहले प्रयोग में लाई गई थी, बाढ़ों, भूमि कटाव तथा गाद की समस्याओं को हल करने के लिये बड़ी कारगर उपाय सिद्ध हुई है;

(ग) क्या यह योजना 35 मील लंबी गोहेनगांव नदी को, जिसके कारण इस वर्ष जोरहाट में भयानक बाढ़ें आई थीं, गाद निकालने के लिये प्रयोग में लाई जा रही है; और

(घ) भूमि कटाव को रोकने के लिये अब किन अन्य परियोजनाओं को आरम्भ करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : हाथीमुरा पर नौमार्ग की नौचालन गहराई को सुधारने के लिये फ्रांसीसी विशेषज्ञ की तकनीकी देखरेख में किया गया बाटम पेनलिंग प्रयोग से आशाजनक परिणाम निकले हैं । किया गया तकनीक, नदी की सहायक शाखा को बंद करने में और इस प्रकार पानी का बहाव इससे होकर नौचालनयोग्य नौमार्ग में डालने में प्रभावकारक सिद्ध हुआ है । इसके तट को काटने, बाढ़ इत्यादि पर इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों को अभी जांच की जायेगी ।

(ग) कमलावरी नौमार्ग में और अधिक पानी लाने के प्रयोजन से गोसाई गांव धारा (कोकिला नाला) को बन्द करने के लिये नीमती पर भी बाटम पेनलिंग प्रयोग किया जा रहा है ।

(घ) डिब्रुगढ़ और धुब्री पर बाटम पेनलिंग प्रयोग करने का विचार है । भूरक्षण के लिये ठोकरों का निर्माण, पुश्ता लगाने का काम और तट को मजबूत बनाने जैसे अन्य उपायों को जारी रखा जायेगा । तट से धारा को दूर ले जाने के लिये चुने हुय स्थलों पर नकर्षण करने का भी प्रस्ताव है ।

बड़े नगरों में गृह निर्माण संस्थाओं के लिये भूमि का अर्जन

2122. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा 24 दिसम्बर, 1965 को दिये गये इस निर्णय पर ध्यान दिया है कि किसी सहकारी गृह निर्माण संस्था के लिये भूमि अर्जित करना सार्वजनिक हित में नहीं होता ; और

(ख) क्या बम्बई जैसे बड़े नगरों में मकानों की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये सहकारी संस्थाओं द्वारा भूमि अर्जित करने का काम आसान बनाने तथा उन्हें प्रभावी शक्तियों देने के लिये सरकार का कोई उपयुक्त विधान बनाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय पर महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार के विचार जानने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो केन्द्रीय सरकार द्वारा मामले पर विचार किया जाएगा।

खाद्यान्नों का समाहार

2123. **श्री कोल्ला वेंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

श्रीमती मैमूना सुल्तान :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य में कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) भंडार सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) अधिप्राप्ति का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, प्रत्येक राज्य में सरकारी खाते में खाद्यान्नों की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के प्रयत्न किये गये हैं।

(ख) सरकार प्रत्येक राज्य में उपयुक्त केन्द्रों पर गोदामों का निर्माण कर और गोदाम किराये पर ले कर आवश्यक भण्डारण स्थान की व्यवस्था कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर, केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों और सहकारी समितियों के गोदामों का भी उपयोग किया जाता है।

अनाज से बना भोजन परोसने पर प्रतिबन्ध

2124. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन को अनाज से बने भोजन परोसने पर समान प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे खान-पान गृहों में चावल खाने वाले राज्यों में सप्ताह में एक दिन और गेहूं खाने वाले राज्यों में सप्ताह में दो दिन चावल परोसने पर प्रतिबन्ध लगायें। उनसे यह भी निवेदन किया गया कि वे राज्यों में सोमवार को अनाज का भोजन देने पर प्रतिबन्ध लगायें।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Delhi Guests Control Order

2126. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Food, Agriculture Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether cases have been filed against some persons in Delhi during December, 1965 under the Guests Control Order ;

(b) if so, the number of such cases filed in the courts ; and

(c) the number of arrests made ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Govinda Menon) : (a) No case of violation of Delhi Guests Control Order, 1965 were detected in Delhi during December, 1965.

(b) & (c). Do not arise.

Production of Fruits in Hilly Areas of U.P.

2127. Shrimati Savitri Nigam : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government had requested for some financial assistance in 1964-65 for a master plan regarding the production of fruits in the hilly areas ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) No such request was received from the State Government.

(b) Does not arise.

हल्दिया के लिये आयोजन बोर्ड

2128. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल में हल्दिया के लिये एक आयोजना बोर्ड स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मंजूर कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार से मालूम हुआ है कि हल्दिया के पूर्ण विकास की योजना तैयार करने के लिये 1966-67 में 2 लाख रुपये के आवंटन के लिये उसने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की नगर और ग्राम योजना संस्था को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस योजना को तैयार करने की कुल लागत 5 लाख रुपये अनुमानित की गयी थी। अब इस प्रस्ताव पर नगर और ग्राम योजना संस्था योजना आयोग के परामर्श में विचार कर रही है और पश्चिम बंगाल सरकार इसकी मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। भारत सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के अनुमोदित किये जाते ही पश्चिम बंगाल सरकार की कलकत्ता मेट्रोपोलिटन प्लानिंग संस्था द्वारा हल्दिया के लिये पूर्ण विकास योजना तैयार करने का काम शुरू किया जायगा। हल्दिया के लिये एक अलग योजना और विकास प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

त्रिवेन्द्रम में प्रकाश स्तम्भ का निर्माण

2129. **श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री : त्रिवेन्द्रम में प्रकाश स्तम्भ के बारे 7 दिसंबर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1934 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितना धन नियत किया गया है; और

(ग) इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) त्रिवेन्द्रम में दीप-घर बनाने के लिये 28-2-66 को भूमि ठेकेदार को दे दी गयी है और निर्माण काम के शीघ्र शुरू किये जाने की संभावना है।

(ख) त्रिवेन्द्रम दीप-घर के लिये कुल 17,48,100 रुपये की राशि मंजूर की गयी है। इस राशि में से 4,27,000 रुपये सिविल इंजीनियरी निर्माण-कार्यों के लिये है।

(ग) इस निर्माण कार्य के अगस्त, 1967 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।

दुमंजिली बसें

2130. **श्री बागड़ी :**
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले समय में यात्रियों को ले जाने में दुमंजिली बसें बहुत लाभदायक सिद्ध हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1966-67 में कुछ और दुमंजिली बसें चालू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसके लिये कितनी राशि नियत की गई है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) 1966-67 में दिल्ली परिवहन संस्थान का अपने बेडे में कुछ और डबल डेक आरटिकुलेटेड ट्रक्टर टैलर टाइप की गाड़ियाँ लेने का प्रस्ताव है।

(ग) इस प्रयोजन के लिये 1966-67 के संस्थान के बजट में लगभग सात लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

केरल में पत्तन

2131. **श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री केरल में पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में 7 दिसंबर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1926 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में अब तक और कितनी प्रगति हुई है और उसका ब्यौरा क्या है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : अध्यक्ष, राष्ट्रीय नौवहन मंडल ने निम्न सुझाव दिये हैं :—

1. त्रिवेन्द्रम के पार्श्व देश के लिये खाद्यान्न और फरटिलाइजर आयात की धराउठाई पत्तन द्वारा की जानी चाहिये।
2. अलेप्पी पत्तन को दो नये टगों की व्यवस्था करके, स्तंभों की मरम्मत करके और अतिरिक्त बिजली क्रेन लगा कर उन्नत किया जाना चाहिये।
3. तटीय माल पर भारतीय बीमा कम्पनियों द्वारा लगाई गई बीमा की दरें अत्याधिक ऊंची है और इन्हें कम किया जाना चाहिये।
4. अलेप्पी पर तट और जहाजों के बीच रेडियो संचार लगाया जाना चाहिये।
5. बेपोर पर एक गहरे जल का सब ऋतुओं में काम आने योग्य पत्तन के विकास की सिफारिश की जाती है।
6. तटीय पोतों के पत्तन पर न आने के कारण बदागारा निर्यातों की हानि हो रही थी। इन पोतों को पत्तन पर आना चाहिये।
7. कूनानूर पर जहां मत्स्यघाट विकसित किया जा रहा है वह वाणिज्यिक यातायात के लिये भी व्यवहृत किया जा सकता है।
8. अजीकाल पर बार को 20 फीट तक निकर्षित किया जाना चाहिये जिसमें छोटे स्टीमर नदी की सुरक्षा में भीतर आ सकें।

(2) कुछ सुझावों के बारे में स्थिति यह है :—

1. त्रिवेन्द्रम पत्तन उस सीमा तक खाद्यान्नों के आयात के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है जहां तक वह आयात वितरण कोण तथा अन्य संगत तथ्यों से शक्य

है। विशेषकर त्रिवेन्द्रम के पार्श्व देश की चावल की आवश्यकता का निर्यात संभव सीमा तक त्रिवेन्द्रम पत्तन द्वारा ही किया जाता है। चूंकि यह अच्छी ऋतु का पत्तन है यह नियमित रूप से खाद्यान्न के आयात के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस छोटे पत्तन पर खुला गेहूं उतारने के लिये पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं और इसलिये यह पत्तन बोरी बन्द खाद्यान्न अर्थात् चावल के निर्यात के लिये ही इस्तेमाल किया जा सकता है। त्रिवेन्द्रम में फरटिलाइजर के बोरीबन्द माल को धरने उठाने की संभावना के प्रयास किय जा रहे हैं।

2. तट और खुले पत्तन में लंगर डाले जहाज के बीच रेडियो संचार व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उसमें जहाज पर प्रापक और पारेषक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इस समय शायद ही किसी वाणिज्यिक नौपोत पर इसकी व्यवस्था हो। लंगर डाले हुये जहाजों से संचार सुविधा के लिये मोर्स और अन्तर्राष्ट्रीय कोड फ्लैग से तट पर दृश्य संकेतन व्यवस्था की जाती है। अलेप्पी पत्तन पर संकेतन सहायता में किसी कमी की पूर्ति केरल की सरकार को व्यापार के हितों और पत्तन पर पोतों की सुरक्षा के लिये करनी चाहिये।

3. राज्य सरकार के अनुसार, बेपोर में गहरे जल तथा समस्त रितुओं योग्य पत्तन के विकास की तकनीकी शक्यता के बारे में जांच प्रगति पर है। राज्य सरकार ने बेपोर के बारे के निकर्षण के लिये उपयुक्त ऐजसी द्वारा निकर्षण ठेके का प्रस्ताव किया है।

(3). शेष सुझावों पर राज्य सरकार तथा अन्य संबद्ध अधिकारियों की राय की प्रतीक्षा की जा रही है।

Applied Nutrition Programme

2132. Shrimati Savitri Nigam :
Shri M. L. Dwivedi :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state the amount received from UNICEF under Applied Nutrition Programme for pisciculture during the Third Five Year Plan and the amount actually spent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : UNICEF assistance for pisciculture under the Applied Nutrition Programme is not in the form of cash but in the shape of equipments supplied to the fisheries centres and blocks selected under the programme. The equipments made available till the end of December, 1965 were valued at $442,746 (Rs. 21.08 lakhs).

दिल्ली में राशन व्यवस्था से प्रभावित अनाज व्यापारी

2133. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में राशन व्यवस्था लागू होने से कितने अनाज व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ा है और उन्हें अपनी रोजी कमाने योग्य बनाने के लिये क्या अन्य रोजगार दिलाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : राशन व्यवस्था लागू करने के समय दिल्ली के शहरी क्षेत्र और उसके साथ के शहरीकृत गांवों में काम कर रहे खाद्यान्न व्यापारियों की संख्या 4400 थी। इन में से 2411 व्यापारी अब राशन व्यवस्था योजना के अधीन अधिकृत खुदरा वितरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिन खाद्यान्न व्यापारियों को अधिकृत खुदरा वितरक नियुक्त नहीं किया गया है उनके लिये राशन के अलावा वस्तुओं के बेचने की कोई मनाही नहीं है और यह सूचित किया गया है कि ये व्यापारी चावल और गेहूं के अलावा अन्य खाद्यान्नों और या किराना का कारोबार कर रहे हैं।

सरकारी अधिकारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

2134. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में सरकारी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिये इस समय कितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों के अनुरक्षण पर कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(ग) सरकारी अधिकारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5782/66]**

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव सामान्यतः अच्छा रहा है।

Increase in use of Hindi in the Transport Ministry and attached Offices

2135. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Sinddhanti :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** & **Tourism** be pleased to state :

(a) The percentage of increase in the use of Hindi in his Ministry and its attached offices since the 26th Jan., 1965 so far ;

(b) Whether the work in this connection is proceeding according to any plan ; and

(c) if so, the further progress likely to be made this year ?

Minister for Transport, Aviation, Shipping & Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (c). The volume of Hindi work has increased considerably but it is not possible to work out any percentage increase. The Ministry has no separate plan of its own but the instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time are implemented.

विशाखापत्तनम बन्दरगाह में दूसरा जलयान मार्ग (शिपिंग चैनेल)

2136. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ला० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा केन्द्र, पूना ने इस प्रश्न पर अच्छी तरह सोच विचार कर यह राय व्यक्त की है कि विशाखापत्तनम बन्दरगाह में दूसरे जलयान मार्ग (शिपिंग चैनेल) को चौड़ा तथा गहरा किया जाय;

(ख) यदि हां, तो वह राय क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) विशाखापत्तनम पत्तन के दूसरे नौमार्ग के संबन्ध में अभी तक केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पूना ने अपनी कोई राय नहीं दी है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता है ।

विश्व मुर्गी पालन विज्ञान संस्था

2137. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मुर्गी पालन विज्ञान संस्था से भारत का संबंध है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का संबंध है ; और

(ग) क्या मुर्गी पालन विज्ञान का प्रशिक्षण पाने के लिये कोई भारतीय विदेश भेजा गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) से (ग) : भारत विश्व मुर्गी पालन विज्ञान संस्था का संरक्षक है । यह संस्था विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य को नहीं करती । फिर भी विभिन्न विदेशी सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारतीय विद्यार्थी/वैज्ञानिक मुर्गी उत्पादन, विपणन, अन्डे सेने के प्रबन्ध के प्रशिक्षण हेतु विदेशों में भेजे जाते हैं ।

Electrification of Ring Road, Delhi

2138. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping** and **Tourism** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1659 on the 7th September, 1965 and state :

(a) the progress made to electrify the Ring Road in the Capital ; and

(b) the reasons for the delay, if any, in the matter ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) & (b). A statement is attached.

Statement

Two estimates for lighting the portions of the Ring Road from (1) Ashram (Mathura Road) to Ridge Valley (Dhualal Kuan) and (2) Indraprastha College to 'C' Power House, aggregating Rs. 2,67,802/- received from the Delhi Administration were sanctioned by the Government of India in September, 1965. The work has, however, not been taken up so far due to the fact that the Delhi Electric Supply Undertaking who have been entrusted with the work by the Delhi Administration, now proposed higher standard of lighting. The estimates are being revised.

पटना में गंगा पर पुल

2139. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पटना में गंगा पर पुल बनाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उद्गम (अपर-रीचेज) की ओर की लगभग 600 मील की लंबाई में उत्तर प्रदेश में गंगा पर छः स्थानों पर पुल बने हुये हैं जबकि बिहार में इस की 300 मील लम्बी यात्रा में केवल मोकामेह पर पुल बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के निकटतम पुल, मालवीय पुल से 265 मील दूर है;

(ग) पूना तथा रुड़की स्थित अनुसन्धान केन्द्रों द्वारा तयार किये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में बिहार सरकार को कब तक जानकारी दे दी जायेगी ताकि वह पुल का नमूना तैयार कर सके और [कार्य आरम्भ कर सके; और

(घ) क्या केन्द्र इस परियोजना की कार्यान्विति के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये राजी हो गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) : स्थिति बतलाने वाला विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5783/66**।]

एयर इण्डिया के कर्मचारियों के लिये अनुग्रहात राशि

2140. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामचंद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के कर्मचारियों के लिये अनुग्रहात राशि के बारे में 30 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 548 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया के कर्मचारियों को अनुग्रहात राशि दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया को पेमैन्ट आफ बोनस एक्ट, 1965 के अधीन आने की सम्भावना है तथा इसीलिये एक्ट के अनुसार कर्मचारी बोनस पाने के अधिकारी हैं। भारत में कर्मचारियों को पहल की तरह महंगाई भत्ते सहित एक माह का वेतन, जिसकी अधिकतम राशि एक हजार रुपय हो, दिया गया है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

उत्तर प्रदेश को चीनी की सप्लाई

2141. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वष 1965-66 में उत्तर प्रदेश की चीनी की वार्षिक मांग कुल कितनी थी; और

(ख) वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश में चीनी का सुचारु सम्भरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) शर्करा वर्ष 1965-66 (नवम्बर-अक्तूबर) में उत्तर प्रदेश को लगभग 3,17,000 मीटरी टन शर्करा नियत जायगी।

(ख) 1966-67 में शर्करा की सप्लाई वर्ष के उत्पादन पर निर्भर करेगी। इस समय, सप्लाई बनाये रखने में किसी प्रकार की कठिनाई की कल्पना नही की जा सकती है।

पश्चिम बंगाल को चावल का संभरण

2142. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को कहा है कि वर्ष 1966-67 में उन को राज्य के केन्द्रीय भंडार से केवल एक लाख टन चावल मिलेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल को केन्द्र दारा तीन लाख टन चावल दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कटौती करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार को बताया गया है कि उन्हें 1966 में केन्द्रीय पूल से केवल एक लाख मीटरी टन चावल दिया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) इस वर्ष देश के अधिशेष राज्यों में चावल की उपज में भारी कमी होने और वस्तुतः इस वर्ष अन्य देशों से गत वर्ष की अपेक्षा कम आयात किये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के पास अपेक्षाकृत कम चावल उपलब्ध होगा।

आंध्र प्रदेश में कृषि-औद्योगिक निगम

2143. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 7 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एक कृषि-औद्योगिक निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो निगम की ईक्विटी अंश पूंजी के रूप में केन्द्र कितना धन लगायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : आंध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य की सहकारी संस्थाओं को अनुमति दी जाये कि वे आंध्र प्रदेश कृषि-औद्योगिक निगम के शेयर केपिटल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ बराबर की हिस्सेदार बन सके और इस प्रकार तीनों का हिस्सा 33 1/3 प्रतिशत हो जाये। प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

भारतीय खाद्य निगम के प्रधान का वक्तव्य

2144. **श्री उमानाथ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 दिसम्बर, 1965 को मद्रास में भारतीय खाद्य निगम के प्रधान, जिनका कार्याकाल समाप्त होने वाला है, के इस वक्तव्य का सरकार को पता है कि :

(1) कई राज्यों में पारित किये गये विनियमित बाजार अधिनियमों को कार्यरूप नहीं दिया गया है;

(2) कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सहन-सीमा पर्याप्त रूप से कठोर नहीं थी जिसके कारण खाद्यान्नों में काफी प्रतिशत तक कंकड़, मिलावट की जाने वाली वस्तुएं तथा धूल मिलाने के अवसर मिल जाते हैं ;

(3) कि राज्य सरकारें अपने द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों को लागू करने में उत्सूक नहीं थीं,

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ।

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जानी है तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) भारतीय खाद्य निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष ने 27 दिसम्बर, 1965 को मद्रास में जो वक्तव्य दिया था, सरकार ने उसे देख लिया है।

(i) यह कहना ठीक नहीं है कि कई राज्यों में पारित विनियमित बाजार अधिनियमों को कार्यरूप नहीं दिया गया है। देश में विनियमित बाजारों की संख्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में जोकि 450 थी चढ़ कर पहली जनवरी, 1966 को 1,528 हो गयी ।

(ii) फसल काटने और गाहने के तरीकों, सामान्यतः किसानों द्वारा उत्पादित स्टाक की औसत किस्म सम्बन्धी विलक्षणता और उपभोक्ता स्वीकार्यता को ध्यान में रखकर न्यूनतम सहन-सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। इन तथ्यों को देखते हुए निर्धारित सहन-सीमाएं पूर्णतः उचित और यथार्थिक हैं। निर्दिष्टियों में यह स्पष्ट है कि विजातीय पदार्थ जिसमें सम्बन्धित अनाजों की थोड़ी मिलावट होती एक प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहियें। विजातीय पदार्थों के रूप में कंकड़ और धूल की अनुमेय प्रतिशत एक प्रतिशत का दसवां हिस्सा है।

(iii) अधिप्राप्ति कर रहे प्राधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद के लिये सहन-सीमाएं लागू की जाती हैं भारतीय खाद्य निगम के खाते में अधिप्राप्ति के बारे में निगम स्वयं मानक लागू करता है। जिन मामलों में सहन सीमा से मिलावट अधिक होती है उन पर भारी जुर्माना करने की व्यवस्था है। यदि मिलावट एक निश्चित सीमा से बढ़ जाती है उस स्थिति में माल को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं किया जाता है।

(ख) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Seizure of Foodgrains in Delhi

2145. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state the quantity of foodgrains seized after conducting raids on coarse grain dealers in Delhi between the 1st October and 31st December, 1965 ?

The Minister of State in the Ministry of Food , Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Govinda Menon) : The total quantity of coarse grains seized during the period 1st October to 31st December, 1965 was 107 quintals and 46 kg.

Damage to Rabi Crop in Delhi

2146. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rabi crop in Delhi has been affected by frost this year ; and

(b) if so, the estimated loss so caused ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) Yes.

(b) The loss has been negligible.

Water for Agriculturists in Delhi

2147. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have propared a development plan for supplying water from water tanks to agriculturists in Delhi for irrigation purposes ; and

(b) if so, the full details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) and (b). There are no irrigation tanks in the Delhi Territory. However, on the pattern of the large-size experimental kutcha irrigation well constructed at Sultanpur, Mehrauli Block (Delhi), the lift irrigation-cum-service cooperative societies of a few villages in Delhi constructed 4 larger-sized irrigation wells in villages Asola, Chandanhola, Dera and Fatehpur Beri of Mehrauli Block, Delhi for irrigation purposes. Although these wells were constructed a few years back, they were not irrigating any appreciable area. Recently the Delhi Administration took over the running and maintenance of these wells at the request of the Indian Cooperative Union.

For optimum utilisation of the irrigation potential of these wells it would be necessary to fit them with electric motors and pumping sets. In addition to this the wells at Fatehpur Beri and Dera will require deepending and boring to increase their irrigation capacity. Irrigation channels have to be extended for the wells at Asola, Fatehpur Beri and Dera.

The details of works to be done on these wells are given in the attached statement. **(Placed in Library. See No LT5784/66.)**

उड़ीसा को चीनी का सम्भरण

2148. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उड़ीसा में चीनी की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय राज्य में चीनी की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो 1966-67 में इस राज्य को पर्याप्त यात्रा में चीनी देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : शर्करा वर्ष 1965-66 (नवम्बर-अक्तूबर) में उड़ीसा को लगभग 58,000 मीटरी टन शर्करा नियत की जाएगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में प्रायोगिक नलकूप

2149. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 तक उड़ीसा में कितने परीक्षणात्मक नलकूप खोदे गये हैं;

(ख) क्या वर्ष 1966-67 में उक्त राज्य में इस प्रकार के और अधिक नलकूप खोदने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) उड़ीसा में भूमिगत जल समन्वेषण के दौरान समन्वेषण नलकूप संगठन ने 31 जनवरी, 1966 तक 33 समन्वेषण-सम्बन्धी बोर्स खोदे हैं जिनमें से केवल 20 ने सन्तोषजनक रूप में पानी निकाला।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने की योजनाएं

2150. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को वर्ष 1965-66 में गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने की योजनाओं के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई थी, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) मात्स्यकी योजनाओं जिनमें उड़ीसा सरकार की गहरा समुद्र मत्स्यहरण योजनाएं भी हैं, के लिये 6.5 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता नियत की गयी है जब कि कुल पुर्वानुमानिक परिव्यय 53 लाख रुपये का है।

(ख) उड़ीसा सरकार की गहरा समुद्र मत्स्य हरण से सम्बन्धित निम्नलिखित योजनाएं प्रत्येक योजना के सामने दिये गये प्रतिमान के अनुसार केन्द्रीय सहायता लेने के योग्य होती हैं :—

योजना	सहायता का प्रतिमान
पाइलट पाइनीयर फिशिंग इन सी . .	25 प्रतिशत अनुदान 50 प्रतिशत ऋण (केवल समुद्री इंजनों की लागत पर)
समुद्रजीव विज्ञान में व्यवहारिक अनुसन्धान .	50 प्रतिशत अनुदान
गहरे जल में मत्स्य-हरण में व्यवहारिक अनुसन्धान .	50 प्रतिशत अनुदान

सहायता की वास्तविक मात्रा वर्ष के दौरान मात्स्यकी योजनाओं पर हुये खर्च पर निर्भर करेगी।

आंध्र प्रदेश को उर्वरकों का सम्भरण

2151. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में अब तक आंध्र प्रदेश को वस्तुतः कितनी मात्रा में उर्वरक दिये गये; और

(ख) वर्ष 1966-67 में उस राज्य के लिए कितना उर्वरक नियत करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामवर मिश्र) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

उर्वरक की किस्म	नियतन (1965-66)	15-2-66 तक सप्लाई की गई मात्रा
सल्फेट आँफ अमोनिया . . .	1,40,768	1,15,265
यूरिया . . .	76,846	67,767
अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट	9,500	6,667
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट .	4,000	3,970
अमोनियम फास्फेट . . .	61,400	61,100
अमोनियम क्लोराइड	1,000	144

(ख) 1966-67 के नियतन विचाराधीन हैं और यह नियतन साधारण रीति के अनुसार राज्य सरकार को त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा। 1966 में उर्वरकों की उपलब्धि में सुधार होने की संभावना को दृष्टि में रखते हुए आशा की जाती है कि 1966-67 में केन्द्रीय भण्डार से आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1965-66 की तुलना में अधिक मात्रा का नियतन हो सकेगा।

जम्मू तथा काश्मीर राष्ट्रीय राजपथ पर मोटल

2152. **श्री दे० द० पुरी :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खराब मौसम, सड़क की खराब दशा तथा फौजी मोटर गाड़ियों के जाने के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ पर यातायात के रुक जाने से यात्रियों को हुई भारी असुविधा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस राजपथ पर मोटल स्थापित करने का है जिनमें यात्रियों की सुविधा के लिये आवास तथा भोजन की पर्याप्त व्यवस्था होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां। 1 जनवरी, 1965 से 31 दिसंबर, 1965 के बीच की अवधि में मुख्यमार्ग 47 दिनों तक खराब रितु, भूमि स्खलन और नियंत्रण में न रहने वाली परिस्थितियों के कारण बन्द रहा। मुख्यमार्ग सप्ताह में

लगभग तीन दिनों तक शीत महीनों में जनवरी, 1965 से मार्च, 1965 और दिसंबर, 1965 में पहाड़ों के विस्फोटक के लिये बन्द रहा जो सड़क को चौड़ा करने के लिये कार्य के शीघ्र निपटाने के लिये आवश्यक था। इस प्रयोजन के लिये वह सब मिलाकर 39 दिनों के लिये बन्द रहा।

(ख) और (ग) : भारत सरकार का होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह दायित्व राज्य सरकार का है।

Use of Indian Languages in Delimitation Commission

2153. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishan Pattnayak :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delimitation Commission considers those objections and applications expeditiously which are written in English and neglects those written in the Indian languages ;

(b) whether it is also a fact that the Ministry of Home Affairs has either empowered it or has issued any order to act in this manner ; and

(c) if so, the reasons for contravening the provisions of the Constitution in this manner ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) No Sir. It is not correct to say that objections and suggestions written in the Indian languages are neglected by the Delimitation Commission. In fact, all such objections and suggestions in regard to the draft proposals of the Delimitation Commission are, without exception, got translated either in the Delimitation Commission's office or in the office of the Chief Electoral Officer of the State concerned and given the same consideration as those written in English. It is only with a view to avoiding the delay in getting such translations made that the Commission has been adding in its notification publishing its delimitation proposals in draft a sentence that "it will facilitate prompt consideration if they are in English".

(b) and (c). Do not arise.

अनाजों का समाहार, आयात तथा उत्पादन

2154. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में अब तक भारत में देश में से अलग अलग कुल कितना चावल तथा गेहूं प्राप्त किया गया;

(ख) विदेशों से कितने खाद्यान्नों का आयात किया गया; और

(ग) 1965-66 में अब तक भारत में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : (क) चावल की अधिप्राप्ति का मौसम नवम्बर से अक्तूबर तक है जब कि गेहूं का अप्रैल से मार्च तक। 1965-66 के मौसम में फरवरी, 1966 के अन्त तक सरकारी खाते में (दोनों केन्द्रीय सरकार

तथा राज्य सरकार के खाते में) 15.8 लाख मीटरी टन चावल और 4 लाख मीटरी टन से थोड़ा अधिक गेहूं अधिप्राप्त किया जा चुका है।

(ख) 70 लाख मीटरी टन से थोड़ा अधिक।

(ग) 1965-66 की रबी की फसल की अभी कटाई होनी है। खरीफ की फसल के भी अन्तिम अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि 1965-66 में भारत में खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा अधिप्राप्त की जाएगी।

बिहार में सहकारी संस्थाएं

2155. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सहकारी संस्थाओं की स्थिति इतनी खराब है कि राजगीर में हुए राज्य स्तरीय गोष्ठी के अवसर पर उन्हें बिहार सरकार को यह सलाह देनी पड़ी थी कि विभिन्न सहकारी संस्थाओं से उनके 'साइन बोर्ड' हटा दिये जाने चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में सहकारी आन्दोलन की क्या कमियां हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) व (ख) : जी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं देखी गई है, यद्यपि यह सही है कि बिहार में सहकारी आन्दोलन कमजोर है। मुख्य कमजोरियां यह हैं :—

(1) समितियां संगठनात्मक तथा संरचनात्मक दृष्टि से कमजोर हैं;

(2) प्राथमिक समितियों तथा केन्द्रीय बैंकों के स्तरों पर विचारशील तथा प्रगतिशील ऋण नीतियों का अभाव;

(3) पर्याप्त साधन जुटाने में ऋण संस्थाओं की असमर्थता;

(4) आन्दोलन के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त स्थानीय गैर-सरकारी नेतृत्व का अभाव।

त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान

2156. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के जंगल में राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) स्थापित करने के बारे में सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिए कौन कौन से स्थान चुने गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

त्रिपुरा में वन्य प्राणी

2157. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है त्रिपुरा में वनों के काटे जाने के कारण बाघ, हाथी, रीछ तथा गोबाई (जंगली पशु) जसे जंगली जानवर धीरे-धीरे कम हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा के जंगलों में इन जंगली जानवरों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में शिकार खेले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) खेती करने तथा सीमावर्ती क्षत्रों में शिकार खेलने और अनधिकृत रूप से वनों के काट जाने के कारण त्रिपुरा में वन प्राणियों की हानि के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) नियमानुसार त्रिपुरा के "रिजर्वड" तथा "सुरक्षित" वनों में शिकार खेलने पर प्रतिबन्ध है ताकि वन प्राणियों की रक्षा हो सके। विशेष क्षेत्रों में खेती करने पर रोक लगा दी गई है और वन-विरहित क्षेत्रों में वनरोपण बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है।

(ग) वन-प्राणियों की रक्षा के लिए वन स्टाफ द्वारा निरन्तर सतर्कता बरती जाएगी।

त्रिपुरा में मनुघाट सुब्रूम में टाउन सड़क

2158. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अमरपुर सबडिवीजन से होकर मनुघाट से सुब्रम तक एक सड़क बनाने के बारे में त्रिपुरा सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस निर्माण काय को आरम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अनमानत: कितना खर्च आयेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) तक : अमरपुर सबडिवीजन होकर मनुघाट से सुब्रम तक सड़क बनाने के बारे में त्रिपुरा सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मनुघाट और अम्बासा के बीच और बोगाफा और सुब्रुम के बीच सड़कें मौजुद है। शेष सेक्शन अम्बासा और बोगाफा के बीच की कुल दूरी 92 मील है। दो सेक्शनों—कुल लंबाई 53 मील—के लिये राज्य सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में अनुमान मंजूर किये है और निर्माण कार्य जारी है। जारी परियोजना पर 75 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है और उसके मार्च, 1970 तक पूरा होने की आशा है। दिसंबर, 1965 के अन्त तक लगभग 12 लाख रुपया खर्च किया गया है।

केरल में सिंचाई योजनाएं

2159. **श्री प० कुन्हन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में केरल के पालघाट जिले में छोटी और मध्यम दर्जे की कुल कितनी सिंचाई योजनाओं का काम पूरा किया गया है; और

(ख) उनके लिए कुल कितनी राशि दी गई थी और वास्तव में कितनी खर्च की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी केरल सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विमान दुर्घटनाएं

2160. **श्री गुलशन :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री लखमू भवानी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1965 से फरवरी, 1966 तक की अवधि में कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई और इनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मरे तथा प्रयेक मामले में कितनी कितनी हानि हुई; और

(ख) जांच आयोगों द्वारा इन दुर्घटनाओं के क्या मुख्य कारण बताये गये ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जनवरी, 1965 से फरवरी, 1966 की अवधि में भारतीय नागरिक विमानों का 21 विमान दुर्घटनायें हुई जिनके परिणाम स्वरूप 136 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में भारत में विदेशी पुंजीकृत विमानों के तीन विमाने दुर्घटनायें भी हुई जिसमें 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। प्रत्येक मामले में हुई हानि संबंधी सूचना प्राप्य नही है।

(ख) अभी तक जिन 12 दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल की गई है उनके कारण निम्न बताये जाते हैं :—

नीची उड़ान	2
अंडर शूटिंग	2
भारी अवतरण	2
इंजन ट्राटल नियंत्रण का गलत व्यवहार	1
तेज मोड़ पर स्टाल	1
अवरोध में टक्कर खाना	1
नियंत्रण छूट जाना	1
उड़ान भरने की दौड़ में घुमाव विकास को अतिसंयोचित करना	1
बादरी कारण	1

विमान निगमों की आय

2161. **श्री मधु लिमये** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की दुर्घटनाओं (बोइंग-एयर इंडिया तथा फ्रेंडशिप-आई०ए०सी०) का दोनों एयर कारपोरेशन्स की आय पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो आय में कितनी कमी हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख): कारपोरेशन ने अपनी राजस्व पर विमान क्षति से हुए असर की संगणना नही की है। फिर भी, यह आशा की जाती है कि आय में पर्याप्त गिरावट नही होगी।

होटल ओबराय इण्टरकान्टीनैंटल, नई दिल्ली, को दी गई विदेशी मुद्रा

2162. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली मे "होटल ओबराय इण्टरकान्टीनैन्टल" को इमारत बनाने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा का उपयोग उस सामान के आयात के लिये किया गया जो कि भारत में उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) होटल के निर्माण और सज्जा के लिये मशीनों के आयात के लिये होटल ओबराय इण्टरकान्टीनेंटल "नई दिल्ली" को निम्न सूचित विदेशी मुद्रा दी गई थी :—

	रुपये
(i) यू०एस०ए० के इक्जिम बैंक के विपरीत, होटल को 34.14 लाख रुपये का ऋण दिया गया	28,25,501.00
(ii) विदेशी मुद्राओं के कोटा के विपरीत	11,01,850.00
(iii) रुपये की अदायगी के विपरीत	1,78,000.00
(iv) डच क्रेडिट के विपरीत	46 000.00
जोड़ .	41,51,351.00

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय (उद्योग और पूर्ति मंत्रालय) से देसी कोण से निर्बाधिता प्राप्त करने के बाद ओबीराय इन्टरकान्टीनेंटल होटल, नई दिल्ली के लिये सब निर्यात लाइसेंस जारी किये गये थे ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारी

2163. श्री कोल्ला वेंकेय्या : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ ने बड़े पत्तनों पर सेवा आचरण नियमों के लागू किये जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध तथा विशाखापत्तनम् कोचीन तथा कांडला में लागू किय जा चुके नियमों को वापिस लिये जाने की मांग करने के लिये विरोध दिवस मनाने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) समाचार पत्रों में रिपोर्ट छपी थी कि अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ ने 22 फरवरी, 1966 को सब बड़े पत्तनों में "विपरीत सेवा आचरण नियम दिवस" मनाने का निश्चय किया है । इस निश्चय के अनुसार संघ से संबंद्ध ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने इस तारीख को बम्बई मद्रास और कांडला के पत्तनों में विरोध दिवस मनाया ।

(ख) विशाखापत्तनम्, कोचीन और कांडला पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिये आचरण नियमनों को सरकार ने मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 की धारा 123 के अन्तर्गत सरकारी नौकरों को लागू होने वाले नियमनों की दिशा में 24 फरवरी, 1964 को सूचित किया था । इन नियमनों को वापिस लेने का प्रश्न नही उठता । जहां तक बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तनों का संबद्ध है, इन समस्त पत्तनों के पोर्ट अधिकारियों द्वारा अनुमोदित एक से आचरण नियम अभी हाल ही में सरकार को मिले हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है ।

नारियल का उत्पादन

2164. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नारियल की वार्षिक पैदावार कितनी है ;

(ख) नारियल का इस समय कितना और कितने मूल्य का आयात किया जाता है; और

(ग) नारियल के सम्भरण में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1963–64 में 4736 मिलियन नारियल (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े)। आगामी वर्ष के लिए आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

(ख) वर्तमान समय में नारियल आयात नहीं किये जाते। विशेषतया कोपरा का आयात निम्नलिखित मात्रा तक सीमित था :—

वर्ष	कोपरा का आयात टोन्ज में
1960–61	99,258
1961–62	88,922
1962–63	94,492
1963–64	88,067
1964–65	63,099

(ग) चौथी योजना के दौरान बड़े कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम पैकेज प्रोग्राम के ढंगों पर बड़े खण्डों में नारियल की सघन खेती करना होगा। चौथी योजना में 104 मिलियन नारियल के अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य पर विचार हो रहा है। इसके लिए 8.56 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, नारियल की मांग तथा सप्लाई के अन्तर को कम करने की दृष्टि से उत्पादन को बढ़ाने, अखाद्य तेलों को एकत्र करने तथा रेड पाम आयल के रोपण को विकसित करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे ताकि आद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले नारियल के तेल के स्थान पर अन्य तेलों का प्रयोग हो सके। इनसे सम्बन्धित योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की जा रही हैं।

दिल्ली में भूमि का अर्जन

2165. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री गोकरन प्रसाद :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री बड़े :**

श्री युद्धवीर सिंह : **श्री ओंकार सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में किसी खेती वाली भूमि उद्यान को अर्जित करने से पहले उसके मालिक को, उस पर कार्य आरम्भ करने से पहले प्रतिकर दिया जाता है;

(ख) क्या यहभी सच है कि कृषि भूमि को अर्जित करने से पहले उसके मालिक को इस अर्ज के बारे में लिखित नोटिस देकर सूचित किया जाता है कि भूमि को किस प्रयोजन के लिए अर्जित किया जा रहा है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि विभाग द्वारा भूमि को अपने प्रयोग के लिये लेने से पहले मालिक को आपत्ति उठाने के लिये काफी समय दिया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। कब्जा लेने से पहले किसी बस्ती में कृषि भूमि/बाग के की क्षतिपूर्ति पेश की जाती है सिवाय उन मामलों में जहां भूमि अर्जन अधिनियम की अत्यावश्यक व्यवस्थाएं लागू होती हों।

(ख) मालिकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाता बल्कि सरकारी गजट में प्रारम्भिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाती है और उस बस्ती में उपयुक्त स्थानों पर कलक्टर द्वारा ऐसी अधिसूचना के उस भाग को लिखवा दिया जाता है।

(ग) प्रस्तावित अर्जन के विरुद्ध लोगों को आपत्ति उठाने के लिए एक महीने की अवधि दी जाती है।

बेकार भूमि

2166. श्री मलाइछामी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री 15 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में बहुत बेकार भूमि उपलब्ध है, वहां पर निकटस्थ खेंडों में राजकीय फार्म खोलने के लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) एक समिति बनाई गई है जोकि ऐसे क्षेत्रों से राजकीय फार्म खोलने की सम्भावनाओं के बारे में जांच करेगी जहां पर बहुत बड़ी बेकार भूमि उपलब्ध है। निकट भविष्य में ही इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी।

दिल्ली परिवहन की बेकार गाड़ियों की निलामी

2167. श्री यशपाल सिंह : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन की 90 बेकार गाड़ियों को नीलाम करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इस मंत्रालय को दिल्ली परिवहन संस्थान द्वारा कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब को गेहूं तथा चीनी का संभरण

2168. श्री दलजीत सिंह : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में पंजाब को कितनी मात्रा में गहूं तथा चीनी आवंटित की गई और वस्तुतः दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : 1965 और 1966 (फरवरी 1966 तक) पंजाब को गेहूं और शर्करा की नियत की गयी और सप्लाई की गयी मात्राएं नीचे दी जाती हैं :—

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

	गेहूं		शर्करा	
	नियत की गयी	सप्लाई की गयी	नियत की गयी	सप्लाई की गयी
1965 (जनवरी-दिसम्बर)	170.3	150.0	179·8	185.1
1966 (जनवरी-फरवरी)	18.2	13.7	33.8	16.9
			(केवल जनवरी के लिये)	

पंजाब में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

2169. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66 में अब तक 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिए पंजाब को कितना वास्तविक अनुदान दिया गया और वर्ष 1966-67 में कितना अनुदान इसी कार्य के लिए दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : राज्य सरकार को अधिक खाद्य उत्पादन अभियान के लिए (1) कृषि उत्पादन (जिसमें भूमि विकास भी शामिल है) और (2) लघु सिंचाई के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। 1965-66 की अवधि में उपरोक्त दोनों विकास शीर्षकों के अन्तर्गत पंजाब राज्य को 171.54 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। वस्तुतः राज्य सरकार को इस राशि की अदायगी मार्च के अन्त में की जायेगी जबकि राज्य सरकार से 1965-66 के प्रथम तीन तिमाहियों के अन्तिम आंकड़े तथा चतुर्थ तिमाही के प्रत्याशित आकड़े उपलब्ध हो जायेंगे। अभी तक यह निर्णय नहीं किया गया है कि 1966-67 में केन्द्र से कितना वित्तीय सहायता प्राप्त होगा।

विमानों द्वारा अनाज की ढुलाई

2170. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सरकार ने भारत के भीतरी अकालग्रस्त क्षेत्रों में विमानों द्वारा अनाज पहुचाने का कोई कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सरकार ऐसे किसी कार्यक्रम से अवगत नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में धान के खेतों का वर्गीकरण

2171. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उदग्रहण (लैवी) के प्रयोजनार्थ केरल राज्य में धान के खेतों के वर्गीकरण के विरुद्ध किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनपर क्या कारवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : केरल चावल और धान (लेवी द्वारा अधिप्राप्ति) आदेश, 1965 के अधीन केरल सरकार ने 3 जनवरी, 1966 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें केरल राज्य के तालुकों को भूमि की उत्पादिता के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया और विभिन्न श्रेणियों की भूमि के लिये लेवी का भिन्न भिन्न पैमाना निर्धारित कर दिया गया था। तथापि, बाद में राज्य सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये कि कुछ क्षेत्रों में काश्तकारों को इस वर्गीकरण से कठिनाई अनुभव हुई थी। इसी लिये, राज्य सरकार ने इस मामले की पुनः जांच पड़ताल की और 14 फरवरी, 1966 को एक नयी अधिसूचना जारी की जिसमें उपयुक्त ढंग से भूमि का वर्गीकरण किया गया है।

दुध के डिपो मैनेजर

2172. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के डिपों में काम करने वाले डिपो मैनेजरों तथा डिपो असिस्टैंटों की सेवायें किसी भी समय बिना कोई तत्संबंधी कारण बताये समाप्त की जा सकती हैं तथा उनकी सेवायें समाप्त करने से पहले उन्हें कोई 'कारण बताओ नोटिस' भी नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) डिपुओं के मैनेजर तथा सहायक अंशकालिक कर्मचारी हैं और वे प्रायः एक शिफ्ट में अर्थात् प्रातः या सायंकाल केवल कुछ घंटे ही कार्य करते हैं। मौजूदा शर्तों से प्रशासन को मिलावट करने, ब्लक मार्किट करने, ग्राहकों के प्रति दुर्व्यवहार करने तथा अनियमित उपस्थिति आदि की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने की सुविधा रहती है। दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष उचित जांच के पश्चात् ही कार्यवाही करते हैं।

"जय जवाहर" जलयान के चालक

2173. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री 22 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 612 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जय जवाहर" जलयान के चालकों के निकटतम सम्बन्धियों को मुआवजा देने का प्रश्न इस बीच तय हो गया है और यदि नहीं, तो इसके कब तक तय हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या उन्हें कोई अन्तरिम अथवा अन्तिम भुगतान कर दिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में स्कूटरों का किराया

2174. **श्री कोल्ला वेंकेय्या :**

श्री महेश्वर नायक :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फरवरी, 1966 के तीसरे सप्ताह में किराये के नये दर के विरोध म स्कूटर-रिक्शा ड्राइवरों ने हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल कितने दिन जारी रही ;

(ग) हड़ताल में कितने ड्राइवरों ने भाग लिया ;

(घ) क्या टक्सी ड्राइवरों ने इन हड़ताल करने वालों के प्रति कोई सहानुभूति दिखाई है ; और

(ङ) इस विरोध को ध्यान में रखते हुए प्राधिकार द्वारा इन किराया दरों पर पुनर्विचार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) सात दिन ।

(ग) लगभग 6 सौ ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) 9 मार्च, 1966 को दिल्ली परिवहन अधिकारी दिल्ली ने अपनी मीटिंग में मामले पर विचार किया और आटो रिक्शा के भाड़ों की दर की बढ़ोतरी का, 15 मार्च, 1966 से अनुमोदित फयर मीटर के फिट होने तक अनुमोदित किया ।

(i) पहले 1-1/2 कि० मी० या कम फासले के लिये कम से कम 40 पैसे ।

(ii) उसके बाद के प्रत्येक 1/2 कि० मी० या कम फासले के लिये 10 पैसे ।

कलकत्ता–अगरतला भारवाही सेवा

2175. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कलकत्ता से अगरतला तक भारवाही सेवा आरम्भ कर दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं। कलकत्ता से अगरतला, मणिपुर तथा आसाम के लिये डाकोटा की भारवाही सेवाएं कलकत्ता क्षेत्र में मजदूर संकट होने के कारण अभी आरम्भ नहीं की गई हैं ।

(ख) सेवाएं हालात में सुधार होने के शीघ्र पश्चात् आरम्भ कर दी जायेंगी ।

त्रिपुरा में धान की वसूली लागू करना

2176. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को त्रिपुरा सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव मिला है कि त्रिपुरा में धान की वसूली लागू की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : जी हां । लकिन ऐसे संकेत मिले हैं कि हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने अधिप्राप्ति के लिये लेवी का आश्रय न लेने का निर्णय किया है ।

Suratgarh Farm

2177. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development** and **Co-operation** be pleased to state

(a) whether it is a fact that a good deal of land in Suratgarh Farm has been left uncultivated this year ;

(b) if so, the reason therefor ;

(c) where per acre yield in the Suratgarh Farm is going down ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Shri Shyam Dhar Mishra) : (a) Yes.

(b) Due to very early recession of floods and also due to acute shortage of irrigation supplies.

(c) No.

(d) Does not arise.

एयर इंडिया का विस्तार कार्यक्रम

2178. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया का 1966-67 का विस्तार कार्यक्रम क्या है तथा यह कितने प्रक्रमों में क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ख) क्या एयर इंडिया का विचार विदेशों में कुछ कार्यालय खोलने का है और यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

परिवहन, उडडयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1966-67 के पहले आधे साल के दौरान परिचालन का वर्तमान तरीका जारी रहेगा । अक्टूबर, 1966 से वर्तमान योजना के अधीन निम्न सेवायें चालू की जायेगी :—

(i) भारत/यू०के० मार्ग पर एक अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ान ।

(ii) बम्बई/सिंगापुर सेवा का सिडनी तक बढ़ाया जाना ।

(iii) भारत/पूर्वी अफ्रीका मार्ग पर एक अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ान ।

(ख) 1966-67 में एयर-इंडिया की वर्तमान योजना में भारत तथा विदेश में तीन आफ-लाइन कार्यालय खोलना है । इसका औचित्य कारपोरेशन के लिये अतिरिक्त राजस्व अर्जन करने में नये क्षत्रों में कार्यक्षमता का उपयोग करना है । इन कार्यालयों के स्थान निश्चयन को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के फौकर फ्रैंडशिप विमान का लापता होना

2179. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के फौकर फ्रैंडशिप विमान के, जो, 7 फरवरी, 1966 से लापता था, ध्वंसविशेष 1 मार्च, 1966 को हुंग-हेंग पहाड़ियों (जम्मू-काश्मीर) के निकट पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पाये गये सामान का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां। ध्वंसावशेष हुंग-हेंग पहाड़ियों (जम्मू तथा काश्मीर) पर पाये गए हैं।

(ख) 9 मार्च, 1966 तक प्राप्त सूचना के अनुसार विमान के ध्वंसावशेष से कुल 34 लाशें निकाली जा चुकी हैं जिनमें से 31 की पहचान की गई। तीन लाशें झुलसन के कारण पहचान से बाहर थीं।

मैसूर को खाद्यान्नों का संभरण

2180. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में राशन व्यवस्था करने के लिये राज्य को खाद्यान्नों का नियमित रूप से संभरण किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो प्रति मास कितनी मात्रा में गेहूं और चावल का संभरण किये जाने की प्रार्थना की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) : मैसूर सरकार ने कहा है कि बंगलौर, मैसूर, हुबली-धारवार, कोलर स्वर्ण क्षेत्रों तथा मंगलौर इन पांच शहरों में सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू करने से पूर्व राज्य की समस्त आवश्यकताएं पूरी करने के लिए केन्द्र प्रति मास 60,000 मीटरी टन गेहूं और 16,000 मीटरी टन चावल की सप्लाई सुनिश्चित करे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटियाला फ्लाइंग क्लब के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

2181. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री ओंकार सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 मार्च, 1966 को पटियाला फ्लाइंग क्लब के विमान जालन्धर में बैठे हुए दो व्यक्तियों की उस समय मृत्यु हो गई जब उड़ते हुए विमान में आग लग गई है तथा वह फगवाड़ा में जमीन पर गिर पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां। पटियाला एविएशन क्लब के विमान में बैठे दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जब कि उनका जहाज 2 मार्च, 1966 को फगवाड़ा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा उसमें आग लग गई।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

एयर इंडिया के कर्मचारी

2182. **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन** तथा **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एयर इंडिया के कर्मचारियों के मामले में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या कर्मचारियों द्वारा अपनाये गये नियमानुसार ही काम करने के उपाय का पंचाट दिये जाने में विलम्ब होने अथवा कर्मचारी संघ से सीधी बातचीत के सहसा टूट जाने से कोई सम्बन्ध है ;

(ग) इस उपाय से उड्डयन सेवाओं के कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : एयर कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन से संबंधित कर्मचारियों के एक अनुभाग द्वारा "नियम के अनुसार काम" तथा "व्यवसाय के अनुसार काम" के तरीके अपनाने के कारण उड्डयनों में दरियां हुई हैं। उड्डयनों की दरी से आय में कोई गम्भीर हानि नहीं हुई परन्तु इससे यात्रियों को काफी असुविधा और सद्भावना की क्षति हुई तथा यातायात में रद्दोबदल हुआ।

उप-चुनाव

†2183. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने अस्थायी रूप से निर्णय किया है कि उप-चुनाव न किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन आयोग ने सरकार को इस निर्णय के क्या कारण बताये है; और

(ग) क्या इस निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने की कोई संभावना है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) से (ग) : 17 सितम्बर, 1965 को निर्वाचन आयोग ने एकप्रैस विज्ञप्ति द्वारा लोक-सभा तथा राज्य विधान सभाओं के उपचुनावों को स्थगित किया था। इस के पश्चात निर्वाचन आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है, इस की सरकार को जानकारी नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT

दिल्ली में उपद्रव

अध्यक्ष महोदय : मुझे 6 स्थगन प्रस्ताव तथा 18 अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनका संबंध दिल्ली में हुए उपद्रवों से है। क्या मंत्री महोदय को कुछ कहना है कि वह इस समय केवल सरकार की इस मामले में असफलता पर कहे न कि और मामलों पर।

श्री नन्दा : मुझे एक वक्तव्य देना है। भारतीय जनसंघ ने 14 मार्च, 1966 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की पंजाबी सूबे के बारे में की गई सिफारिश के विरुद्ध हड़ताल करने का आहावन किया। उस दिन चांदनी चौक तथा लाहोरी गेट क्षेत्र में भीड़ ने हिंसात्मक कार्यवाही में भाग लिया। लोगों के समहों के बीच भी झगड़े हुए। कोई 200 से 250 तक व्यक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दफ़तर पर भी गये और शरारत की।

हड़ताल से पहले पुलिस ने 169 बुरे चाल चलन के व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था। धारा 144 भी लगा दी और सायं 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक कर्फ्यू भी लगा दिया। कल सायं 5 बज से स्थिती पर काबू पा लिया है।

इन घटनाओं के कारण एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अधीक्षक, दो पुलिस उप-अधीक्षक और 19 अन्य जन्ता के व्यक्ति घायल हुए। यह सब बहुत दुःख की बातें हैं।

मैं यह विश्वास दिला दूं कि सरकार ने शान्ति तथा व्यवस्था कायम रखने का दृढ़ निश्चय किया हुआ है तथा जीवन और सम्पत्ति की पूरी रक्षा करेगी और हमें विश्वास है कि यह कार्य पूर्ण हो जायेगा।

श्री कपूर सिंह (लूधियाना) : गृह-कार्य मंत्री का वक्तव्य अधूरा है तथा इसमें कुछ तथ्यों को दबाया गया है। तथ्य यह है कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समूदाय के लोगों को हानि पहुंचाई। दूसरी बात यह है कि यह आक्रमण सिखों के सांस्कृतिक तथा धार्मिक केन्द्र गुरुद्वारा सीलगंज में हुए जो कि कोतवाली के निकट है।

Shri Bagri (Hisar) : Mr. Speaker, yesterday the Delhi Administration failed very miserably in maintaning peace. They should have foreseen all these troubles and made arrangements to control the unhappy events. The police people were looking like spectators. It appears that Government servants themselves create conditions wherein they may get a chance to resort to firing. Nobody in India who throws stones at religious places can be called Son of Gandhi, Gautam, Kabir and Nanak. He can be a son of Ghazni and Ghori.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जो समाचार आ रहे हैं उन से पता चलता है कि यदि सरकार पूर्व से कार्यवाही करती तो स्थिति को खराब होने से रोका जा सकता था। यह बात तो स्वयं गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री ने भी मान ली है कि पुलिस को पहले से इसका पता न था और इसी कारण ठीक प्रबंध न कर सके।

यह बात ठीक नहीं है कि ऐसे मामलों में किसी समुदाय को दोषी ठहराया जाय।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इस प्रकार की चीज़ों से हमारा लोकतन्त्रीय ढ़ाचा ही समाप्त हो जावेगा। कल पुलिस तो बुरी तरह असफल रही। वह तो दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना के तीन घंटे पश्चात आई। स्वयं उच्चआयुक्त ने कहा है कि उनके पास अधिक पुलिस नहीं है जिन्हें कुमक के तौर पर भेजा जा सके।

श्री कपूर सिंह : यदि मेरी बात का अर्थ यह समझा गया है कि मैं किसी एक सारे समुदाय को दोषी ठहरा रहा था तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि ऐसा मेरा विचार नहीं था। दूसरी बात यह है कि पुलिस वाले असफल ही नहीं हुए अपितु वह शरारत करने वालों की सहायता कर रहे थे। इस कारण से भी सरकार असफल रही है।

Shri Rameshwaranand (Karnal): Mr. Speaker, the question is as to why this all happened ? Had Government wanted, they would have made arrangement when the strike was to take place. Therefore the failure is not only of police but of the Home Minister who is responsible for this entire mistake.

अध्यक्ष महोदय : एक आरोप तो यह है कि पुलिस तीन चार घंटे देर से आई। दूसरा यह कि गुरुद्वारे के सामने जो कि कोतवाली का भी सामना है, जीप को आग लगाई गई। फिर मंत्री महोदय यह कैसे कहते हैं कि सरकार की असफलता नहीं है ?

श्री नन्दा : महोदय, मेरे साथी श्री शुक्ल कल घटना स्थल पर थे, वह इसके बारे में अधिक बता सकेंगे। इतना अवश्य है कि मैं ने इसकी जांच करने के लिये कहा है और जो भी दोषी होगा उसे दंड दिया जायेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय कल मैं डेढ़ बजे से 5 बजे तक घटना स्थल पर रहा। उपद्रव मेरे पहुंचने से कुछ पहले प्रारम्भ हुई। जब मैं वहां गया तो दो कार जल रही थीं और दो स्कूटर भी जल रहे थे परन्तु इनमें से कोई भी पुलिस स्टेशन के सामने नहीं था। यह कोई 40 गज दूर था।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी अनुमति देता हूं। श्री कपूरसिंह सदन से अनुमति मांग सकते हैं।

श्री कपूर सिंह : मैं स्थगन प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी को कोई आपत्ति है। जो स्थगन प्रस्ताव के हक में हैं वे खड़े हो जावें। 50 से अधिक खड़े हैं। इसे 4 बजे लिया जायेगा।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में—(प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERRY)

अध्यक्ष महोदय : मास्टर तारासिंह की गिरफ्तारी के बारे में एक लोक महत्व का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस में कहा गया है कि यह सब भारत सरकार के सचिव, श्री वी० शंकर के परामर्श पर हुआ है। यदि ऐसा है तो यह केन्द्रीय सरकार का मामला है अन्यथा नहीं।

श्री नन्दा : इस प्रकार का कोई परामर्श नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला राज्य सरकार का है। क्योंकि कोई परामर्श नहीं दिया गया, इस लिये मैं इसे रद्द करता हूं।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्री शंकर वहां गये थे और उसके पश्चात ही यह गिरफ्तारी हुई। इस लिये केन्द्रीय सरकार यह नहीं कह सकती कि इसने हस्तक्षेप नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह परामर्श दाता के रूप में भी गये थे तो भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है न कि केन्द्रीय सरकार की।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Please permit me to say a few words about my privilege motion. Let me read a letter.

Mr. Speaker : I have not given consent to that. You connot read it. You can tell me separately whatever you have to say.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPARS LEAD ON THE TABLE

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 तथा विनियोग लेखे (सिविल) 1964—65

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री शचीन्द्र चौधरी के स्थान पर मैं निम्न पत्रों की एक एक लिपि सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966।

(2) विनियोग लेखे (सिविल), 1964–65।

केरल जल-परिवहन निगम लिमिटेड का पांचवा वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षा के लेखों सहित

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, केरल जल-परिवहन निगम लिमिटेड, अल्लप्पी, के पांचवें वार्षिक प्रतिवदन की एक प्रति, 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०–5771/66 और 5772/66]**

नौ-परिवहन विकास निधि समिति का प्रतिवेदन

श्री चे० मु० पुनाचा : व्यापारिक नौ-परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उप-धारा (6) के अन्तगत नौ-परिवहन विकास निधि समिति के 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुई अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5773/66]**

केरल सरकार भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1964 के संशोधन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं निम्न लिखित सभा पटल पर रखता हूँ : --राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) चार के साथ पठित केरल सरकार भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960 की धारा 7 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस०आर०ओ० संख्या 405/65 की एक प्रति, जो दिनांक 16 नवम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : केरल सरकार ने जब कि वहां राष्ट्रपति शासन है, लोगों के हितों का उल्लंघन किया है और बहुत धन का अपव्यय किया है। इस पर विचार होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिये नोटिस दीजिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आपने जो कल श्री उमानाथ को पैरोल पर छोड़ने के बारे में विनिणय दिया था। उसकी प्रतियां सारे सदस्यों को मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वे भेज दी गई हैं।

सामान्य आय व्ययक, 1966-67 सामान्य चर्चा—(जारी)
GENERAL BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : वित्त मंत्री ने आर्थिक समस्या पर अच्छा सर्वेक्षण किया है। परन्तु कर सुझावों को देखकर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि विभिन्न समस्याओं के सुलझाने में उन्होंने पर्याप्त साहस नहीं दिखाया है। उन्होंने करों में थोड़ी सी रियायत दी है, तथापि निगमकर एवं वैयक्तिक आयकर पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाकर उस रियायत को समाप्त सा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ बचत होनी चाहिये परन्तु वे करों में पर्याप्त छूट देने में असफल रहे ।

चीनी पर उत्पादक शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि चीनी पर 14 प्रतिशत कर अधिक देने पड़ेंगे । विभिन्न करों के देखने से पता चलता है कि उनसे जो लाभ होना चाहिये था उस में कमी आरम्भ हो गई है।

यह कहा जाता है कि बचत अधिक होनी चाहिये तथा उत्पादन अधिक होना चाहिये और अधिक उद्योगों का विकास होना चाहिये ताकि अधिक रुपया कारोबार में लगाया जा सके परन्तु यदि किसी को 100 प्रतिशत से भी अधिक कर देने पड़े तो फिर निजी क्षेत्र तथा निगम क्षेत्रों में बचत कहां होगी। हमें करों के ढोंचे को सरल बनाना चाहिये और अनावश्यक प्रशासनिक कार्य को समाप्त किया जावे जिसका कि कोई लाभ नहीं था।

पिछले वर्ष भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि लिखित व्यय में 150 करोड रूपया की कमी की जावेगी। परन्तु इसके बावजूद उसमें 236 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है और यह अन्तर 386 करोड़ रुपये का हो गया है। वित्त मंत्री को चाहिये कि इस दिशा में कुछ विचार करें और प्रशासन से कुछ बचावें जोकि प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। 1965-66 के सारे बजट में कुल अनुउत्पादक व्यय 1528 करोड़ रुपया था जबकि कुल राजस्व आय 2420 करोड़ रुपया थी। परन्तु 1966–67 में यह रकम 1666 करोड़ रुपये पहुंच गई जब कि राजस्व आय थी 2719 करोड़ रूपया। यह मैं मानता हूं कि यह सारा अनुउत्पादक व्यय बेकार नहीं है परन्तु इसमें से कुछ भाग तो ऐसा है जो निरर्थक है। यदि राजस्व आय का 65 से 70 प्रतिशत इस प्रकार गैर-उत्पादक व्ययों में चला जाता है फिर हमारे पास उत्पादन में व्यय करने के लिये बहुत कम बचेंगा।

सरकारी क्षेत्र में कुल व्यय 3200 करोड रुपये से लेकर 2800 करोड़ रुपये तक है और इसमें से जो हमें मिलता है वह 1½ प्रतिशत भी नहीं है। साथ ही सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के सन्तुलन-पत्र अच्छे ढंग से तैयार नहीं किये जाते। वे लाभ दिखाते समय अवमूल्यन नहीं दिखाते। यदि निजी क्षेत्र की कम्पनियां ऐसा कर दे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। मैं सदन से कहता हूं कि आप हमें आधे दर्जन वे सरकारी उपक्रम दीजिये जो आप से नहीं चलाये जाते और हम आपको कुछ समय में जो आप चाहें वह देंगे। हम आपको बतायेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आप हमें अवसर तो दीजिये परन्तु यह मैं बता दूं कि बाद में किसी प्रकार का राजनैतिक तथा प्रशासनिक हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिये ।

सोना नियंत्रण अधिनियम ने काफी हानि पहुंचाई है। इसे हटा देना चाहिये।

रक्षित बैंक में अपनी जमा राशि की रसीदें लेने के लिए लोगों को काफी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मेरा निवेदन यह है कि प्रक्रिया को इतना सरल बनाना चाहिए ताकि जटिल प्रक्रियाओं से बचा जा सके। 1962 में कुल राजस्व 1,300 करोड़ था, परन्तु 1966 में यह बढ़ कर 2,700 करोड़ हो गया है। लगभग दुगुना हो गया है। क्या हमारे देश की प्रगति 100 प्रतिशत है ?

6—36 L. S./66

[श्री कमलनयन बजाज]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEKER *in the Chair*]

हमारी कुल राष्ट्रीय आय 50 हजार करोड़ है। राजस्व कुछ राष्ट्रीय आय का 18 प्रतिशत है। इस तरह कराधान की बढ़ी हुई दरों में मुद्रास्फीति हो गयी है। राजस्व को अनुत्पादी मदों पर बिना किसी अनुपात के खर्च किया गया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे विकास की वर्तमान दशा में प्रबन्धक एजेन्सी को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसको समाप्त करने से एक ऐसी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है जिससे औद्योगिक विकास पिछड़ जायेगा।

श्री अ० च० गुह (बारसाट) : किसी भी अर्थ व्यवस्था में वित्त मंत्री हालात का दास होता है। देश की आर्थिक स्थिति को देख कर ही उसे काम करना होता है। यह बात वर्तमान वित्त मंत्री पर अधिक लागू होती है क्योंकि आयव्ययक प्रस्तुत करने से लगभग दो महीने पहले ही यह भार सम्भाला है। आयव्ययक का अधिकारी भाग तो उनके द्वारा भार सम्भालने से पूर्व ही तैयार कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त देश की वित्तीय तथा राजकोषीय नीति में बिलकुल ही परिवर्तन कर देना किसी वित्त मंत्री के लिए सम्भव नहीं है। देश की आर्थिक नीतियों को नई प्रवृत्ति देने तथा नये ढंग बनाने में उनको अभी कुछ समय लगेगा। इस लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए वित्त मंत्री महोदय को दोषी ठहराना ठीक नहीं कहा जा सकता।

देश के आर्थिक विषय में सब से चिन्ताजनक बात मुद्रास्फीति है। यदि सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोक सकी तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती। कम से कम इतनी गम्भीर स्थिति में तो उत्पन्न नहीं होती। मुद्रास्फीति के लिए सरकार की राजकोषीय नीति ही अधिकतर जिम्मेदार है। हमारी योजना अवधि में सरकार का राजस्व 300 प्रतिशत बढ़ गया है। और योजना पर खर्च के लिए सरकार ने बहुत सा धन लोगों को दिया परन्तु इस खर्च की तुलना में वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि नहीं हुई है। योजना अवधि में सरकार का गैर विकास खर्च लगभग 400 प्रतिशत बढ़ गया है। कठिनाई पर काबू पाने के लिए सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि तब तक कम धन दे जब तक उत्पादन उतना न हो जाय जितनी खपत है। यह काम सरल काम नहीं है। जितना धन बाजार में है उसके अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए सरकार को कुछ वर्ष लगेंगे।

गत पांच वर्षों में सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6 बार बढ़ाया है। यह प्रति वर्ष 161 करोड़ रुपये अधिक है। यह एक अर्थहीन नीति है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या केवल 26 लाख है जिसका अर्थ यह हुआ कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए काफी चिन्तित है। यद्यपि उनकी संख्या 46 करोड़ की कुल संख्या का लगभग एक प्रतिशत फैलता है। यह भी उल्लेखनीय है कि तीन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के कुल कर लगे हैं। परन्तु जो फालतू कर शक्ति का निर्माण हुआ, उसका कुछ भी लाभ नहीं उठाया गया है। और करों का जो परिणाम होता है, वही हुआ। इन फलस्वरूप कीमतें बढ़ गयी। और कम से कम प्रभाव मुद्रास्फीति होता है, वही हुआ।

रुपये के अवमूल्यन सम्बन्धी किसी प्रस्ताव के बारे में वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार करना चाहिए जिससे इस प्रश्न पर गैर जिम्मेदारी की कोई चर्चा न हो। अवमूल्यन द्वारा बढ़े हुए निर्यात से जितनी आय होने की आशा है हमें आयात के लिए इससे भी अधिक राशि अदा करनी चाहिए। मेरे विचार में इससे तो यह अधिक अच्छा रहेगा कि निर्यात कर्ता को राज सहायता देकर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय जैसा कि चीनी के मामले के बारे में किया जा रहा है।

हाल ही में निर्यात के लिए जिम्मेदार मंत्री ने अपने मंत्रालय के निर्यात सम्बन्धी कार्य पर सन्तोष व्यक्त किया है। परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि विश्व व्यापार में हमारा भाग 2.01 प्रतिशत

से कम हो कर 1.015 प्रतिशत हो गया है। अतः हमें इस मामले में ढील नहीं करनी चाहिए। निर्यात संवर्द्धन के लिए वर्तमान प्रोत्साहन देने की योजनाओं के काले बाजार में धन भेजने की गुंजाइश रह जाती है। इस पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। गैर सरकारी क्षेत्र में किस्म तथा मूल्य पर कुछ सरकार को नियन्त्रण रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। लागत निकालने की कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार द्वारा जिन आर्थिक नीतियों का अब तक अनुसरण किया गया है उनसे कराधान, मुद्रा-स्फीति और गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जो कि बहुत ही गम्भीर स्थिति है। राज्यों में कराधान के लिए बहुत कम गुंजाइश है। फिर भी राज्य सरकारों के लिए यह उचित नहीं है कि व रिजर्व बैंक से अनधिकृत रूप में अधिक धन निकालें। वित्त मंत्री की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने राज्य सरकारों का कुछ भार कम कर दिया है। आशा करनी चाहिए कि राज्य सरकारें अब आयव्ययक सम्बन्धी एक अच्छी स्थिति तथा स्थिर अर्थव्यवस्था बनाये रखने के लिए अपने कर्तव्यों को निभा सकेगी। इस तरह की आशा की जा सकती है।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्रियों को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। और जो कुछ यहां कहा जाता है, उसे अपेक्षित महत्व देना चाहिए। जब कभी किसी विधान मंडल में आयव्ययक प्रस्तुत किया जाता है तब यह आशा की जाती है कि देश के सामने वास्तव में जो मामलें हैं उनको कम से कम मोटे तौर पर आयव्ययक में झलकता है। परन्तु यह खेद की बात है कि जो आयव्ययक हमारे सामने है, इस में उसकी कोई झलक दिखाई नहीं देती।

खाद्य समस्या के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सरकार अपनी असफलता को उचित ठहराने के लिये इस बात का आश्रय ले रही है कि वर्षा नहीं हुई है। परन्तु देश के हमारे सुविख्यात अर्थशास्त्री ने एक लेख लिखा है जिसमें यह सिद्ध करने के लिये आंकड़े दिये गये हैं कि यदि वितरण उचित रूप से किया जाये तो हम लोगों को लगभग 14 औंस अनाज दे सकते थें।

80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं परन्तु सारी नीति का निर्धारण नगरों में रहने वाले थोड़े से लोगों को ध्यान में रखकर किया जाता है। राशन व्यवस्था को केवल नगरों में ही लागू किया गया है। देहातों क्षेत्रों में इसको लागू नहीं किया गया है। चिरकाल से खेतिहर मजदूर नुकसान उठा रहे हैं। सरकार ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार केवल नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के संगठित वर्ग की ओर ही ध्यान दती है जो कि शोर मचा सकत हैं, प्रदर्शन कर सकते ह तथा शक्ति दिखा सकते हैं। हम खाद्य उत्पादन तभी बढ़ा सकते हैं जबकि किसानों को अच्छा मूल्य दें।

सरकार औद्योगिक मजदूरों के मामले में भी उदासीन है। मालिकों का सदा पक्ष लिया जाता है जब के मजदूरों को उनका उचित दय नहीं देते ह, चाहे यह बोनस का मामला हो या कोई अन्य मामला। उर्वरक पर अधिक जोर देने की बजाय सरकार को अधिक खाद तैयार करना चाहिये और मल जो कि व्यर्थ जा रहा है इस्तेमाल करना चाहिये। उर्वरक के सौदे को यदि पूरा किया जाता है तो यह देश में विदेशी प्रभाव को बढ़ाने में एक साधन होगा।

यदि सरकार अपने कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता नहीं देना चाहती है तो उसको राशन की दुकानों तथा दूसरी दूकानें खोलनी चाहियें जहां निर्धारित मूल्यों पर सामान मिल सके।

नये वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था, पूंजी बाजार की निष्क्रियता, भुगतान शेष पर दबाव और अत्यावश्यक वस्तुओं के मल्यों में वृद्धि जैसी कठिनाइयों हमारे सम्मुख कई वर्षों से हैं। इस सब समय सरकार क्या करती रही है। सरकार का इससे अधिक और क्या दोष हो सकता है कि उसने कुछ नहीं किया। अभी तक कोई यह आश्वासन भी नहीं दिया गया कि आगे से स्थिति ठीक हो जायगी। राज्यों की वित्तीय स्थिति भी खराब हो रही है। राज्यों के साथ मुझे पूरी सहानुभूति है। उनके साधन बहुत ही सीमित है। केन्द्र तो जो भी कर चाहे लगा सकता है परन्तु राज्यों के अधिकार सीमित है।

[श्री वारियर]

हमारे देश में चावल उपलब्ध है परन्तु अधिक मूल्य पर ही मिल सकता है। केरल में चावल का भाव 2.50 प्रति किलोग्राम है। बम्बई में 275 रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से चावल बिक रहा है। अतः जब काफी चावल और गेहूं मिल रहा है, चाहे वह अधिक मूल्य पर मिल रहा हो, तो लोगों को यह कह कर किस प्रकार संतुष्ट किया जा सकता है कि गेहूं और चावल नहीं है या उनकी कमी है ? जब सारे खाद्य उत्पादन की वसूली कर के देश में साम्यिक वितरण किया जाये तब ही यह निर्णय किया जा सकता है क्या सरकार का यह कहना ठीक है कि खाद्यान्न की वास्तविक कमी है। यदि खाद्यान्न कम है तो उसका साम्यिक वितरण किया जाना चाहिये और यदि वह प्रचर मात्रा में मिल रहा है तो भी साम्यिक वितरण किया जाना चाहिये। इस प्रकार लोगों को शिकायत का अवसर नहीं मिलगा। इस समय अधिक आय वालों को अन्न मिल जाता है, कम आय वाले महंगा अन्न नहीं खरीद पाते।

इसी प्रकार धन का भी वितरण ठीक नहीं है। नये करों के लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। "ईस्टर्न इकानमिस्ट" के अनुसार निगम क्षेत्र पर कर लगाये गये करों का कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु म तो कहता हूं कि उस पत्र के अनुसार सारे कर ही व्यर्थ में लगाये गये हैं। सरकार उन लोगों पर तो कर लगाती नहीं है जो कि धनवान हैं और कर अदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर कर लगाने से क्या लाभ जो ग़रीबी के कारण कर अदा नहीं कर सकते। इन करों को देकर लोगों को बदले में कोई लाभ भी तो नहीं होगा।

करों की वसूली भी ठीक से नहीं की जाती। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हरिदास मूंदडा के मामले में दिय गये अपने निर्णय में कहा है कि हरिदास मूंदड़ा ने एक करोड़ रुपये के करों की अदायगी नहीं कि है जो कि राजस्व अधिकारियों की ढिलाई के कारण नहीं हो सकी है।

अतः जब कर ठीक से लगाये नहीं जाते, उनकी वसूली ठीक प्रकार नहीं की जाती और न करों के रूप में वसूल किय गय धन का उचित उपयोग किया जाता है तो मैं यह कहूंगा कि यह बजट जनता का बजट नहीं है। यह बजट जनता के हितों के विरुद्ध है।

Shri Braj Bihari Mehrotra (Bilhaur) : This budget presented by the honourable Minister envisages taxation at the rate of rupees thirty-six per head and the 20% money of the taxes that are collected, is spent on administration alone, and the administration is such that the rank and file of the country are sick of it.

The taxes are imposed on the poor peasents and other poorer sections of society but even an ordinary article of common consumption like sugar is denied to them. There are places where factory made sugar never reaches. Hence, they make use of the khandsari instead but this time even *Khandsari* has been *taxed* by the Finance Minister.

The movement of *Khandsari* for Uttar Pradesh has been banned. The peasant is worried about the future of his business. On the one hand, it is declared that incentives are being given to the peasants but on the other hand, necessary commodities of his consumption are taxed. Besides, the state Governments also impose taxes. In order to augment production, there are certain things which are very much needed by the peasants. They need certain means to increase production. There are so many dams which produce electricity but due to dearth of transmission lines, the peasants cannot utilise power for production. They take loans to purchase diesel pumps and somehow carry on their work. Government expect the peasants to produce more, but due to heavy taxation on the means for augmenting production, results will be nil.

Government propose to establish big fertiliser factories but no attention is being paid to facilities for irrigation. The fertilisers will be of no use if no water is available for irrigation. There is lot of sub-soil water in Uttar Pradesh but Government has not tried boring there.

Government has not paid any attention to the manufacture of power tillers.

It will take a long time before we start manufacturing tractors in our own country but construction of these power tillers can be taken up now.

The peasants do not sell their produce to Government because incentive price is not paid to him. He, therefore, sells it to the dealers. Government talks big about incentive being given to the peasant but the deeds are not in keeping with the words.

Government has been spending crores of rupees on the Khadi Gramodyog Commission so that cottage industries and khadi industries may prosper but side by side they are constructing big factories. Hence Government has been adopting contrary methods. In Uttar Pradesh, on the one hand, Government wants that nobody should be in possession of much land, but, on the other hand, Government propose to start mechanised farming. Government wants to follow American methods but this will only lead to unemployment and lawlessness.

Government has been a failure in controlling prices. The future of the country appears to be dark owing to the policy the Government propose to adopt. In addition to these taxes by the Central Governmemt, surcharge has been levied on land in Uttar Pradesh. Such heavy taxes on peasents will ruin them. All the same they are prepared to pay these taxes provided Government supply there with the necessary means for augmenting production.

The conditions obtaining in the easern district of Uttar Pradesh are very unsatisfactory. The daily wages there are 25 paise per day and a *lotah* full of molasses. The late Shri Jawaharlal Nehru had appointed a Commission to find means for development of that region but the scheme has not been implemented. I am at a loss to find ways for drawing Government attention to people's difficulties.

The number of third class compartments is not commensurate with the increased number of travelling public. The third class compartments are mostly overcrowded. There are good engines and good tracks but the number of third class compartments in trains is not being increased.

Government has been running big agricultural farms but, if judged from the total expenditure incurred by these farms, it will be found that they are running in loss.

I have been trying for the last ten years for construction of a bridge over the river Yamuna near Kalpi on the Kanpur-Jhansi road but in spite of assurance having been once given for its construction, nothing has been done so far. Of late,it has been told that the scheme has been given up and the bridge will not be constructed now. Why is this discriminatary treatment meted out to our people there ?

There have been so many disturbances on account of food scarcity in Bengal, Punjab and Kerala. There is an element which wishes failure of the Government. The only way to meet this situation is to provide every man with employment, and

[Shri Braj Bihari Melrotra

to run the Khadi Gramodyog Commission well, so that the rural people may get jobs.

I hope the Finance Minister will withdraw the taxes that have been imposed on Khandsari Sugar and diesel oil so that the peasants may be able to avail themselves of some benefit. This is also very necessary to inculcate a sense of satisfaction in the minds of the peasants.

The schemes made by Shri Subramaniam are more foreign than national in outlook. Schemes should be made with an eye to the conditions prevailing in our country.

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू और कश्मीर) : मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री महोदय के बारे में जो कुछ कहा गया है मैं उस से सहमत नहीं हूं।

हमें उस समय तथा उन परिस्थितियों का भी अनुमान लगाना चाहिये जिन में यह बजट तैयार किया गया था। पाकिस्तान से हमारा संघर्ष चल रहा था। सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रही थी। हमारे विकास कार्य बंद हो गये थे। इस को ध्यान में रखते हुये हम यह ध्यान में रखना है कि युद्ध के परिणामस्वरूप ऐसी अवस्था हो गई है कि सरकार को वित्तीय साधन जुटाने के लिये कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने आय कर सम्बन्धी नियमों को जो पहले बहुत जटिल थे, अब सरल बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप कर दाता को यह आसानी से पता चल सकेगा कि कितना कर निर्धारित किया जा रहा है।

माननीय वित्त मंत्री ने आयकर से छुट की सीमा बढ़ा कर बड़ा साहस और उदारता दिखाई है। यह सब प्रस्ताव ऐसे हैं जिनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता। देश में निगम करों का जहां तक प्रश्न है, अडचनें हटा दी गई हैं। कांग्रेस दल में भी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के बारे में मत-भेद हैं। यदि ऐसा है तो गैर-सरकारी क्षेत्र की सीमा के बारे में कुछ स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिये। यदि गैर-सरकारी क्षेत्रों को कार्य करने के लिये सब कुछ सुविधा दी जा रही है तो ठीक प्रकार दी जानी चाहिये। करों की तो और बात है। समाज के लिये वे आवश्यक हैं परन्तु संतापकारी अवस्थायें समाप्त होनी चाहियें। आजकल उद्योगपतियों को आय-कर विभाग ही नहीं बल्कि अन्य करों से सम्बन्धित विभाग भी परेशान करते हैं और उनके कार्य-चालन में बाधा डालते हैं। यदि इनका कार्य सुविधाजनक बनाया जाये तो देश का तथा करों के वसूल करने के कार्य का भला होगा।

सरकार पूंजी निर्माण के लिये जोर देती चली आ रही है। देश में पूंजी निर्माण नहीं होता। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक ओर तो हम विदेशों से रुपया उधार लेना चाहते है और ब्याज देने को सहमत हैं और दूसरी ओर देश में ऐसी परिस्थितियों को निर्माण नहीं किया जा रहा है जो पूंजी निर्माण के कार्य में सहायक हों। यदि निर्मित पूंजी का उपयोग देश में चल रही विकास योजनाओं पर किया जाये तो बड़ी अच्छी बात है। आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से ऋण लेना भी ठीक है। परन्तु देश में पूंजी निर्माण के लिये सुविधायें उपलब्ध करना भी अत्यावश्यक है।

मैं व्यय कर के हटाये जाने का स्वागत करता हूं। जब हम इस कर के अन्तर्गत वसूल की गई राशि को देखते हैं तो महसूस होता है कि इस कर को जारी रखने से कोई लाभ नहीं। केवल अधिकारियों के समय व श्रम को नष्ट करना है। यदि बकाया करों की वसूली में समय तथा श्रम लगाया जाये तो वह देश के हित में होगा।

करों की वसूली के लिये प्रयत्नों के समय हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि श्रम तो कम मात्रा में हो परन्तु विनिवारण अधिक मात्रा में हो। यदि ऐसी व्यवस्था की जायेगी तो लाभ होगा।

तीन या चार वर्ष पूर्व जब श्री मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे, मैं ने उनको यह सुझाव दिया था कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से मिल कर उनकी वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियों का निर्माण करे ताकि करों के ढांचे का संहिताकरण किया जा सके और करों के क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सके। राज्यों तथा केन्द्र में करों के क्षेत्रों को निर्धारित नहीं किया गया है। इस विषय पर अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। राज्य सरकारें प्रायः कहती हैं कि केन्द्र उनके कर-क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करता है। क्या इस बारे में कोई प्राधिकारपूर्ण कथन हो सकता है कि यह सत्य है ?

राज्यों की सरकारों द्वारा रिज़र्व बैंक से बक़ाया से अधिक रूपया निकाल लेने के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न पूछे गये हैं। राज्यों को ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये। यदि राज्यों को ऐसा करने की आज्ञा दी जायेगी तो बक़ाया से अधिक रुपया निकालने की कोई सीमा नहीं आयेगी और वे केन्द्र को न मालूम कब मुसीबत में डाल दें। इसलिये केन्द्र को इस मामले में कठोर नियंत्रण रखना चाहिये।

अब मैं योजना सम्बन्धी व्यय के बारे में कहूंगा। प्रथम योजना के दौरान 1,400 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को योजना बद्ध विकास के लिये दी गई थी। दूसरी योजना में इस से दुगनी राशि तथा तीसरी योजना में उस से और भी अधिक राशि दी गई थी। अब चौथी योजना के अन्तर्गत पहले वर्ष में ही इतना रुपया दिया जा रहा है जितना कि प्रथम योजना के दौरान कुल दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी अधिक धनराशि के बावजूद राज्य सरकारों ने अपनी अर्थ-व्यवस्था को कहां तक आत्मनिर्भर बनाया है ? राज्य ऐसी अर्थव्यवस्था निर्माण करने में असफल रहे हैं जिसमें वे अपनी आवश्यकताओं स्वयं पूरी कर सकें। आखिर जो रुपया हम राज्यों को देते हैं वह उधार लिया हुआ होता है और केन्द्र को ब्याज देनी पड़ती है। अतः केन्द्र को इस मामले में नियंत्रण रखना चाहिये।

आजकल राज्यों में दल बंदी चल रही है। कुछ दल किसी न किसी तरीक़े से सत्तारूढ़ रहना चाहते हैं। अतः माननीय वित्त मंत्री को यह देखना चाहिये कि सत्तारूढ़ रहने के लिये यह दल किस प्रकार के कर लगा रहे हैं। मेरे राज्य में वर्दी व बिना वर्दी के हज़ारों लोगों को तैयार करने के कार्य में लाखों रुपये व्यय किये जा रहे हैं ताकि दल सत्तारूढ़ रह सके। हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी ऐसा ही चल रहा हो।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक केन्द्रीय सरकार राज्यों के खर्चों पर कड़ा नियंत्रण नहीं रखती, हम समृद्ध नहीं हो सकते और न अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब केन्द्र में हमारे वित्त मंत्रालय के कार्य संचालन पर निर्भर करता है।

लघु उद्योगों से काफी समय तक मेरा सम्पर्क रहा है। मेरा विचार था कि इस कार्य में अच्छी प्रगति होगी। जब लघु उद्योग आरम्भ किय गये थे तो देश में उन के लिय बड़ा उत्साह था और उनकी प्रगति के लिये अनुकूल वातावरण भी था। परन्तु आज यह हालत है कि पुर्ज़ों तथा कच्चे माल की कमी के कारण उनका संचालन कठिन हो रहा है।

पशमीना ऊन उद्योग तथा शाल उद्योग मेरे राज्य के प्रमुख उद्योग हैं। पशमीना ऊन तिब्बत से आया करती थी परन्तु जब से चीन ने तिब्बत पर अधिकार जमाया है पशमीना ऊन का आना बिलकुल बंद हो गया है। मैं उस समय राज्य का उद्योग मंत्री था। अतः मैंने मेरीनो ऊन का उपयोग आरंभ करा दिया। पहले तो कपड़े को आयात करके मंगाया गया और उस पर कशीदाकारी कर के बेचा गया। फिर केवल धागा मंगाया गया और फिर

[श्री शामलाल सर्राफ]

कपडा बना कर उस पर कशीदाकारी की जाने लगी । इसके बाद केन्द्रीय मंत्रालय के सुझाव पर वहा सूत कातने के दो संयंत्र लगाय गय । सूत कात कर और कपडा बुन कर कशीदाकारी की जाने लगी । अत: वहां तीन उद्योग स्थापित हो गये थे । परन्तु आज परिस्थितयां यह है कि पूरा उद्योग ही ठप पडा हुआ है । उसको कच्चा माल बिलकुल नही मिल रहा है । एक ओर तो सरकार आयात बढ़ाने पर जोर देती है, दूसरी ओर यह परिस्थितियां ह जिनके बारे में कोई कार्यवाही नही की जा रही है । कच्चे माल के न मिलन से सारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है । अत: मै आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री एसी व्यवस्था करेंग जिससे उद्योगों के काय में कच्चा माल न मिलने के कारण बाधा न पड़ ।

वित्त मंत्री को पूरा पूरा समर्थन तथा सहानुभूति मिलनी चाहिये । मैं पहले ही कह चुका हूं कि उन्होंन अपने उत्तरदायित्व को एसे समय संभाला है जब कि उनके ऊपर विभिन्न समस्याओं का दबाव है । प्रतिकूल भुगतान तुला की स्थिति, ब्याज की अदायगी की समस्या दुर्भिक्ष सहायता, पिछले संघष से हुई क्षतियों की पूर्ति इत्यादि की समस्याय का दबाव डाल रही हैं । अत: माननीय मंत्री को अनेक बातों को देखना है और अनेक मदों के लिये रुपये की व्यवस्था करनी है । यह सब देखत हुय हमें माननीय वित्त मंत्री का समर्थन करना चाहिये ।

कछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी भी हैं जिन पर माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये । उदाहरण के लिय राष्ट्रीय आय बहुत कम है । हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है । केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा राज्य के वित्त मंत्रियों को राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में शीघ्र सुधार लाने की व्यवस्था करनी चाहिये । एक बार एसा हो जाये तो बहुत सी अन्य समस्याय सूलझ जायेंगी । मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

Shri Onkar Lal Berwa (Katah) : I had been thinking that the new Finance Minister would lighten the tax burden on the poor but to my great disappointment I find that instead he has imposed taxes on almost all the articles of consumption by the poor, namely oil, cloth , sugar, disel oil. The new proposals aim at taxation worth 111 crores of rupees. All the same, it appears that in future also he proposes only to increase the taxes. There is an inkling to this effect from what he has already said. May be there is going to be a heavier taxation after the General elections which are not far off now. I guess a Supplementary budget will be presented after the elections. I think the present taxation has not been yet more heavy perhaps due to the next General elections.

After every increase in the dearness allowance to the Central Government employees, new taxes are imposed. But an increase of 5% to 7% in the dearness allowance is not a substantial increase. The Central Government employees are not in a better position today. One cannot make a correct estimate about them from their dresses. Their position inside their houses is very lean. Only those who get above 500 may be said to be in a satisfactory state, I fail to understand why employees getting between 1,000 to 2,250 have been granted an increase in their dearness allowance at the rate of rupees 100 per head. Probably they had no real hardship at all to justify this increase. There is a large number of such employees who get rupees 60 to 80 a month. Instead of granting increase to highly paid staff, it would have been far and away better to give some relief to this sort of low paid staff.

When the matter regarding increase in dearness allowance of 80 lakhs State Government employees is taken up with their Government, they express their

inability to do any thing because of scarcity of funds. Because the state Governments are not getting sufficient funds, they cannot increase dearness allowance of their employees. This results in dissatisfaction among the employees.

When the rise in prices in the same for both the Central and State Governments employees why should there be different rates of dearness allowances for them ? The Central Government should increase the dearness allowance of the employees of the State governments and should bear the extra financial burden owing to this increase in their dearness allowances.

There is widespread starvation all over the country. If anybody dares to say anything, advantage is taken for the emergency and he is suppressed. Lathi charges is a ordinary matter now but it does not behove the administration to wantonly kill people.

At the time of independence, we had taxation worth 1·79 crores of rupees but today it has gone up to 400 crores of rupees. The burden of taxes on the poor has immensely increased now.

The tax imposed on kerosene oil is 50 crores of rupees, on watches 25 crores of rupees on cloth 90 crores of rupees, on Sugar 58 crores of rupees, on tobacco 12 crores of rupees, on petrol and diesel oil etc., 75 crores of rupees and in this way total 400 crores of rupees worth taxation has been proposed in this budget.

Though the Diesel oil is an article of use by the peasants it has been taxed. Only Fine Cloth has been taxed. The superfine cloth has not been taxed although that is used by the rich. Why is the burden of taxes heavest in India in comparison to other countries of the world ? In this budget, mention has been made of a few big industries. But I would say that these taxes adversely affect these industries.

There is an investment of rupees 1,780 crores in 61 industries. The share capital is 1,040 crores of rupees and loans amount to 740 crores of rupees. In 1966, this amount will come to rupees 2,400 crores. How far the criticism about industries in the private sector can be justified? How far suggestions for fixation of rates and for control of private industries can be supported when the public sector companies are in such a state of affairs ?

The transport companies which Government has nationalised are in a bad way now. The Delhi Transport, the Rajasthan Transport and the Uttar Pradesh Transport are on the verge of insolvency now.

Now I will say something about the public sector companies. The investment in the Hindustan Steel company is about 800 crores of rupees and though the prices of steel are the highest here, by the end of March 1964, the Company showed a loss of 600 crores of rupees. Besides, interest to the tune of 30 crores of rupees has also to be paid. Last year the loss was worth 61 crores of rupees.

The Heavy Engineering Corporation Ranchi has already invested 100 crores of rupees. After having invested 125 crores more, it does not expect to produce more that 60 crores worth of goods. Besides, there has been a loss worth 60 lakh rupees owing to a fire in the company.

[Shri Onkar Lal Berwa]

National Development Corporation has 20 coal factories which take out coal worth 1 crore and 70 lakhs of rupees. Last year coal worth 18 lakhs of rupees could not be sold and also a loss of 4 crores of rupees had to be sustained.

Similarly in the Heavy Electricals (India) Limited Bhopal, there has been an investment of 60 crores of rupees. Last year they produced goods worth 4 crores of rupees and the loss was worth 5 crores and 90 lakhs rupees.

The fertiliser Corporation has two factories at Sindri and Nangal. The total investment there is of 82 crores, of rupees. In 1963-64, total production was worth 26 crores of rupees. A profit of 2 crores and 23 lakhs rupees has been shown. Although there has not been any loss, this amount of profit is nothing because interest etc. equal the amount of profit.

I can say that all the factories that are being run in the public sector is running in loss. Some small enterprises to have given some profit but are the big concerns are running in loss.

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुये
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

As far as taxation is concerned, Indian companies are paying 70 per cent taxes. Companies yielding dividend have to pay even more. The taxation in India is the highest compared with the taxations of different countries. Our Congress Government must understand that people will no longer be in a position to tolerate the further increase in taxes. There is no factory in India which is being run without the foreign aid and without the help of foreign exchange. We are today eating, drinking, and living in a foreign way. We are beginning to behave as foreigners.

In spite of the State of afiairs, it is said that we will become self sufficient in ten years. I wonder and feel, how it will be possible. In the last three or four years we have received food grains worth 325 crores from America under the P.L. 480. Our production is coming down and import is increasing. It is said on behalf of the Government that the situation is bad due to the increase of population. We are also not getting adequate medical facilities. In India for the population of 6000 there is only one doctor. Several dispensaries in the development blocks are without any doctor. Poor ladies are also not explained everything regarding the loops. We are playing a huge force with people. By 1970 we will be requiring 50 million tons of foodgrains from foreign sources, if our people have not to starve.

Government claimed that the production is increasing, but the figures relate quite the different story. The farmers are not getting water for irrigation though they are made to pay the taxes. Seeds are becoming useless without the adequate supply of water. The farmers are becoming poorer and poorer day by day. Rupees 850 crores have been kept for defence, but nothing has been done at the borders. There are no roads on the Rajasthan Pakistan border. Our Soldiers there even do not get water to drink. Even at the political fronts we are being defeated countinously. Pakistan is still speaking the language of conflict. Pakistan is not releasing our property of crores, but we are not doing anything.

श्री जं० बं० सिं० विष्ट (अल्मोड़ा) : वित्त मंत्री महोदय ने कुछ राहतें भी दी हैं और कुछ वर्तमान करों में वृद्धि भी कर दी है। शायद वह चाहते थे कि कोई भी प्रसन्न न हो और की गयी आलोचना बेकार होकर रह जाय।

मुझे इस बात का सन्देह है कि वह इस दिशा में सफल हुए हैं। चीनी, तम्बाकू, कपडा और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर जो उत्पादन शुल्क में वृद्धि की गयी है, उसे सामान्य लोगों ने पसन्द नहीं किया है। व्यक्तिगत आय पर जो कर लगाया गया है उसे कैसे पसन्द किया जा सकता है। जिस पूंजी बाजार को पुनः वह प्रवर्तन करना चाहते थे वह हुआ नहीं है। अपने पक्ष में वह केवल एक ही तर्क का प्रयोग कर सकते थ, वह यह कि उनके सामने बड़ी भयावह आर्थिक स्थिति थी। पाकिस्तान के साथ अभी अभी युद्ध लडा गया था, खाद्य उत्पादन में कमी हो गयी थी, विदेशी मुद्रा का अभाव था और अन्य इसी प्रकार की कई एक समस्यायें थी। अधिक से अधिक यही बातें वह कह सकते थे।

बजट पर जो विवाद सभा में होता है, उसमें सभी राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। मैं उस विषय पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करूंगा जिसकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। मुझे इस बात का खेद है कि अपने 18 वर्षों के अनुभव के बावजूद हम कोई निश्चित सीमा-नीति निर्धारित नही कर पाये हैं। हमारे देश में प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी समस्यायें हैं। मनीपुर, नागालैंड, और अब मीजों पहाड़ियों की समस्या हमारे सामने है। वहां गड़बड़ हो रही है और इन लोगों की यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकती कि ये लोग भारत से सम्बन्ध तोड़ ले। यह गलत नीति है। परन्तु हमें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि इस आन्दोलन के क्या कारण हैं। अंग्रेज़ों के जमाने में इन लोगों का प्रशासन सामान्य था। अंग्रेजों की सीमा-नीति यह थी कि इन क्षेत्रों को पूर्व, पश्चिम और उत्तर में खुला छोड़ दिया जाये। और जब तक ये लोग अंग्रेजों के प्रति वफादारी से रहते हैं, इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाय। यदि वे कोई गड़बड़ करते थे, तो उन्हें दबाने का भारी अभियान किया जाता था। जरूरत होती थी तो हवाई जहाजों से बमबारी भी की जाती थी। पठान आदिम जाति लोगों के विरुद्ध उत्तर पश्चिमी सीमा-प्रान्त में ऐसा ही होता था। जब हम स्वतन्त्र हुए तो ये क्षेत्र केन्द्र के प्रशासन के अन्तर्गत आये। इस समय ये प्रयास किये जाने चाहिए थे कि इन क्षेत्रों के लोगों का पूर्ण भावत्मक सम्बन्ध भारत के अन्य भागों से हो जाय। वे भारतीय संस्कृति के रंग में रंग दिय जाए। इस सन्दर्भ में हमें यह बात नही भूलनी चाहिए कि इन क्षेत्रों के लोग बहुसंख्या में दूसरी नसल के हैं। ये उन लोगों से भिन्न है जो गंगा और सिन्ध के मैदानों और दक्षिण भारत में रहते हैं। कोई धार्मिक कड़ी भी नहीं है जो उनके साथ उन्हें बांध दें। इन लोगों की अन्य भारत से भावात्मक एकता स्थापित किये जाने के प्रयासों को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। आर्थिक रूप से भी इन क्षत्रों के विकास का कार्य काफी देर से शुरू किया गया, जिससे इन क्षेत्रों में कुछ हीन भावना पैदा हुई और उपेक्षा वृत्ति ने जन्म लिया। स्थानीय महत्वाकांक्षी लोगों ने इस स्थिति से लाभ उठाया, उन्हें कुछ विदेशी तत्वों ने भी उकसाया। परिणाम-स्वरूप यह भारत संघ से स्वतन्त्र होने की बात कहने लगे। यह ठीक है कि जब तक इस क्षेत्र में गड़बड़ रहे सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि वहां विधि और व्यवस्था की स्थापना करे। परन्तु इससे मामले को समाप्त ही नहीं समझ लेना चाहिए। आपको बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा कि हम किस प्रकार इन सरल और निष्कपट लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं।

मेरे विचार में इस दिशा में एक भ्रान्ति चल रही है। यह देश के संवैधानिक ढांचे के बारे में है। हम प्रायः केन्द्र और राज्यों की दृष्टि से सोचते हैं, और बड़े बड़े राज्य निर्माण करना चाहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बाद से भाषाई राज्यों के निर्माण का सिद्धान्त स्वीकार किया गया और इसी आधार पर कुछ राज्यों की स्थापना की गयी। बहुत से भाषावादी दल को इससे सन्तुष्ट हो गये। परन्तु प्रश्न यह था कि उन लोगों की भावनाओं को कैसे सन्तुष्ट किया जाय जो कि अलग अलग पड़े है और राष्ट्रीय

[श्री ज० बं० सिं० विष्ठ]

भावनाओं के प्रति उनका लगाव नहीं है ? यह मुख्य समस्या है जो कि सीमा-क्षेत्रों के आदिम जाति लोगों के बारे में हमारे सामने है। इस तरह की समस्याओं ने संसार की प्रमुख शक्तियों, रूस और अमरीका, ने बड़े सन्तोष जनक ढंग से हल किया है। उन्होंने इन एककों को जिन्होंने कि स्वतन्त्र होने की इच्छा व्यक्त की, स्वतत्र एकक बना दिया। अमरीका में इस तरह के एककों को क्षेत्रों का दर्जा दिया गया, और कुछ समय के बाद उन्हे राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। क्या हम भी कोई इसी तरह की बात कर सकते हैं ? हमारे देश में, जहां हमने एसा प्रयोग किया है, वह सफल हो रहा है और इसके परिणामस्वरुप असन्तोष कम हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दिया जाय। परन्तु प्रधान मत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने वहां के लोगों का ध्यान रखते हुए उसे अलग ही रखा। इससे उन्होंने वहां के लोगों का स्नेह और सद्भावनाये प्राप्त की। परन्तु साथ लगत पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा नहीं किया गया। वे चाहत थे कि उन्हें हिमाचल में मिला दिया जाय। उनमें असन्तोष बढ़ता चला गया। आसाम के पहाड़ी जिलों ने स्वतन्त्र दर्जा मांगा, परन्तु उसका विरोध हुआ। इससे निराशा, असंतोष बढ़ा और विरोधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला। मेरे विचार में इन जिलों के लिए अमरीका पद्धति वाला कोई मार्ग निकाला जा सकता है। बड़े क्षेत्रों को राज्यों का दर्जा दिया जा सकता है और छोटे क्षेत्रों को संघ क्षेत्र के छोटे प्रशासनिक एककों के निर्माण के विरुद्ध एक सब से बड़ी आपत्ति यह है कि उन्हें केन्द्र की सहायता पर आश्रित रहना पड़ता है। परन्तु सत्य यह है कि बड़े बड़े राज्यों को छोटों के मुकाबले में केन्द्र पर अधिक आश्रित रहना पड़ता है, जबकि निश्चित तौर पर उनके साधन बड़े व्यापक होते ह। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे एककों न केन्द्र द्वारा दी गयी सहायता का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है, और उसने गत कुछ वर्षों में बहुत ही शानदार प्रगति की है। हिमाचल प्रदेश की 1965–66 में कुल आय 7.35 करोड़ रुपये थी, जब कि उसका व्यय 20.85 करोड़ रुपये था। सारा घाटा केन्द्र ने वहन किया। उड़ीसा की कुल आय 57.39 करोड़ रुपये है, जबकि वहां 144.72 करोड़ का व्यय हुआ है। उसका 88 प्रतिशत घाटा केन्द्र ने वहन किया। आसाम की आय 53.05 करोड़ है। और व्यय 117.64 करोड़ हुआ है। सारे का सारा घाटा केन्द्र ने पूरा किया है। इसमें केन्द्रीय करों से होने वाली आय भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में आय और व्यय का अनुपात 44 प्रतिशत है, जब कि उड़ीसा में यह 39 प्रतिशत और आसाम में 45 प्रतिशत है।

केन्द्रीय सहायता के रूप में अथवा कर्जा और केन्द्रीय करों के अंश के रूप में जो कुछ मुख्य राज्यों को मिलता है, वह निम्न प्रकार से है। पंजाब 88 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 94 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 93 प्रतिशत, बिहार 96 प्रतिशत, गुजरात 86 प्रतिशत, मैसूर 90 प्रतिशत, उड़ीसा 88 प्रतिशत, आसाम 100 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश 89 प्रतिशत और मद्रास 91 प्रतिशत। मुझे आशा है कि भविष्य में यह केन्द्र पर आश्रित रहने वाला तर्क नहीं प्रस्तुत किया जायेगा, और इस आधार पर छोटे एककों को स्वशासन के हक से वंचित नहीं रखा जायेगा, विशेष रूप में जब वे अपने बड़े भाइयों के आलिंगन की घुटन से मुक्ति पाना चाहत हैं।

यदि इन छोटे एककों को स्व-शासन दिया गया, विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों में, तो इससे न तो राष्ट्रीय हितों को ही कोई हानि पहुंचेगी और नही राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में ही कोई कमजोरी आयेगी साथ ही इन लोगों का विश्वास प्राप्त कर लेने से सीमा क्षेत्रों के लोगों में शत्रु से लड़ने का एक नया उत्साह जागृत हो जायेगा।

चीनी खतरे की दृष्टि से इन सीमा क्षेत्रों के लोगों का विश्वास प्राप्त करना आज और भी जरूरी हो गया है। यह कोई गोपनीय बात नहीं कि चीन सीमाओं पर सेना इकट्ठी कर रहा है, और वह बर्फ के पिघलने की प्रतीक्षा में है। किसी भी समय वह नया हमला कर सकता है। हो सकता है कि चीन व्यापक आक्रमण न करे और हमें तंग करता रहे और हमारा सारा ध्यान आर्थिक विकास से हट कर प्रतिरक्षा साधनों को जुटाने में ही लगा रहे और इस तरह हमारा आर्थिक विकास रुक जाय। इस सीमित आक्रमण में सीमा क्षेत्र के लोग बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। परन्तु वे सन्तुष्ट होने चाहिए और उन्हें यह अहसास होना चाहिए कि वह अपने ही देश पर हुए हमले का मुकाबला कर रहे हैं।

प्रतिरक्षा मंत्री महोदय के नेतृत्व में सरकार ने सीमा क्षेत्रों को मजबूत करने के पग उठाये हैं। परन्तु आर्थिक विकास का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। रेल, सड़क-निर्माण की योजनाओं की कार्यान्विति आश्वासनों के अनुरूप नहीं चल रही है और प्रगति बड़ी धीमी है। गत वर्ष रेलवे मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हलद्वानी और काठगोदाम को मिलाने वाली बड़ी लाइन का निर्माण कर दिया जायेगा। मध्य क्षेत्र से सीमा क्षेत्रों को मिलाने वाले रेल मार्ग बनाने के काम को प्राथमिकता दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या किया गया है। यदि यहां बड़ी लाइन की रेल बनाई गयी तो उसका सामरिक महत्व भी होगा। छोटी लाइन से बड़ी लाइनों पर बदलने आदि में सेना का जो समय नष्ट होता है, वह बच जायेगा। अतः आज जो स्थिति है, उसे देखते हुए जागरूक होना अच्छा ही है। जितनी शीघ्रता से यह बड़ी लाइन बन जाए, उतनी ही अधिक सेना के आने जाने में सुविधा हो जायेगी।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : मुझे वर्तमान वित्त मंत्री से पूर्ण सहानुभूति है। उन्हें उत्तराधिकार में काफी कठिन काम मिला है। और यह उनके लिए श्रेय की बात है कि उन्होंने इतने अल्प काल में इतना तो कर दिया कि बजट पेश हो गया। वैसे तो यह कहा जाता है कि यदि कोई मंत्री बन जाये तो वह सब कुछ कर सकता है। यद्यपि हमारे वित्त मंत्री बजट की अधिक जानकारी नहीं रखते, परन्तु फिर भी इस दिशा में उन्होने कुछ कर के दिखाया है। माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमारी योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वित करने का एक मात्र साधन हमारा बजट है। और इस बजट का निर्माण चालू आर्थिक वृत्तियों का ध्यान रख कर किया जाता है परन्तु स्थायी प्रभावों को भी देखा जाता है।

यदि हम अपनी अपेक्षित अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से बजट का विश्लेषण करे तो पता चलता है कि इससे उन खतरों का मुकाबला करना सम्भव नहीं जिन से आज हमारी अर्थ व्यवस्था को दो चार होना पड़ रहा है। इस बजट से मुद्रास्फिति बढ़ी है। और उस स्थिति में जब मुद्रास्फीति बढ़ रही हो तो मुल्यों को रोकना असंभव हो जाता है। यह कहना निराधार होगा कि इस बजट के कारण हमारी अथ व्यवस्था पर बोझ कम हो जायगा। कर बढ़ाये गये है और चीनी, कपड़ा, तम्बाकु और परिवहन इत्यादि पर उत्पादन शुल्क मे वृद्धि कर दी गयी है। यह तरीका ठीक नहीं कहा जा सकता। इससे अप्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ताओं के सभी वर्गो पर बहुत बोझ पड़ेगा। नौकरी पेशा गरीब लोग इससे बहुत ज्यादा दुःखी होंगे। यह बात ऐसी है जिसका व्यापक प्रभाव हो सकता है।

संसार म समस्त देशों की तूलना में हमारे देश में कर बहुत ही जादा है। यह बात अबग है कि यहां पर कर अपवंचन भी बहुत होता है। इस अपवंचन को पुलिस और आयकर विभाग व्दारा प्रयास करके समाप्त करवाना चाहिए। और यह बात सरकार को

[श्री जी० भ० कृपालानी]

समझ लेनी चाहिए कि करों में वृद्धि करके इस को समाप्त नहीं किया जा सकता जितने अधिक कर लगेंगे उतने ही काले बाजार के तरीके निकलते रहेंगे । व्यापारी और उद्योगपति करों के अपवंचन के तरीके निकाल ही लेते हैं । सरकार जिस गति से कर वसूल कर रही है उसे सक्रिय नहीं कहा जा सकता। सरकार भी सुस्ती के कारण इमानदार लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । अपराधी लोगों की चांदी हो रही है ।

हमें एक सिद्धान्त की बात समझ लेनी चाहिए कि जब पूँजी निर्माण ही न हो अथवा जब पूंजी का अधिक भाग सरकार ले लेती हो तो उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना कम हो जाती है । और यही कारण है कि सभी दिशाओं में उत्पादन कम हो रहा है । यह भी विचारणीय विषय है कि बजट में प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है । आज देश निरन्तर निर्धनता की ओर बढ़ रहा है उसकी ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं गया है । इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि सरकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद निरन्तर बढ़ा है । कार्यालयों और मंत्रालयों की संख्या बराबर बढ़ती ही चली गयी है । राज्यपाल कोई लाभदायक काम नहीं करते व्यर्थ में उनका आर्थिक भार वहन करना होता है । राज्यों में जो विधान परिषदें चल रही है उनमें देश को तो कोई लाभ होता दिखाई देता नहीं । हां, सत्तारूढ़ दल को इससे जरूर लाभ होगा। इन सब व्यर्थ खर्चों को बन्द कर दिया जाना चाहिए ।

खाद्य नीति के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इसे ठीक नहीं कहा जा सकता । सरकार की इस नीति से देश में बहुत भ्रांति फैल गयी है । लोगों का यह विचार बन रहा है कि आज की स्थिति के लिए सरकार की गलत नीति ही जिम्मेदार है । यह बड़ी भयंकर बात है । सरकार की इच्छा यह है कि कोई उसके विरूद्ध आवाज न उठाये । कोई उसकी नीति की आलोचना न करे। लोकतन्त्र के युगमें ऐसी नहीं हो सकता । यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा कि हमें भूखमरी के विरूद्ध आवाज उठाने से रोका जाये । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सरकार के विरूद्ध विद्रोह का नारा लगाना हमारा कर्त्तव्य है । आज जो शोचनीय स्थिति देश में निर्माण हुई है उसके लिए सरकार की नीति ही जिम्मेदार है । सरकार उसके परिणामों से नहीं बच सकती । यह खाद्य नीति का ही परिणाम है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं ।

भाषावार प्रान्त रचना का मामला फिर से खड़ा किया गया है । आखिर इसकी क्या जरूरत थी । कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने समस्याओं का अध्ययन किये बिना ही पंजाब राज्य को दो भागों में बांटने का निर्णय कर लिया । उन्होंने तो नक्शा ही देखा और न ही समस्याओं के सारे पहलूओं पर विचार किया । दो समितियां—एक सभा की समिति और दूसरी मंत्रिमंडल की समिति-नियुक्त की गई थी परन्तु कार्यकारिणी समिति ने समस्याओं का अध्ययन किये बिना ही लोगों के भाग्य का निर्णय कर दिया । कार्य करने का यह तरीका नहीं है । यदि सरकार भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहती है, तो इसको सभी राज्य इस आधार पर बना देने चाहिए । मेरा निवेदन यह है कि सरकार को भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण करने की समस्या को अन्तिम रूप में सुलझा लेना चाहिए । जो भी राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाना है उसे बना लेना चाहिये । बार बार इस समस्या को खड़ा करना ठीक नहीं ।

श्री वेनगौंडर (नागपट्टिनम) : मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और लोगों की इच्छाओं के अनुरूप चलने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना ही होगा । खाद्य उत्पादन

के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार को खेती में आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये और खेती योग्य भूमि को बढ़ाना चाहिये । मद्रास राज्य के तंजोर जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत बंजर भूमि पड़ी है । वहां पर जिन स्थानों पर खेती के लिये पानी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, वहां उथाऊ सिंचाई शुरू की जानी चाहिये । मन्नारगुड़ी, नागपट्टम और तिरूथुराइपौंडी तालूकों के लिये नालियों की उपयुक्त योजना बनायी जानी चाहिये । 'ग्रैंड एनीकट' नहर और इसकी शाखाओं के किनारों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये और इनमें से रेत निकालना चाहिये और जहां तक आवश्यकता हो इनका गहरा बनाया जाना चाहिये ।

सरकार को किसानों को आवश्यक वस्तुएं जैसे अच्छे बीज, उर्वरक और ट्रैक्टरों के लिये फालतू पुर्जों के आयात के लिये परमिट देने चाहियें । तंजौर जिले में किसी उचित स्थान पर छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एक कारखाना बनाना चाहिये । आगमी वर्षों में अनावृष्टि का सामना करने के लिये तंजौर जिले को बिजली से चलने वाली रूसी ड्रिलें दी जानी चाहिये । पिछली फसल के समय अनावृष्टि तथा जल के अभाव के कारण पूरे तंजौर जिले पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । वह वांछनीय है कि किसानों को भू-राजस्व में छूट दी जाये और अगले साल के लिये तंजौर जिले से कृषि सम्बन्धी ऋणों की वसूली स्थागित कर देनी चाहिए ।

तंजौर जिले के बेरोजगार किसानों को चीनी कारखाने के स्थापित होने से बहुत लाभ हुआ है । परन्तु दी गई वित्तीय सहायता तथा सुविधाएं अपर्याप्त हैं । गन्ने पर उपकर के रूप में सरकार जो राशि इकट्ठी करती है उसे उन क्षेत्रों में, जहां गन्ना उगाया जाता है, सड़कों का निर्माण तथा उनकी दशा सुधारने पर खर्च किया जाना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

त्रिरुची का आकाशवाणी केन्द्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा। वहां एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाना चाहिए । इसके लिए अधिक धन स्वीकृत किया जाना चाहिए । यहां पर टेली वीजन प्रणाली को भी चालू की जानी चाहिए । इससे मद्रास के दक्षिणी जिले इसके अन्तर्गत आ जायेगा । तंजौर में कोई औद्योगिक उपक्रम भी नहीं है, यद्यपि औद्योगिक विकास के लिए पंच वर्षीय योजनाओं में काफी व्यवस्था है सीगार पर जो पुनः कर लगाया गया है उसका उत्पादकों और मजदूरों पर प्रभाव पड़ेगा। इससे हो सकता है कि यह कुटीर उद्योग समाप्त ही हो जाय । इस कर को वापिस ले लेना चाहिए ।

स्थगन प्रस्ताव—(जारी)
MOTION FOR ADJOURNMENT—*Contd.*

दिल्ली में उपद्रव

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा को अब तुरन्त स्थगित किया जाय ।"

सभा को इस बात का पता है कि हम कल की दिल्ली की गड़बड़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं । क्या सरकार इस दिशा में अपने कर्तव्य पालन में असफल नहीं रही है । आखिर कल क्या हुआ । जो कुछ भी कल दिल्ली में हुआ, उसके लिए मैं न ही सत्तारूढ दल और न ही बहुसंख्यक समुदाय को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं । जन संघ भी मेरी राय में इसके लिए उत्तरदायी नहीं है । आज

[श्री कपूर सिंह]

एक वर्ग ऐसा हो गया है जो संकीर्ण विचारधारा के साथ अनुदर विचारों का प्रचार करता है । दिल्ली में हुई गड़बड़ के पीछे उसी गैर जिम्मेदार तत्व का ही हाथ था और यह तत्व कभी किसी दल में जाता रहता है। और इसके बाद यदि किसी तत्व पर इस गड़बड़ की जिम्मेदारी आती है तो वह हमारा प्रशासन है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन इस तत्व की ओर काफी सहानुभति से देखता है। पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना है परन्तु वह इस दिशा में नितान्त असफल रही है। शान्त लोगों को गैर कानूनी गड़बड़ी करने वालों से वह रक्षा नही कर सकी। आधुनिक देशों में आजकल दो प्रकार की पुलिस है। एक नागरिक पुलिस है और दूसरी राजनीतिक। राजनीतिक पुलिस का काम पदासीन दल और उसकी विचारधारा को सुरक्षित रखना होता है। तानाशाही देशों में यह पुलिस काम करती है। हमारा देश लोकतंत्रीय देश है, हमारे यहां पुलिस उस रूप में नहीं है। अतः हमें यह देखना चाहिए कि हमारी पुलिस कैसी है। कल दिल्ली में जो कुछ हुआ उस में उसका क्या व्यवहार था। प्रसिद्ध अखबार 'स्टेटसमैन' ने इसके बारे में जो निष्पक्ष रिपोर्ट प्रकाशित की है वह इस बारेमें बिलकुल सही चित्र है। उसके समाचार के अनुसार यह गड़बड़ प्रातःकाल उस समय आरम्भ हुई जब जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक में एक व्यापारी को दुकान बन्द करने के लिए बाध किया, परन्तु उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। दुकानदार सिख था, उसने दूकान बन्द करने से इन्कार कर दिया। बस झगड़ा बढ गया। इतने में जीप आई जिसमें गुरूद्वारें के लोग थे, उन पर हमला होने वाला था कि जत्थेदार सन्तोख सिंह ने कृपाण निकाल अपने कार्यकर्त्ताओं की रक्षा करने का प्रयास किया। पुलिस वाले पास खड़े थे उनकी काफी संख्या थी, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, झगड़ा होता रहा और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही।

यह बात सिद्ध है कि पुलिस को बार बार बुलाने पर भी उसने गुरूद्वारें की रक्षा करने की निशा में कुछ कार्यवाही भी नही की। जिस समय गुरूद्वारा के अन्दर की भीड़ को लोगों ने पीछे हटाया तो पुलिस बाहर आ गई। उसने जो भीड़ को पीछे हटाने का प्रयास किया, वह गुरूद्वारा के भीतर बैठे लोगों की रक्षा के लिए नही था। उसने तो बाहर इकट्ठी हुई भीड़ की रक्षा के लिए मामले में हस्तक्षेप। यह बात अखबारो रिर्पोटों से पूरी तरह सिद्ध होती है।

जो भी तथ्य सामने आय है उनमें तीन अनिवार्य परिणाम निकलते हैं। पहला यह कि जनसंघ द्वारा हड़ताल के लिए किये गये प्रचार और डाले गये दबाब के कारण जो स्थिति निर्माण हुई उसका पूर्व अनुमान लगाने में हमारा प्रशासन असफल रहा है। मेरा निवेदन यह है कि यदि प्रशासन पर बैठे लोग इस बारे में सही अनुमान लगाने के अयोग्य थे तो इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि लोगों द्वारा की गयी गैर कानूनी कार्यवाहियों से जनता की सम्पत्ति तथा लोगों की रक्षा करने के मूल कर्तव्य को निभाने में पुलिस पूर्णतया असफल रही है। तीसरा निष्कर्ष तह है कि पुलिसने जानबुझकर तथा स्पष्टतः इस प्रकार से कार्यवाही की जो राजनीतिक पुलिस के लिए तो सराहनीय कही जा सकती है परन्तु एक सिविल पुलिस को वह शोभा नही देती। उनके व्यवहार को दोषपूर्णही कहा जायगा।

इन शब्दों से मैं सरकार की निन्दा करता हूं और सदन को प्रस्ताव के समर्थन के लिए अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Bagri (Hissar) : Shri Kapoor Singh has stated that Police was an utter failure in maintaining law and order of the capital. I will say even further that no section of the public is responsible for such an ugly scene. It is the Government who are responsible for this atmosphere of Communal disunity. Such like incidents will countinue taking place, if this basic defect is not removed. The party in power never clearly stated its policy regarding Punjabi Suba. It has been doing double dealing in this important matter. That is the reason why there has been a complete misunderstanding regarding this all over the country. All sorts of propaganda has been done in this direction.

Let me also state that the Central Government have shown utter carelessness in dealing with the situation in Delhi. One failed to understand why no official visited the scene of incident even so late *i.e.* before 2 P.M. I may submit that it is high time the ruling party should give up the present attitude and took firm action to check the evil of communialism. Let it not create conditions with their horrible results, which we have seen in 1947. This is very unfortunate that these are drifting towards that direction. It is for the Government to take steps and see that situation does not go from bad to worse.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मुझे इस बात की खुशी है कि श्री कपूर सिंह ने इस संदर्भ में यह बात साफ कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं कही जानी चाहिये जिससे हिन्दु और सिक्खों में किसी प्रकार का तनाव पैदा हो। वैसे देखा जाय तो हिन्दुओं और सिक्खों में कोई अन्तर है भी नहीं। यदि कोई है तो वह निहित स्वार्थों द्वारा पैदा किया हुआ है। हिन्दु और सिक्ख तो भाई है कई हिन्दु परिवारों के कुछ सदस्य सिक्ख हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि दिल्ली में जो घटनायें हुई है सरकार उन्हें रोकने में असफल रही है। यह कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है कि जब संक्राति के दिन गुरुद्वारे में काफी भीड़ एकत्रित होने वाली थी पुलीस ने कोई कार्यवाही न की। जबकि पुलीस कार्यालय बिलकुल गुरूद्वारे के निकट है। अखबारों ने भी लिखा है कि इस दिशा में सरकार और पुलिस स्थिति पर काबू पाने में नितान्त रूप में असमर्थ रही।

यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली के मुख्य आयुक्त और पुलिस इन्स्पैक्टर जनरल तीन बजे के कुछ समय बाद घटनास्थल पर पहुंचे तो गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री तथा दुसरी सभा के एक सदस्य पहले ही वहां पर उपस्थित थे। उप-मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा कि मैंने एक जीप को चालीस गज के फासले पर जलते हुए देखा। श्री शुक्ला ने इस बात को भी स्वीकार किया कि अधिकारियों को यह आशा नहीं थी कि स्थिति इस प्रकार भयंकर रूप धारण कर लेगी। सरकार के व्यवहार से यह बात स्पष्ट है कि सरकार ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन दे रही है जो साम्प्रदायिक कटूता पर पनपते हैं और इससे हमारी धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो जायेगी। जब साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी शक्तियां सरकार पर दबाव डालती है तो सरकार झुक जाती है और दिल्ली में सरकार ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ मिलजुल कर ही कार्य किया है। यह आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में सरकारी शक्तियां और जनसंघ एक दूसरे से मिले हुए थे पंजाब सरकार के कार्य को देखते हुए तो शायद वही ठीक होगा कि केन्द्रीय सरकार भाषा के आधार पर नये राज्य के बनने तक सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें।

कोई भी आन्दोलन दबाने से नहीं दबता, किसी सिद्धांत को सामने रख कर लोगों की भावनाओं को सन्तुष्ट किया जाना चाहिये। सरकार को न्याय और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केवल सरकारी मशीनरी पर ही भरोसा नहीं करना चाहिये। लोगों की शुभ इच्छाएं भी अपने साथ लेनी चाहिये। जो लोग साम्प्रदायिक आग भड़काते हैं उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। दिल्ली में यह देखा गया है कि सरकार ने इन तत्वों को प्रोत्साहन दिया है।

पंजाब को देश का बाजू कहा गया है। यहां बड़े धीरे और बड़े वीर लोग रहते हैं। वह जीवन और परिश्रम से प्रम करते हैं। और समय आने पर अधिक से अधिक बलिदान करने को तैयार रहते हैं। काफी समय के बाद पंजाबी भाषा को उसका उचित स्थान दिया गया है। हरियाणा के लोगों को भी उनका हिन्दी भाषी राज्य दे दिया गया है। इस अवसर पर सरकार को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत होना चाहिये। इन शब्दों से मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री खाडिलकर (खेड) : श्री कपूर सिंह ने इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए सारे मामले को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयास किया है। पहले भी एक बार विरोधी दल ने सरकार द्वारा अधिक शक्ति का प्रयोग करने के लिये सरकार की निन्दा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब

[श्री खाडीलकर]

यह कहा जा रहा है कि सरकार ने काफी बल प्रयोग नहीं किया है। यही इस स्थगन प्रस्ताव का सार है। क्या विरोधी दल को विश्वास नहीं है कि सरकार बहुत ही गम्भीर स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास कर रही थी। दोनों पक्षों में कुछ साम्प्रदायिक भावनायें अवश्य उभर आई थीं और जितना भी सम्भव था सरकार ने बल प्रयोग किया।

बड़ी स्पष्ट बात है कि पंजाबी सूबे का अर्थ यह है कि पंजाबी भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होगा। परन्तु मेरे विचार में स्थिति को काफी स्पष्ट नहीं किया गया। पंजाबी सूबा बनाते समय पंजाब तथा हरियाना के लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि यह भाषायी राज्य है सिक्ख राज्य नहीं है। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब जब कांग्रेस ने पंजाबी सूबे के बारे में निर्णय कर लिया है सिख नेतृत्व की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी समुदायों को विशेषकर उन समुदायों को जो पंजाबी नहीं बोलते हैं यह सुनिश्चित कराये कि यह राज्य एक सिख राज्य न होकर एक पंजाबी राज्य होगा जिसमें सब समुदाय एक परिवार के समान रहेंगे।

जहां तक कल की घटनाओं का संबंध है सरकार ने उचित और समय पर कार्यवाही करके उसको रोका है। सभा के सम्मुख जो प्रस्ताव है उसको न केवल अस्वीकार ही करना चाहिये अपितु इसकी पूर्णतः अवहेलना की जानी चाहिये क्योंकि इसके द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसके आधार पर सरकार को दोषी ठहराया जा सके जब कि सरकार दृढ़ता से कार्य कर रही है और विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये उतना ही बल प्रयोग कर रही है जितना कि बहुत ही आवश्यक है।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Mr Deputy Speaker the four speakers who have spoken on it have called Bharitya Jan Sangh as a Communal party. Though who call Sangh as communal are themselves communal.

There are two groups of Akalis and both of them want to be in control of Gurudwar Prabandhak Committee.

The demand for Punjabi Suba was rejected by late Prime Minister, Shri Nehru. Now his own daughter has agreed to it. I am surprised that she has not followed her father.

Gurudwars are not meant for the purpose of throwing stones from it. Such thing happened from Gurudwaras or Jullunder to when a procession for agitation for Hindi was started there. Can the purity of Gurdwaras be maintained like this.

Some goondas were looting and they did not belong to Jan Sangh. Guru Tegh Bahadur laid down his life for the cause of Hindus. All Akalis demanding Punjabi Suba in return for that. There was a procession of Jan Sangh consisting of 7 lakh people and they did not do any mischief. So whatever happened, was in Gurdwaras and not outside them. There should be an independent inquiry for it.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : Mr. Khadilkar has expressed surprise that why Prof. Hiren Mukerjee has supported the motion of Sarder Kapur Singh. I see nothing surprising in it. When there is the question of creating anarchy, all these parties combine together because they want to serve their interests at that time.

The Congress Working Committee's decisions have to be followed by all Congress men whether he or she is Prime Minister or an ordinary member. It is wrong to attribute these troubles to the resolution of the Congress Working Committee.

Allegation has been made that police failed to take appropriate action when this trouble began. But these people alleged about police excesses when in Calcutta trouble recently the police took appropriate action. So they blame the police always. The responsibilitiy for creating these troubles is on the opposition parties. This is wrong. They should change their methods and resort to democratic ways of fighting these issues by way of elections.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे विचार में इस स्थगन प्रस्ताव के साथ बहुत गम्भीर मामले जुड़े हुए हैं। यदि ऐसे ही मामला चलता रहा तो हमारे देश की सुरक्षा तथा धर्म निरपेक्षता को खतरा होगा। यदि आप समाचार पत्रों को देखें तो पता चलेगा कि जन संघ के झंडे तो थे परन्तु जन संघ के नेता दिखाई नहीं दिय। वहां गुंडों ने स्थिति संभाल ली। तीन चार घंटे तक कोतवाली के सामने लड़ाई होती रही परन्तु पुलिस वहां आई ही नहीं ताकि उसे रोक सकती। सरकार ने इन तमाम गुंडों को पकड़ा क्यों नहीं। फिर भी सदस्य यहां कहते हैं कि सरकार ने बड़ी बुद्धिमत्ता तथा जब्त से काम लिया।

श्री खाडिलकर ने इन घटनाओं की तीव्र आलोचना की है परन्तु वह भूल गये हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में जो आन्दोलन हुए उसके कराने वालों में श्री खाडिलकर भी एक थे। वैसे मैं समझता हूं कि हमें अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध आन्दोलन करने का पूरा अधिकार है। आचार्य कृपालानी ने ठीक कहा है कि यदि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आन्दोलन नहीं किये तब तो लोकतन्त्र यहां रह ही नहीं सकेगा।

अब आप पंजाबी सूबे का प्रश्न ही लीजिये तथा गुजरात और महाराष्ट्र का प्रश्न लीजिये। सरकार सदा ढिलमित की नीति पर चलती है और कार्य करने में देर कर देती है। पंजाबी सूबे के प्रश्न पर संसद की समिति विचार कर रही थी। क्योंकि यह चुनावों का वर्ष है इस लिये क्या इस से लाभ उठाना चाहते थे। बस कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने घोषणा कर दी कि पंजाबी सूबा बनाया जावेगा। वह कम से कम संसद की समिति के निर्णय का तो इन्तजार करते। क्या पता वह संसद समिति ही इसके हक में फैसला दे देती। परन्तु कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने उसका इन्तजार तक नहीं किया। इस लिये यह सरकार के सामने मुख्यत: राजनैतिक बातों के कारण ऐसे निर्णय करती है। इन्होंने हरयाणे के बारे में भी ऐसा फैसला किया है कि जब वह भी साफ नहीं है। जब तक उसे उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों से नहीं मिलाया जावेगा वह आत्मनिर्भर नहीं होगा। जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों का संबंध है उन्हें हिमाचल प्रदेश से मिलाया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं।

इस लिये सरकार को किसी प्रश्न पर विचार करते समय उसके सारे पहलूओं पर विचार कर लेना चाहिये और फिर शान्तिप्रिय समझौता तालाश करना चाहिये। हम इस स्थगन प्रस्ताव का ठीक ही समर्थन करते हैं।

Shri G. S. Musafir (Amritsar): One thing is clear that Hindu and Sikhs do not want to fight among themselves. I have myself visited the place where all this trouble started. Hindu and Sikhs were taking part in the "kirtan" in Gurudwara. Police stopped our car near Red Fort and told us that our car will also be burnt. Then we went on foot.

I hope Jan Sangh also did not want to creat trouble. If it wanted that it has failed in its aim. I must tell Jan Sangh that they should not resort to those things in which Akalis used to indulge long back *i.e.* 15 years , 20 years or forty years back.

Gurudwara Sisganj is connected with Guru Tegh Bahadur who was called a over for Hindus". Keeping in view the secredness of that greatman, people should not have resorted to violence at that place.

[Shri G. S. Musafir]

I must tell Jan Sangh that tomorrow they can also come in power and they would not like things in which they may indulge today.

I must assure them there in future no such incident would occur. The members should not leave everything to the Home minister. They should also try to take those responsibilities which he is shouldering.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Deputy speaker, the trouble erupted now in 1966 are not new. They are the old legacies of the partition of this country. Sardar Patel, Pandit Pant and Shri Nehru had all to use their power to face this problem.

I am of the view that Punjab should not be further bifurcated. Its unity should not be permitted to be further splitted.

Shri Musafir was saying about procession. The Hindu and sikhs are not separate. They have much affinity and can be composed to the branches of the same tree. They work together. It is only the politicians who are responsible for creating disruption in them. It should be revealed to the public if goonda elements have taken undue advantages of it. An impartial inquiry should be conducted into the recent happenings in Delhi so that the facts may be brought to light.

It is not a fact that all the Sikhs are in favour of division of Punjab. Nandhani, Mzhabi and Ravidasia Sikhs are also nationalist sikhs are opposed to the division. There are certain followers of Master Tara Singh in Delhi who took part in disfiguring signboards in Punjabi region and threatened to take direct action. They should be punished.

In the population of Delhi you will find seventy five per cent are Punjabis. What happened in Punjab had its rupercussion in Delhi too.

I would request Shri Nanda that temples, Gurudwaras, mosques should not be used for political purposes. I am an Arya Samaji and I must say that this should be applicable to all. Government should take strong action in the matter. If it is permitted to drift it will assume alarming proportions. Steps should be taken that not only Punjab for the whole country should be protected.

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : हमें शांति से अमल करना चाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि देश में कभी कोई गड़बड़ न हो।

पंजाब एक बड़ा राज्य है और इसने बड़े बड़े योद्धा उत्पन्न किये हैं। पंजाबी सूबे की मांग एक उन लोगों की मांग है जो अपने लिये भाषा के आधार पर एक राज्य चाहते थे। इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं कि यह सिख सूबे की मांग हो।

हमें सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारे समाज म जाति का बड़ा प्रभाव है। हमें उन तत्वों से लड़ना है जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो देश में एकता आ जावेगी यदि कोई गुंडा किसी धार्मिक स्थान पर आक्रमण करता है तो यह स्थान सब का है और उसकी भर्त्सना सब को करनी चाहिये।

जब हम इस प्रकार आपस में लड़ते हैं तो चीन और पाकिस्तान प्रसन्न होते हैं क्योंकि शत्रु को ही लाभ पहुंचता है।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : When Shri Nanda was making statement today I was wondering whether or not he was playing with the juggler of words. It was clear that Jan Sangh has not been successful in its aim. The Delhi police too failed in its duties. It has not got the capacity to handle the situation as erupted in Delhi.

If anybody can be held responsible for it, it is the ruling party *i.e.* Congress Party. I fthe Congress working Committee had taken a decision about the creation of Punjabi Subha, then it was the duty of the President of Congress to have visited the tro ble placed. The fault with Congress party is that it never admits its faults. Thet means that it has got no moral comage and due to this it is bringing in calculable have to the country. When the Parliamentary Committee and the Cabinet Sub-Committee work already dealing with this matter, why should the Congress Working Committee annovunce its decision. That means there was a political move behind it.

I would ask the Government to consider the question of giving compensation to those who have lost their property in the distubances. It should also make inquiries against those officers who did not discharge their duties fully. It is imperative that inquiry should be made to find out whether certain officials too were prompted by Communal consideration on that occasion.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : इस चर्चा से बड़ा लाभ हुआ है। जो कुछ हुआ है वह बहुत ही दुःखद है। हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिये। जो कुछ हुआ है नगर के कुछ भागों में एक बात सिद्ध होती है कि हिन्दु तथा सिख भाईयों की तरह रह सकते हैं। जो चाहते हैं कि देश की धर्म के नाम पर टुकड़े करके वे सफल नहीं होंगे। इसके लिये हमें दिल्ली को उदाहरण बनाना होगा। यदि यहां हम यह ज़हर समाप्त कर सके तो देश के अन्य भागों से भी यह समाप्त हो जावेगा।

जहां तक पंजाबी सूबे की मांग का संबंध है इसके बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। इसे कोई धार्मिक मामला नहीं बताना चाहिये। अब क्योंकि इस विषय पर निर्णय ले लिया गया है म कहूंगा कि हम सबका यह कर्तव्य है कि इस पर शांति से अमल करे। मन मलाव से काम नहीं चलेगा। जो भी कार्य हों हमें उन पर बड़े ही थंड़े दिमाग से विचार करना चाहिये तथा उनके दल ढूंढने चाहियें।

इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरुद्वारा को हम सब के लिये एक पवित्र स्थान है। यह तो देश कीमती घरोदर है और हकूमत का यह पहला कार्य होगा कि इनकी रक्षा करे। इनकी सुरक्षा को कायम रखने के बारे में किसी को काई शक नहीं होना चाहिये।

यह आरोप भी लगाया गया है कि सरकार विफल हो गई। मेरा उत्तर इस पर यह है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है। यह सच है कि किसी एक आध से ग़लती हो गई हो परन्तु उनके विरूद्ध तुरन्त कार्यवाही की गई। हमें यह ध्यान रखना चाहिय कि हड़ताल कोई एक स्थान पर तोथी ही नहीं। वह तो सारे क्षेत्र में थी। एसी परिस्थिति में सरकार को कितना बड़ा कार्य करना पड़ता है। इस कारण कुछ स्थानों में यह अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो सकती है। ऐसी बातों की मैं बिल्कुल सराहना नहीं करूंगा। जिस किसी ने ग़लती की है उसे दंड अवश्य मिलेगा।

यह आरोप कि सरकार ने गुंडों को नहीं पकड़ा, ग़लत है। इस से एक रात पहले 169 गुंडों को पकड़ लिया था और इस कारण स्थिति का काबू पाना आसान भी हो गया।

मैं यह निवदन तथा आप सब को प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के आन्दोलन नहीं होने चाहिये। सरकार के पास तो पहले ही बहुत समस्या है। यदि हमारी ग़लती हो ी तो हम अपनी ग़लती मानने में शरम महसूस नहीं करेंगे। जिस ने भी गड़बड़ की है उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जो कुछ हुआ है उसके लिये मुझे बड़ा दुःख है। हमारी सब की यह इच्छा थी कि पंजाब के लोगों का जो भाषा का प्रश्न था उसका शान्तिमय समाधान हो। चाहे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कुछ भी निर्णय किया हो, सरकार को भी तो फैसला करना है। इस समय तो मैं केवल यह आश्वासन दिलाउंगी कि जो अल्पसंख्यांक हैं उनके हितों की पूरी रक्षा की जावेगी।

हमें सदा यह बात ध्यान रखनी चाहिये कि हमें बाहर वालों के लिये ऐसा दिखाना है कि हम में एकता है। हमें छोटी छोटी बातों पर लड़का अपना प्रभाव समाप्त नहीं करना चाहिये।

अन्त में सब सदस्यों से मैं अपील करूंगी कि वे एकता बनाये रखे।

श्री कपूर सिंह (लधियाना) : मेरे कर्तव्य है कि चर्चा में हुए कुछ नुक्तों का मे उत्तर दूं। श्री खाडिलकर के बयान से ऐसा लगता था कि उन्ह अगले चनावों का अधिक है।

गृह कार्य मंत्री की बातों से ऐसा लगा कि सरकार को यो सिद्धांतो पर चलना चाहिये। एक तो यह कि जो कार्य उसके नौकर करते हैं उसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह जायदाद को बचाने नहीं के लिये इन्सानों को मरवाना नहीं चाहती। यदि यही बात है तो इसका मतलब यह होगा अराजकता होनी चाहिये। यह गुण अच्छी सरकार के नहीं हैं।

यहां चर्चा को सुन कर मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि इस सरकार की निन्दा करना ठीक ही है उस मामले के बारे में जिस पर आज चर्चा हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है कि :

सभा अब स्थगित की जावे।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The Motion was negatived*

राज्यों की अनाज वसूली की योजनाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा
HALF AN HOUR DISCUSSION RE : PROCUREMENT SCHEMES OF STATES

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा आधे घंटे की चर्चा करने की इच्छुक है ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

Shri Madu Limaye (Monghyr) : Why ? Those who want to go may go. If the Minister is ready it should be taken up.

Shri Onkarlal Berwa : There is no aorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा 16 बुधवार मार्च, 1966/25 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then journed till eleven of the clock on Wednesday March 16, 1966/25 *Phalguna*, 1887 (*Saka*)

मा०स०मुना०—वि 5—36 लोक सभा/66—3-7-67—600

P.L.S.48.LI.20-66(N)
600

© 1966 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित ।

© 1966 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK.